खण्ड-06 सत्र -06 (भाग-02) / अंक-65 बुधवार 17 जनवरी 2018 / 27 पौष, 1939 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

छठा सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06 (भाग-02) में अंक 63 से अंक 65 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

fo"k; lwph

सत्र–06 भाग (02) बुधवार, 17 जनवरी, 2018/27 पौष, 1939 (शक) अंक–65

1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3
3.	प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	4–5
4.	विशेष उल्लेख (नियम – 280)	6–44
5.	ध्यानाकर्षणः (सर्दी के कारण लोगों की मृत्यु होने पर)	45–124
6.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और इसका प्रभाव)	125–186

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–06 भाग (02) बुधवार, 17 जनवरी, 2018 / 27 पौष, 1939 (शक) अंक–65

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री पवन कुमार शर्मा
3. श्री अजेश यादव
4. श्री महेन्द्र गोयल
5. श्री सुखवीर सिंह दलाल
6. श्री ऋतुराज गोविन्द
7. श्री संदीप कुमार
8. श्री रघुविन्द्र शौकीन
9. श्रीमती बंदना कुमारी
10. श्री राजेश गुप्ता
11. श्री सोमदत्त
12. सुश्री अलका लाम्बा
13. श्री आसिम अहमद खान
14. श्री विशेष रवि
15. श्री शिव चरण गोयल
16. श्री गिरीश सोनी
17. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
18. श्री जरनैल सिंह

19. श्री राजेश ऋषि
20. श्री नरेश बाल्यान
21. श्री आदर्श शास्त्री
22. श्री गुलाब सिंह
23. कर्नल देवेन्द्र सहरावत़
24. सुश्री भावना गौड़
25. श्री सुरेन्द्र सिंह
26. श्री विजेन्द्र गर्ग
27. श्री प्रवीण कुमार
28. श्री मदन लाल
29. श्री सोमनाथ भारती
30. श्रीमती प्रमिला टोकस
31. श्री नरेश यादव
32. श्री करतार सिंह तंवर
33. श्री अजय दत्त
34. श्री दिनेश मोहनिया
35. श्री सौरभ भारद्वाज
36. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
37. श्री सही राम
38. श्री नारायण दत्त शर्मा
39. श्री अमानतुल्लाह खान
40. श्री राजू धिंगान
41. श्री मनोज कुमार
42. श्री नितिन त्यागी
43. श्री ओम प्रकाश शर्मा
44. श्री एस.के. बग्गा
45. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
46. श्रीमती सरिता सिंह
47. मो. इशराक
48. श्री श्रीदत्त शर्मा
49. चौ. फतेह सिंह
50. श्री जगदीश प्रधान
51. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–06 भाग (02) बुधवार, 17 जनवरी, 2018/27 पौष, 1939 (शक) अंक–65

lnu vijkgu 2-00 ct: leor gvkA

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदयः सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत। मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रति...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः वो कर रहा हूँ, कर रहा हूँ... मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री करतार सिंह तंवर तथा श्री अजय दत्त से नियम 54 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुईं हैं। कल भी श्री विजेन्द्र गुप्ता ने इस विषय के संबंध में नोटिस दिया था लेकिन मैंने उनको बता दिया था कि सदन के समय के अधिकतम सदुपयोग के लिए कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विशय पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री करतार सिंह तंवर के नोटिस के विषय में कल अल्पकालिक चर्चा हो चुकी है, श्री अजय दत्त जी के नोटिस की विषय वस्तु को इस सदन में उठाये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आज कार्यसूची में अल्पकालिक चर्चा सूचीबद्ध है। अनेक सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते

हैं इसलिए उक्त सूचनाओं को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी अनुमति के बिना यदि कोई सदस्य बोलेंगे, तो उसे सदन के रिकार्ड में नहीं लिया जायेगा।

प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री सौरभ भारद्वाज जी, अखिलेश पति त्रिपाठी

... (व्यवधान)

(श्री कपिल मिश्रा वैनर लेकर सदन के वेल में आये।)

अध्यक्ष महोदयः कपिल जी आपके हाथ बहुत कांप रहे हैं, क्या बात है? आपके हाथ कांप रहे हैं बहुत। आपके हाथ बहुत कांप रहे हैं, कृपया बैठिए, चेयर पे बैठिए प्लीज़। मैं शाँतिपूर्वक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया वहाँ बैठिए, बहुत बद्तमीजी हो चुकी है, बैठिए। इस पूरे सदन की बदतमीजी आप कर रहे हैं। आप बैठिए, प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैठिए वहाँ पर।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने क्या कहा है? मैंने, मैंने क्या कहा है? मैंने बिल्कुल संतुलित... ये बदतमीजी नहीं है तो क्या है! कृपया बैठिए। प्लीज़ बैठिए। आप बैठिए प्लीज़। आप बैठिए प्लीज़। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बैठिए। प्लीज़ बैठिए। चेहरा छुपाने से कोई फायदा नहीं प्लीज़ बैठिए। प्लीज़ बैठिए आप। आपको आग्रह कर रहा हूँ सदन में बैठिए। मुझे मजबूर मत करिए,

कृपया बैठिए, कृपया बैठिए आप। कृपया बैठिए प्लीज़। मैं आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे मजबूर मत करिए, आप बैठिए। आप बैठिए वहॉ। आप जाकर बैठिए। आपसे प्रार्थना है, आप जाकर बैठिए। मार्शल्स कपिल जी को बाहर करें। चलिए।

(माननीय सदस्य श्री कपिल मिश्रा को मार्शल्स द्वारा बलपूर्वक सदन से बाहर किया गया।)

(भाजपा के सभी माननीय सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलते रहे।)

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः समिति का प्रतिवेदन, श्री सौरभ भारद्वाज जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश पति त्रिपाठी, छोड़ दीजिए, अखिलेश पति त्रिपाठी, आप बैठिए प्लीज़। प्लीज़ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। अखिलेश पति त्रिपाठी। आप प्रतिवेदन प्रस्तुत करिए जल्दी से।

... (व्यवधान)

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से याचिका समिति का अंतरिम प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।[1] धन्यवाद।

... (व्यवधान)

---

1. पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर–20317 पर उपलब्ध।

अध्यक्ष महोदयः सौरभ भारद्वाज जी, आप प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं? करिए। कौन कर रहा है, अखिलेश जी कर रहे हैं कि आप कर रहें हैं?

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः मैं कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः सौरभ भारद्वाज जी, समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण करेंगे।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, ये जो मामला है...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप पढ़िए, पढ़िए, रूकिए नहीं।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, ये रिपोर्ट कल हमने हाउस के अंदर टेबल की थी, ये रिपोर्ट जो है, प्रश्न एवं संदर्भ कमिटी की विशेष प्रतिवेदन है। ये रिपोर्ट जो है रिपोर्ट ऑन द क्वेश्चंस एंड रेफरेंस, स्पेशल रिपोर्ट क्योंकि कल 16 जनवरी को विधानसभा के अंदर, पुराने सचिवालय के अंदर पेश की गई है। अध्यक्ष जी, इस समिति की अध्यक्षा श्री राखी बिड़ला हैं और इसके अंदर मेंबर जो हैं; अमानतुल्लाह खान, अखिलेश त्रिपाठी, श्री महेन्द्र गोयल, श्री प्रकाश, श्री राजेश ऋशि, श्री प्रवीण कुमार, श्री संजीव झा और सौरभ भारद्वाज हैं। अंडर सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से सेक्रेटरी साहब श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा और डिप्टी सेकेटरी श्री महेन्द्र गुप्ता हैं। अध्यक्ष जी, इस रिपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा एक घोटाला जो है, वो हमारे सामने आया है। अध्यक्ष जी, मेरा ये निवेदन है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः 280 श्री अजय दत्त जी। 280 श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद अध्यक्ष जी मैं पहले तो बीजेपी से वो दलित बच्ची जिसकी मौत...

अध्यक्ष महोदयः मुझे लगा रहा है आज 280 मैं देख रहा हूं किसी ने आपका नाम लिया है, इसलिये आज शांत नहीं बैठेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आपको दर्द नहीं है? ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिये ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः शर्म आनी चाहिये सरकार को।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, पहले तो मैं इन बीजेपी वालों से उस बच्ची की मौत का हिसाब मांगना चाहता हूं जिस दलित की बच्ची के साथ एक निर्भया जैसा कांड किया गया उसका गैंग रेप हुआ उस बच्ची के साथ उसको प्राइवेट पार्ट से एक हथियार अंदर डाल के उसके फेफड़े तक फाड़ दिये गये उस बच्ची के सीने पर बैठा गया। उसको शरीर पर उन्नीस चोटें आई हैं तो बीजेपी के लोग उन दलितों के खिलाफ जो राजनीति कर रहे हैं उनका जवाब मैं इनसे मांगना चाहता हूं। मैं जवाब मांगना चाहता हूं महाराष्ट्र में दलितों पर जो आक्रमण हुआ, उसका मैं इनसे हिसाब मांगना चाहता हूं रोहित वेमुला की मौत का मैं इनसे हिसाब मांगना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, आप अपना विषय रखिये आप अपना विषय रखिये।

श्री अजय दत्तः मैं चाहता हूं यूपी में जिन लोगों ने अत्याचार किये हैं उन मौतों का जवाब कौन देगा?

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, आप अपना विषय रखिये आप 280 का विषय रखिये अपना।

श्री अजय दत्तः ये बीजेपी के लोग जो दलित विरोधी हैं इनका जवाबदेह ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी आप 280 का अपना विषय रखिये।

श्री अजय दत्तः ये दलितों की मौत का हिसाब दें ये दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। इन तीन साल में पूरे देश में दलितों को मारा जा रहा है। ये बीजेपी के लोग इसका जवाब दें। यहां पर आकर नारे लगा रहे हैं, ये उसका जवाब दें जो मौतें पूरे देश में हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी...

श्री अजय दत्तः जो मौतें पूरे देश में हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी...

श्री अजय दत्तः जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है उसका जवाब दें

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी आप मुझे नहीं सुन रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं जो आपका विषय है, उस विषय पर आइये।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मेरा आज का...

अध्यक्ष महोदयः आप अपने उस विषय पर आइये।

श्री अजय दत्तः डीडीएच के साथ है और डीडीए के साथ जो एमसीडी की मिली भगत चल रही है उसके ऊपर है आज से करीबन छह महीने

से हम मेरे क्षेत्र में अंबेडकर नगर में एक रोड है, उसके ऊपर अतिक्रमण किया गया है। वहां कुछ बीजेपी के लोगों ने...

(भाजपा के सभी माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं नेता विपक्ष से प्रार्थना कर रहा हूं कृपया अपनी कुर्सी पर बैठें।

श्री अजय दत्तः कमिशनर को कहा कि वो अतिक्रमण हटा दें।

अध्यक्ष महोदयः मैं नेता विपक्ष से प्रार्थना कर रहा हूं, आपने जो कुछ करना है, अपनी चेयर पर जाकर बैठें। आप अपनी चेयर पर बोलते रहें, कोई दिक्कत नहीं।

श्री अजय दत्तः तो कमिशनर उस में कोई काम नहीं कर रहे और बार बार...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सवाल भी ना करें, बात भी नहीं करने देंगे?

अध्यक्ष महोदयः नहीं, बोल तो रहे हैं आप। बोल तो रहे हैं।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, इनसे जवाब मांगिए।

अध्यक्ष महोदयः चलिये, चलिये।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, उस रोड पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है, जब मैंने कमिशनर से, डिप्टी कमिशनर से मुलाकात करके कहा कि अतिक्रमण हटाइये, इससे लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है, ट्रैफिक जाम है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, उस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया

और मुझे कहा कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके दबाव में हमें काम करना पड़ रहा है। एक तरफ ये सीलिंग लगा रहे हैं और एक तरफ व्यापारियों को ये त्रस्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूरी दिल्ली में इन्होंने अतिक्रमण मचा रखा है। अध्यक्ष जी, इनसे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पर अगर सीलिंग पर इस तरह से दिल्ली में काम होगा तो हम बीजेपी के खिलाफ, एमसीडी के खिलाफ काम करेंगे और दिल्ली में व्यापारियों को मरने नहीं देंगे, दिल्ली में व्यापारियों को छोड़ने नहीं देंगे।

अध्यक्ष जी, ये लोग रोज आकर यहां पर सदन में इस तरीके की अवमानना करते हैं। आपकी अध्यक्ष की अवमानना करते हैं, सदन का टाइम खराब करते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले जो एमसीडी, दिल्ली मैं जो एमसीडी है, बीजेपी की शासित एमसीडी है, उसका हिसाब इनसे मांगिये। एक हजार करोड़ रुपये का हिसाब इनसे मांगिये और इनसे पूछिये कि जहाँ पर ये अतिक्रमण करवा रहे हैं, वो अतिक्रमण इनका क्या फायदा है, इनको कितने पैसे पहुंच रहे हैं। मैंने डीडीए से भी कहा कि आप हमारे क्षेत्रों के पार्कों को डेवलेप कीजिये। मैंने उनसे पिछली बार कवैश्चन लगाया था और उसमें कहा था कि उस क्वैश्चन में कि मुझे डीडीए की जितनी भी... उसके बार में इनफोरमेशन दीजिये, डीडीए के जितने पार्क हैं उन्हें हरा कीजिये उन्हें ग्रीन कीजिये। इन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे क्षेत्र में करीबन पांच स्कूल चल रहे हैं। उनमें से एक स्कूल जो बीजेपी शासित लोगों का है, उसने उस पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। उस कब्जे को कराने वाली बीजेपी है। मैंने डीडीए से जवाब मांगा कि मुझे जवाब दे डीडीए। मुझे बताये कि यहॉ पर जो ये स्कूल चल रहा है, वह स्कूल वो कैसे चल रहा है? एक स्कूल हैं पुष्प विहार के अंदर जिसका नाम राधा कृष्ण स्कूल है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि उस स्कूल की

डिटेल मेरे पास आये, पता चले कि वो स्कूल किसी सरकारी जमीन पर बना हुआ है या किसी प्राइवेट जमीन पर बना हुआ है और मैंने कई बार डीडीए को लिखा कि आप यहां के पार्को को बना दो। इन्होंने पार्क नहीं बनाये। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि डीडीए और एमसीडी, दोनों को तलब किया जाये और मेरे क्षेत्र की समस्याओं का निदान किया जाये। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ और मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ 'शहीदों पर जो लाशें आपने बिछाई हैं, शहीदों के नाम पर जो लोग आप कफन तक खा गये, उसका जवाब दो।' अभी तो कंबल लेकर आये हो, थोड़ी देर में कंबल ओढ़कर घी पी जाओगे। आप लोग कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोगों में से हैं। वो लोग, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब ये लोग कंबल ओढकर घी पाने वाले लोगों में से हैं...

अध्यक्ष महोदयः बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अजय दत्तः और ये कंबल भी आप किसी को बांटोगे नहीं।

अध्यक्ष महोदयः श्री गिरीश सोनी जी।

श्री गिरीश सोनीः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः श्री गिरीश सोनी जी, ऊँची आवाज में बोलिये, ऊँची आवाज में।

श्री गिरीश सोनीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 के अंदर बोलने का मौका दिया। लेकिन मैं अध्यक्ष जी, एक बार ये भी चाहूंगा कि इन विपक्ष के लोगों को भी जरा...

अध्यक्ष महोदयः आप जारी रखिये अपना विषय प्लीज।

... (व्यवधान)

श्री गिरीश सोनीः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरे यहां एक गाँव है; बसई दारापुर गांव है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी, बैठिये प्लीज।

... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः कंबल चोर। कंबल चोर! गरीबों के कंबल चुरा कर लाते हो।

... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः कफन चोर! कंबल चोर!

... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः गरीबों के कंबल चुराकर लाये हो, कंबल चोर!

... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः कफन चोर!

... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः कंबल चोर!

... (व्यवधान)

श्री गिरीश सोनीः अध्यक्ष जी, ये ऐसे सदन को नहीं चलने देंगे। आप इससे अच्छा तो एक बार बाहर ही कर दीजिये अध्यक्ष जी।

... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः पहले कफन चुराये, अब कंबल चुरा रहे हैं। कफन चोर! देखो कंबल चोर!

... (व्यवधान)

श्री गिरीश सोनीः अरे! नौटंकी बंद करो भई।

... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः कंबल चोर! कफन चोर! चोर! चोर! चोर! ... (व्यवधान)

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष महोदय, जींद में जो लड़की मरी है, जो हमारी दलित बहन मरी है, उसकी मौत का हिसाब दो।

अध्यक्ष महोदयः अजय जी, अपनी कुर्सी पर जायें, अपनी कुर्सी पर जायें।

... (व्यवधान)

श्री अजय दत्तः बीजेपी, दलितों की मौत का हिसाब दो। दलितों की मौत का हिसाब दो।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने अपने स्थान पर बैठें। नेता विपक्ष से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया अपने अपने स्थान बैठें। विजेन्द्र गुप्ता जी से प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर बैठिये, बैठिये प्लीज बैठिये। बहुत हो गया आपका।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः 20 मिनट का समय सदन का खराब हो गया। पूरा 20 मिनट का सदन... आप बैठिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी, अपने स्थान पे बैठिये प्लीज। जगदीप जी, बैठिये। बहुत हो गया, आपका मकसद पूरा हो गया। आपने जो कहना था, हो गया। आपको 15–20 मिनट का समय मिल गया, आप बैठिये। विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया बैठिये। नहीं, मेरी बात सुनिये। ऐसा है, एक सेकेंड, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आपने कल भी ये विषय उठाया था। एक सेकेंड, पहले मेरी बात सुन लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ठीक है।

अध्यक्ष महोदयः 280 में कल आपका नाम था, अब शांतिपूर्वक बैठे रहे और अब 280 में अपनी बात पूरी कर ली। आज आपका नाम नहीं है तो आप इस विषय को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप मेरे को जाने...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, आप बैठिये, मैं चर्चा नहीं... मैं आर्डर दे चुका हूं। मुझे 54 में तीन मिले थे। तीनों को मैंने रिजेक्ट किया है। बैठिये, प्लीज। गुप्ता जी, मैंने तो कल भी किया था। बैठिये। 20 मिनट हाउस का समय खराब हो गया। आप बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप इसपे जवाब दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः आज चर्चा है और जो लगे हुए हैं, चर्चा जो लगी हुई है, बैठिये प्लीज। गिरीश सोनी जी। गिरीश जी, आप चालू रखिये अपना प्लीज। गिरीश सोनी जी चालू रखिये।

श्री गिरीश सोनीः देखिये, कुछ आवाज नहीं आती, बहुत शोर मचा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मार्केट के कंबल बेचने वाले यहां आ गये हैं।

अध्यक्ष महोदयः गिरीश जी, आप सोमनाथ जी, बैठिये प्लीज। सोमनाथ जी, बैठिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सबको सुनने को मिलेगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः गिरीश सोनी जी, गिरीश जी। इनको बोलने दीजिए आप।

श्री गिरीश सोनीः अध्यक्ष जी, एक मिनट बिठा तो दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हाँ, आप अपनी बात जारी रखिये। गिरीश जी, आप अपना विषय पढ़िये। गिरीश जी, आप अपना विषय पढ़िये।

श्री गिरीश सोनीः मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन बीच में...

अध्यक्ष महोदयः कोई बात नहीं, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है। आप जो बोल रहे हैं, वो रिकार्ड हो रहा है।

श्री गिरीश सोनीः अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा में एक गांव बसई दारापुर और बहुत पुराना गांव है। उसके बसई दारापुर गांव के ऊपर 10 या 15 कॉलोनी बन चुकी हैं अभी तक, जिसमें मोती नगर...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी।

श्री गिरीश सोनीः कीर्ति नगर भी है और राजा गार्डन...

अध्यक्ष महोदयः अवतार सिंह जी, बैठिये प्लीज।

श्री गिरीश सोनीः इन सभी में हाँ जो मेट्रो स्टेशन्स बने हैं; रमेश नगर मेट्रो स्टेशन, बसईदारापुर गांव की लैंड पर बना है, कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन बसई दारापुर की लैंड पर बना है, मोती नगर मेट्रो स्टेशन बसई दारापुर की लैंड पर बना है और बसई दारापुर ईएसआई हॉस्पिटल, वो भी बसई दारापुर की लैंड पर बना है और एक वहां पर रजिस्ट्रार आफिस है, वो भी बसई दारापुर की लैंड पर बना है। उसके वाबजूद एक मेट्रो स्टेशन अभी ईएसआई, हॉस्पिटल बसई दारापुर के सामने बना है, जिसका नाम ईएसआई हॉस्पिटल रखा गया है जब कि हाँ बसई दारापुर को मेन्शन नहीं किया गया है। उसका बसई दारापुर का गाँव लुप्त होने के कगार पर है। हाँ बसई दारापुर के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है ये। अध्यक्ष जी, ये हाँ पर जो इतना सब कुछ हॉस्पिटल बना है, दिल्ली में चार या पॉच ईएसआई हॉस्पिटल हैं, लेकिन हॉस्पिटल जो ईएसआई हॉस्पिटल के साथ उसमें बसई दारापुर जोड़ा जाये क्योंकि उसका नाम पर मेन्शन नहीं है। मैं इस संदर्भ में जब माननीय परिवहन मंत्री, हमारे गोपाल राय जी थे, 2015 में भी मैंने पत्र लिखा था, 18/3/2015 में तो...

... (व्यवधान)

श्री गिरीश सोनीः माननीय गोपाल राय जी ने इसको चैयरमेन–कम–मैनेजिंग डायरेक्टर, डीएमआरसी को इसके संदर्भ में लिखा था। उसके बाद फिर मैंने पत्र लिखा। मैंने सीएम साहब को भी पत्र लिखा था तो उस पत्र में उसका जवाब आया और इसके जवाब में उन्होंने आगे दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने भी इसको माना कि हाँ भई, इसको भी हम एनजीसीटी को उसको कमेटी को दे दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी के कुछ सदस्यों ने वहां बोर्ड लगाकर ये दर्शाने की कोशिश की है कि हमने ये काम करा लिया है, जब कि ये काम दिल्ली सरकार कब और हो सकता है ये कार्य... अरे सरकार! बैठ जाइये आप, अब बहुत हो गयी है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सोनी जी, आप जारी रखिये, जारी रखिये प्लीज। आपका भाषण रिकॉर्ड हो रहा है, आप जारी रखिये। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, आप बालते रहिये।

श्री गिरीश सोनीः कम से कम थोड़ी देर के लिए बाहर ही करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, नहीं। बोलते रहिये आप।

श्री गिरीश सोनीः शांतिपूर्वक चल सके।

अध्यक्ष महोदयः बोलिये, बोलिये। आप जारी रखिये प्लीज।

श्री गिरीश सोनीः कि जिस तरह से बसई दारापुर के गांव की भावनाएं हैं कि इस गांव का नाम लुप्त हो रहा है।

अध्यक्ष महोदयः गिरीश जी आप जारी रखिये न, क्यों रूकते हैं बीच में?

... (व्यवधान)

श्री गिरीश सोनीः हाँ जी त्वाढ़े बारे में सब कुछ जानना मैं चिंता ना करो।

अध्यक्ष महोदयः आप अपना भाषण जारी रखेंगे, चुप हो जायेंगे।

श्री गिरीश सोनीः अध्यक्ष जी, इस संदर्भ में वहां के लोगों की भावनाओं को देखते हुए और जिस प्रकार से ये इतना पुराना गांव है, उसका नाम लुप्त होने के कगार पे है और हाँ के लोग इस चीज से काफी प्रभावित हैं, तो मेरा, मैं ये माननीय मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस संदर्भ में कार्रवाई करें और इसका नाम ईएसआई अस्पताल, बसई दारापुर किया जाये। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, हाउस 15 तारीख को शुरू हुआ, मैंने 280 में प्रश्न लगाया। इनके हंगामे की वजह से, बीजेपी के चारों विधायकों के हंगामे की वजह से पहले दिन 15 तारीख को मैं 280 में, स्थानीय समस्या नहीं उठा पाई। कल भी यही हुआ, नहीं उठा पाई। आज आपका आभार व्यक्त करती हूं तीसरी बार आपने मुझे चाँदनी चौक विधान सभा के स्थानीय लोगों की स्थानीय समस्याओं के हल के लिए बोलने का अवसर दिया है लेकिन दुःख की बात है कि आज तीसरे दिन भी जब 280 पर चर्चा हो रही है, स्थानीय जो मुद्दों पर चर्चा हो रही है, भाजपा के चारों विधायक सदन में हंगामा करके हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर

रहे हैं। खुशी है कि मेरी बात के साथ ये बात भी दर्ज हो जानी चाहिए लेकिन आपका आभार...

... (व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, चाँदनी चौक विधान सभा जो नॉर्थ एमसीडी के अंदर आती है, मैं इसके मेयर को मिल चुकी हूं जाकर। मैं रूचिका कत्याल, डीसी के मिल चुकी हूं। अध्यक्ष जी, चाँदनी चौक विधान सभा पुरानी दिल्ली में अवैध निर्माण हर रोज जारी है। दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी भ्रष्ट भाजपा शासित नगर निगम को फटकार लगाते हुए पूछा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तनख्वाहें लेते हो लेकिन काम नहीं करते हो। आपको रात को नींद आ जाती है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और कल भी सुप्रीम कोर्ट ने दुबारा ये कहा है कि पूरी दिल्ली में अध्यक्ष जी, अवैध निर्माण जोरों–शोरों से चल रहे हैं। कोई नक्शा पास नहीं हो रहा है। मैं आपको पते बताती हूं, मैंने फेसबुक लाईव किया है। मकानों में पड़ रही दरारें दिखाई हैं कि हमारी छोटे–छोटे बच्चे और परिवार किस तरीके से खौफ की जिदंगी जी रहे हैं कि नीचे मकान में दरारें हैं लेकिन बिल्डरों के हाथ में इन भाजपाईयों ने नगर निगम को बेच दिया है और 6–6 मंजिला इमारत... मेरी जानकारी में है कि दिल्ली में घरेलू निर्माण तीसरी मंजिल तक बन सकता है लेकिन बिल्डर जो है, पुरानी दिल्ली जहाँ की नींव खोखली हो गई हैं, उसमें 6–6, 7–7 मंजिला इमारत बनाने की भ्रष्ट बीजेपी शासित नगर निगम आज वो है, वो दे रहा है इजाजत।

अध्यक्ष जी, में एडर्स लिखवाना चाहती हूं। ये वो पते हैं जिनकी महिलाओं से मैं मिली हूँ, जिनके घरों मे दरार है और इन्हीं के घरों के अगर नीचे

दरार है, ऊपर 6 मंजिला बिल्डर फ्लैट इन्होंने खड़े कर दिए, मोटा माल लेकर। अध्यक्ष जी, पहला पता है...

... (व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बाः 3200 कूंचा ताराचंद, हाजी कयामुद्दीन, जामा मस्जिद नगर निगम वार्ड। दूसरा पता है 2571 से लेकर 2580, तिराहे बैरम खान, दरियागंज, जामा मस्जिद वार्ड।

... (व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बाः तीसरा पता है; 277 से लेकर 300 गली कृष्णा, कश्मीरी गेट नगर निगम वार्ड। चौथा है; 9739 गली नीम वाली, आजाद मार्केट, नवाब गंज, सिविल लाईन नगर निगम वार्ड। अगला पता है; 9728 गली नीम वाली, आजाद मार्केट, नवाब गंज, सिविल लाईन नगर निगम वार्ड। अगला बता रही हूँ; आई–1, मंजनू का टीला, अरूणा नगर। अवैध निर्माण, बिना नक्शा पास किए, मोटा माल बिल्डरों से लेकर लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल चुकी है।

अध्यक्ष जी, 9739, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, अभी डीसी जो हमारी नॉर्थ एमसीडी हैं, उन्हें मैंने मिलकर, मैं लगातर संपर्क में हूँ, 9739 गली नीम वाली में पूरे मकानों में दरार आ चुकी है, बल्ली पर खड़े हैं लेकिन उन पर बिल्डर मकान जो है, वहां पर इन भाजपाइयों ने कैसे बनवा दिए इनकी नगर निगम ने? अध्यक्ष जी, इसे गंभीरता से इसलिए लेना जरूरी है, मुझे नहीं मालूम, मैं आपसे बात कर रही हूं इसी समय वो इमारत ताश के पत्तों की तरह अगर गिर गई, लाखों जिंदगियां अगर उसमें तबाह हो जाएंगी। दोषी कोई नहीं होगा, दोषी सिर्फ भ्रष्ट भाजपा शासित नगर निगम होगी। एक–एक मौत की जिम्मेदार भ्रष्ट भाजपा शासित नगर निगम होगी

जो इन बिल्डरों को बिना नक्शे पास किए, बिना उसकी नींव जाँचे बिल्डरों को जो है, वो बनाने की इजाजत दे रही है।

अध्यक्ष जी, मैं हाथ जोड़कर कहूँगी कि ये आवाज दबा नहीं पाएंगे क्योंकि आवाज दर्ज हो गई है और मैं दुबारा कहूँगी कि ये जो इमारतें मैंने बताई हैं, ये बिल्डर इमारतें नहीं हैं, ये वो इमारतें हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं। जिनके घरों में दरार है और ऊपर बिल्डर फ्लैट खड़े कर दिए इन्होंने, मोटा माल नगर निगम में लेकर और आज ये रोना रोते हैं सीलिंग का! लेकिन हाँ मकानों में जाकर नहीं देखते हैं कि लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इतने हंगामे के बाद भी तीसरा दिन है, मैं अपनी बात को, अपने लोगों की बात को और उनकी जिंदगी बनाई है तो अपनी बात को रखने में कामयाब हुई हूँ और शर्म आनी चाहिए भाजपा के इन चारों विधायकों को जो क्षेत्र के लोगों ने इन्हें अपनी समस्याओं को उठाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं चाहूंगी इन चारों भाजपा के विधायकों का चेहरा देखिए। इनकी विधान सभा के लोग देखें कि इन्हें आपने किसलिए चुनकर भेजा था। इन भाजपा के चारों विधायकों को पहुंचाया था कि आपकी समस्याएं उठाएंगे, आपकी बात रखेंगे लेकिन आपके चारों विधान सभा के राजौरी गार्डन के खास तौर से कहूँगी, दुबारा मौका मिला राजौरी गार्डन के विधायक की शक्ल दिखाइये, हंगामा कर रहे है जब कि इन्हें राजौरी गार्डन के लोगों की, क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को यहां पर रखना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए अपने लोगों के साथ धोखा कर रहे है!

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। जगदीप सिंह जी (अनुपस्थित)। मनोज कुमार जी।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया और जैसे कि ये भाजपा के साथी...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कोई बात नहीं, ये बोलते हैं, आप जारी रखिए।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः जैसे ये भाजपा के साथी शोर मचा रहे हैं कि मौतों का हिसाब दो...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बाकी माननीय सदस्य जरा शांत हो जाएं।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः कोंडली विधान सभा के अंतर्गत जो गाजीपुर क्षेत्र में लैंडफिल साइट है, जिसके खिसकने की वजह से जो दो बच्चों की मौतें हुई, जिसका सीधा–सीधा इल्जाम ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बिल्कुल नहीं दे सकते।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः वो सारा गया, वो भाजपा की नगर निगम...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं कह रहा हूं कि मुझे दे दीजिए। नहीं–नहीं, मुझे दे दीजिए। मैं एलाउ नहीं करूँगा।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार: जो हादसा हुआ, वो पूरा का पूरा...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे दे दीजिए आप। मैं स्वीकार करूंगा दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार: आज तक उन दोनों बच्चों की शाहदत का कोई मुआवजा भाजपा की इस सरकार ने नहीं दिया उन्हें। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी इस सरकार का जिन्होंने 15–20 दिन के अंदर उन दोनों बच्चों.

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे दे दीजिए। हाँ नहीं देने दूंगा। वहां मैं एलाउ नहीं करूंगा।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार: कि ये हिसाब दें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे दे दीजिए। किसी सभा का अध्यक्ष जो है, सबसे निश्पक्ष व्यक्ति होता है। आप मुझे दे दीजिए, मैं एक्ससेप्ट करूंगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, वहां नहीं दूंगा। मैं वहां एलाउ नहीं करूंगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं तो छोड़ दीजिए...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भैया, मेरी बात सुनिए। यहां सदन का हैड जो है अध्यक्ष होता है। आपने जो विरोध करना है, मुझे दे दीजिए। नहीं, अब ये छोड़िए। चलिये, मनोज जी।

कृ(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए मनोज जी, मनोज जी...

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः अध्यक्ष जी, मैं अपनी कोंडली विधान सभा के हूँ

अध्यक्ष महोदयः मैं रैन बसेरो के...

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः गाजीपुर सैनेट्री फिल साइड से जो हुए हैं हादसे, लैंडफिल स्लाइड से ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मनोज जी चलिए...

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः उसके कारण... डायवर्ट किया गया, हूँ

अध्यक्ष महोदयः मैंने अपना निर्णय दे दिया।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः उससे आम जनता को....

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्ष के निर्णय को चैलेंज करते है। आप मुझे दे दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार: लैंड स्लाइड होने की... कोंडली मोड़ से हिण्डन कैनाल...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पॉलिटिक्ल एजेंडा मैं एलाउ नहीं करूंगा। आप मुझे दी दीजिए। सदन के अध्यक्ष को। आपको न्यूज बनानी है ये बना लीजिए.

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप न्यूज बनाइये। मुझे...

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार: डाइवर्ट करके मुल्ला कॉलीनी, राजबीर कॉलोनी और कोंडल एक छोटी सी...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे दे दीजिए। दीजिए। हां, चलिए चलिए मनोज जी।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार: जो सड़क मात्र 12 से 15 फीट की सड़क है। सारा का सारा मेरा और गाजियाबाद का ट्रैफिक उस रूट पे डाइवर्ट कर दिया...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हां, मुझे दे दीजिए।...

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार: जिससे कोंडली हूँ

अध्यक्ष महोदय: चारों ले आइए... एक नहीं, फिर उसके बाद शांति से बैठें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ना, आप चारों आएं। नहीं, ऐसा नहीं, आप बैठ जाएं, वो बोलते रहें। चारों ले आइये, चारों के मैं साथ–साथ लूंगा और बैठिए आराम से।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप चारों से कहिए ना।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने रीजन दे दिया, सुना दिया। मैंने रीजन दे दिया, मैं एलाउ नहीं कर रहा हूँ। मैं एलाउ नहीं कर रहा हूँ।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्यों का कोई उत्तर नहीं है। ये मेरा अधिकार है। ये मेरा अधिकार है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हां, बस। ये मेरा अधिकार है। बैठिए, चलिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई देखिए, ये चीज, सिरसा जी, ये चीज गलत है। कृपया कुछ तो यहां का महत्व...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप चारों मुझे इकट्ठा दे दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप चारों दे दीजिए मुझे।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मैं रीजन देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं लॉ बुक के अनुसार चल रहा हूँ। लॉ के अनुसार मैंने उसको नहीं टेकअप किया। उसमें क्लीयर लिखा है कि अध्यक्ष की, ये अध्यक्ष की इच्छा पर है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने कब कहा?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने पढ़ लिया है। चलिए मनोज जी। नहीं, मैं अब इसको, मनोज जी, आप चलिए।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार : अध्यक्ष जी, हूँ

अध्यक्ष महोदयः मनोज जी आप जारी रखिए मत रूकिये।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार: लैंड स्लाइड होने के कारण रूट बंद किया है कोंडली के अंदर जिससे पूरा यातायात कोंडली की एक छोटी सी सड़क पे डायवर्ट कर दिया है। मुल्ला कॉलोनी, राजबीर कॉलोनी और कोंडली जो कुल 10 से 12 फीट की सड़क है जिस पे सारा मेरा, गाजियाबाद का, इन्द्रा पुरम का, कौशाम्बी, वैशाली का रूट आ रहा है, प्रैशर आ रहा है जिससे कई हादसे हाँ हो चुके हैं मैंने कई बार इस सड़क को लेकर कई पत्र व्यवहार किया एलजी महोदय से कि उस रूट को जल्दी से जल्दी खोल दिया जाए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ऐसा है विजेन्द्र जी, जो आज 33 मिनट जो खराब हुए हैं, अब मैं सरकार से आग्रह

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार: वापस अपनी पुरानी सड़क पर पहुंच जाए। जिससे कोई हादसा हाँ न हो सके।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ऐसा कुछ नहीं है। अब चलिए...

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार: परंतु वहां से राहत नहीं मिली तो आज मुझे इस सदन में बात रखने का अवसर दिया है आपने।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा है आप कभी किसी प्रकार से सहमत नहीं होते। आप सहमत नहीं होते। 351, नहीं सहमत होते। नहीं...

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः मैं आपसे निवेदन करता हूं अध्यक्ष जी कि यहां पर बैठे... संज्ञान लें कि जो रोड डाइवर्ट हुआ है कोंडली का...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप कहीं भी सहमत नहीं होते।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः उसको जल्दी से जल्दी खोला जाए। कोंडली की जो लैंडफिल साइट...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः 351 सड़कों पर मैंने कहा, मैं चर्चा करवाऊंगा, जवाब दिलवाऊंगा, आप सहमत...

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः उपराज्यपाल महोदय और माननीय एनजीटी के आदेश हूँ।

अध्यक्ष महोदयः गोपाल जी ने कहा...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ना। चलिए...

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः परंतु नगर निगम ने उनके आदेश की अवहेलना की है और लैंडफिल साइट पे गाजीपुर पे लगातार कूड़ा डाला जा रहा

है जिससे दुबारा भी कोई दुर्घटना होने की पूरी आशंका बनी हुई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं तो नहीं कह रहा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सम्मानित तरीके से बैठिये।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार: जो मेरा बंद हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: मैं कह रहा हूँ, कंबल मुझे दे दीजिए, लाइये। आप कंबल लाए हैं, मुझे दे दीजिए। चलिए...

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार: पूरा कोंडली विधान सभा परेशान हो रखा है जाम के कारण अब लैंडफिल साइट पे एमसीडी ने पूरा कब्जा करके अच्छे से अपना कूड़ा, मलबा पूरी पूर्वी दिल्ली का उसमें लैंडफिल साइट पे डाल रहे हैं परंतु पीडब्लुडी का कूड़ा नहीं डालने दिया जा रहा है जिससे पीडब्लूडी के सारे नाले ओवरफ्लो हो रखे हैं, सीवर सिस्टम खराब हुआ हुआ है। पूरी कोंडली विधान सभा के अंदर नाले इतने ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं कि स्कूलों के बाहर पानी भरा हुआ है। पूरी कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। अधिकारियों को कहा जाए कि पीडब्लुडी के, तो वो एक बहाना बनाते हैं कि जी, लैंडफिल साइट पे हमारा कूड़ा नहीं डालने दिया जा रहा, इस वजह से नालों की सफाई नहीं हो पा रही और जिससे पूरी कोंडली की

जनता त्रस्त है और कोंडली की नहीं, पूरी पूर्वी दिल्ली की जनता त्रस्त है ...(व्यवधान) कि पीडब्लूडी के नालो की अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही है। कारण वही है।

अध्यक्ष महोदय : हाँ करिए आप।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः रोज कर रहे हैं आप, नई बात थोड़ी है, आज भी करिए।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः कि उपराज्यपाल महोदय और माननीय एनजीटी के आदेशों की जो अवेहलना नगर निगम ने की है, उसपे कूड़ा बंद कर दिया था, उसके बावजूद नगर निगम कूड़ा डाल रही है, ये हादसा दुबारा न हो, लैंड स्लाइड न हो, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसको तुरंत बंद कराया जाए और मेरे यहाँ से जिस रोड को बंद किया गया है, उसको खोला जाए। बहुत–बहुत आभार, बहुत–बहुत धन्यवाद।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिए माननीय सिरसा जी, मेरा ये कहना है, मैंने बार–बार ये निर्णय लिया है और बार–बार इसको आग्रहपूर्वक कहा है। आज लगभग 40 सदस्यों ने 280 के लगाए थे और बड़ी मेहनत करके... आपने उसके समय को डिस्टर्ब कर दिया। कल भी ये मुद्दा उठा था, कल शांतिपूर्वक सदन चला, कल भी ये मुद्दा उठाया था।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः किसे? बहुत जरूरी विषय है, बहुत जरूरी विषय है। नहीं, मैं अभी 280 के बाद बात करूंगा, आफ्टर 280, आफटर लैट दी 280 बी कम्पलीटेड। लैट दी 280 बी कम्पलीटेड। 280 पूरा होने दीजिए। मैं बात करता हूँ, क्या विषय आता है। मैं आपसे बात करूंगा ना। आश्वासन दे रहा हूँ। मैंने कल भी कहा था, परसों भी आपसे कहा था आई कांट कम्पैल एनीबॉडी टू गिव दी आन्सर, आई कान्ट कम्पैल एनीबॉडी, मैं 280 के बाद, आपको बात करने का मौका दूंगा, आप बार–बार कहते हैं, 'सरकार से जवाब दिलाइए।' आई कान्ट कम्पैल एनीबॉडी, बैठिए प्लीज, कोई नियम नहीं है। कोई ऐसा नियम नहीं है। मैं सरकार को बाध्य करूँ। किस बात के लिए उत्तर दें? आप बैठिए प्लीज, आप कह रहे हैं ना, आपने वैल में आकर बोल तो दिया सब कुछ, आपने वैल में आकर बोला है ना।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या?

अध्यक्ष महोदयः क्या–क्या बोला है आपने? बैठिए, बैठिए प्लीज। बैठिए श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने कहा 280 के बाद आपको समय दूँगा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, '280 के बाद समय दूँगा।' विजेन्द्र जी, मैंने कहा 280 के बाद, आप जो कहना चाहते हैं, मैं समय दूँगा। 280 के बाद दूँगा, उससे पहले नहीं दूँगा, आप बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। विजेन्द्र जी, मैं बार–बार कह रहा हूँ, '280 तीन बजे तक मुझे पूरा करना है।' आपने आधा घंटा पूरा कर दिया, खराब कर दिया आधा घंटा, मैंने आपसे कह लिया। 280 पूरा करने पर मैं आपकी बात सुनूँगा। मैं पहले से कह रहा हूँ। 15 मिनट

ओर खराब कर दिए आपने, ये हमेशा कहता हूँ मैं। विजेन्द्र जी। चलिए महेन्द्र जी, आप बोलिए, प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयल: धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगाः

''काम करो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे लोटने का इंतजार करें,

न करो अनर्थ कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें।''

कुछ तो पहले मिट गए। चार रह रहे हैं। ये तो कम से कम मिटने की कोशिश न करें। जनता की आवाज है, जनता को सुनने दें। यहाँ पर इतने विधायक बैठे हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए, उसका ध्यान रखना चाहिए।

धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं आपके माध्यम से सदन के अंदर एक ऐसा क्वैश्चन उठा रहा हूँ जो देश की सबसे मॉर्शल कौम हुई है सिख कम्युनिटी, सिरसा जी, खुश हो जाओ। सिख कम्युनिटी एक ऐसी रही है जिन्होंने देश के लिए अपनी बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। दिल्ली के अंदर सिखों के बच्चे भी पढ़ते हैं और दूसरी कम्युनिटी के बच्चे भी पढ़ते हैं, जिसके लिए सरकारी स्कूल हमारे बच्चों को, वर्दी भी देते हैं कॉपी पेन्शन के लिए भी, उनकी बैल्ट के लिए भी सरकार एक राशि मुहैया करवाती है। लेकिन सिख बच्चों के लिए बड़ी... पूरे देश के लिए यही है, जिनकी अनदेखी हो रही है। सिखों की पहचान है उसकी पगड़ी।

इस सदन के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उन बच्चों की अनदेखी न करके उन बच्चों के लिए पगड़ी के लिए जो सिख बच्चे हैं, उनके लिए एक एक्स्ट्रा राशि मुहैया कराई जाए जिससे

की देश के अंदर एक मैसेज जाए कि जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर इस देश को आजाद करवाया है और आज भी सिख कम्युनिटी देश के हर अच्छे कार्य के लिए खड़े रहती है तो उनको एक सम्मान के रूप में, जो पगड़ी उनको मिलनी चाहिए, उन बच्चों के लिए तो इस एक्स्ट्रा राशि का वो प्रावधान करवाया जाए, मेरा इस सदन के माध्यम से शिक्षा मंत्री से ये अनुरोध है, विनती है कि इस अपील को आप स्वीकार करें, जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंहः नमस्कार अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

श्री जरनैल सिंहः गोयल साहब ने जो प्रस्ताव दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और धन्यवाद करता हूँ। गोयल साहब ने, जैसा दिल्ली सरकार हर आदमी की हर जायज जरूरत में काम कर रही है तो हमारी कम्युनिटी के बारे में, उन बच्चों के बारे में सोचा तो मैं धन्यवाद भी करता हूँ और मैं भी इसका पूरा समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंहः जनरैल भई ने बिल्कुल ठीक कहा है...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई अब नहीं, प्लीज अखिलेश जी, मुझे ये 3 बजे तक पूरा करना है, अखिलेश जी, बैठिए प्लीज, जगदीप जी, शुरू कीजिए आप।

श्री जगदीप सिंहः सर, महेन्द्र गोयल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन न कि जरनैल भाई, न कि मैं, न कि अवतार जी, न सिरसा जी,

पूरी सिख कम्युनिटी उनका धन्यवाद करती है जो उन्होंने ये बात यहाँ पर रखी है। एक शिक्षा मंत्री से हम सबका आग्रह रहेगा कि इसपे तवज्जो दें और इमीजिएटली इसको करें। एक ओर बड़ा इश्यू सर, पूरी दिल्ली में, सब लोग बहुत दिक्कत फेस कर रहे हैं, वो है आधार कार्ड बनने में और दूसरी चीज कि आधार कार्ड की सीक्रेसी, ये 2 इम्पोटैण्ट सब्जैक्ट जो हैं, बहुत ही सीरियस इशूज हैं, जिसपे पहले क्या होता था कि आधार कार्ड की मशीन जगह–जगह पे लगी होती थी कोई 400 रुपए कोई 500 रुपए कोई 600 रुपए जो मनमाने चार्जिज लेके आधार कार्ड बना रहे थे, उसपे हमारी सरकार ने और केन्द्र ने बैंको को ये जिम्मेवारी दी लेकिन बैंकों का इन्ट्रेस्ट जो है, वो अपने बिजनेस में है, न की आधार कार्ड बनाने में। तो लोगों की लाइनें लग रही हैं हाँ पर। उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है हाँ पर। आधार कार्ड उनके नहीं बन रहे। दूसरी इर्म्पोटैण्ट जो इसमें है, इसमें जो लीक ऑफ सीक्रेसी हो रही है, इसका डाटा जितना भी है, वो कम्पनिज को रिलीजकृ किस तरीके से वो जाके मिल रहा है, वो बहुत खतरनाक है। उसमें क्या है कि आज रैस्टोरैंट तक आपका आधार कार्ड मांगते हैं, आपका एड्रेस वैरीफिकेशन लेते हैं, आपका फोन का वैरीफिकेशन लेते हैं। वो जो...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ये तो 280 में है लॉटरी से आया है, फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। भईया, वो लॉट आफ ड्रा से निकलता है, मेरे हाथ में थोड़े ही है, वो तो हाँ लॉटरी से निकलता है दो सौ अस्सी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए विजेन्द्र जी, इतना तो ख्याल रखिए। मैं इस चीज पे गलत कर रहा हूँ। विरोध ठीक है, उचित होता है। चलिए।

श्री जगदीप सिंहः सर जी, बहुत इम्पोटैंण्ट है, सर मेरा 280 लगा हुआ है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिए मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है, जो लिख के दिया हुआ है, उस पर रहिए, जो लिख के दिया गया था, जो लिख के दिया जाता है, उस पर रहिए बस।

श्री जगदीप सिंहः सर, ये जो आधार कार्ड का डाटा जो है हमारा बैंक से लिंक हो रहा है, हमारे फोन से लिंक हो रहा है, हमारे हर घर की जितनी भी एसैटस हैं, चाहे वो प्रोपर्टी है, चाहे कुछ भी आदमी के मूवेबल, इम्मूवेबल जितने भी एस्सेटस हैं, वो सब आधार कार्ड से लिंक किए जा रहे हैं लेकिन वो आधार कार्ड के डाटा से कोई भी उसको हैक करके आज की डेट में कम्प्यूटर से निकाल रहा है। और उसकी वजह से एक आदमी की पर्सनल्स सारी इंफोर्मेशन जो है वो इतनी ज्यादा पब्लिसाइज हो रही है कि आने वाले टाइम पर इस पर बहुत बड़ा ई–क्राइम शुरू हो जाएगा जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बाहर के देशों में जो भी है फिंगर प्रिंट लगाने के उपर जो है, आदमी का कोई भी डाटा रिवील होता है। हमारे यहाँ पर जो सिर्फ 16 नंबर का डाटा है, सिर्फ 16 नंबर डालते ही उसका सारा इन्फोर्मेशन निकल के आ जाता है। ये बहुत खतरनाक है। तो मेरा आपसे आग्रह है पूरी सरकार से आग्रह है कि यह बहुत ही सीरियस मुद्दा है। इसको केन्द्र सरकार से बात करके इस पर जो भी कड़े से कड़े वो उपाय करने हैं, वो किए जाएं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री अनिल कुमार वाजपेयी जी। भई महेन्द्र जी अब नहीं प्लीज। मैं ये 10 पूरे नहीं हो पाएंगे, प्लीज।

श्री अनिल वाजपेयीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने 280 में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ये बहुत गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो मेरी विधानसभा में भी है और ईस्ट दिल्ली की लगभग सारी विधानसभाओं में है।

हाउस टैक्स जो हमारा गृहकर विभाग है, जिन उपभोक्ताओं ने अपना हाउस टैक्स जमा करा दिया है और उन लोगों ने रसीद कटा ली, ऑनलाइन जमा करा दिया, उन्हीं हाउस टैक्स के जो भी हमारे कंज्यूमर हैं, उन सबके पास नोटिस आता है कि आप अपना हाउस टैक्स का रिकॉर्ड डाटा लेकर आएं। जब कंज्यूमर ने हाउस टैक्स जमा करा दिया है तो अगर बाकी है, उसका नोटिस तो बनता है। लेकिन अगर बाकी नहीं है और आप उसका हाउस टैक्स मांग रहे हैं, तो ये उनकी कार्यप्रणाली और काम पर प्रश्नचिन्ह काम लगाता है। एक बात सर, मैं और कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमको ये बताया जाए कि कितना हाउस टैक्स आज तक पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जो हमारी पटपड़गंज विधानसभा, लक्ष्मी नगर, कोंडली, त्रिलोकपुरी, कृष्णा नगर, विश्वास नगर, रोहताश नगर, सीलमपुर, शाहदरा विधानसभा और घौण्डा, सीमापुरी इन सारे विधानसभाओं में एमसीडी के द्वारा कितना हाउस टैक्स जमा कराया गया और कितना हाउस टैक्स उपभोक्ताओं के उपर बाकी है। इसकी जानकारी क्योंकि हम लोग मांग–मांगकर थक गए आरटीआई से, एक लाइन का सर, एक जवाब दे देते हैं। हम लोगों ने, एमसीडी के अन्दर मैं मेम्बर भी हूँ, हमने ये बात वहां भी रखी है। लेकिन गोलमोल जवाब दे दिया है और ये पूर्वी दिल्ली के लिए बहुत बड़ा गंभीर विषय इसलिए भी है कि स्प्रिट आफ एमसीडी में आज ईडीएमसी के पास नहीं है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो हाउस टैक्स है, उसका क्राइटेरिया क्या है और इसका सर डाटा, अगली बार विधानसभा में उपलब्ध कराया जाए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। शिव चरण गोयल जी।

श्री शिव चरण गोयलः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय जी। मेरे क्षेत्र में एमसीडी, मैंने कम से कम भी 48 सड़कें दो साल पहले एमएलए फंड से दी थी जो एनआईटी लग चुकी है, उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर रहे हैं और कई जगह पर सड़कें खोद के डाल दी हैं। एक–एक साल तक सड़क बन नहीं रही। हाँ पर लोग गिर रहे हैं, चोट खा रहे हैं, उसके बावजूद भी, मैं कमिश्नर से और डिप्टी कमिश्नर से मिल चुका हूँ, उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नही हो रहा है। जनता परेशान है आरआर कट, जो जल बोर्ड ने पाइपलाइन डाली है, वो सब खुदे पड़े हैं। उसका पैसा भी गया हुआ है। उसकी भी सड़कें नहीं बन रही। पूरा क्षेत्र एमसीडी से परेशान है और हाँ की जनता हम एमएलए को बदनाम कर रही है कि एमएलए काम नहीं कर रहा। फंड देने के बावजूद भी ये स्थिति आ चुकी है। अब इसके अन्दर तो मैं आपसे ये ही गुजारिश करूँगा कि कम से कम भी एमसीडी कमिश्नर, नॉर्थ एमसीडी को बुलाकर ये पूछा जाए कि ये दो साल से ये सड़कों के पैसे गए हुए हैं, मेरे फंड से पैसे गए हुए हैं, उसके बावजूद भी क्यों कोई एक्शन नहीं हो रहा? आप इस पर उचित कार्रवाई करवायेंगे तो बहुत शुक्रिया होगा जनता का। बहुत–बहुत धन्यवाद आपका।

अध्यक्ष महोदयः श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्रीः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान द्वारका विधानसभा में एक इलीगल तरीके से चलती हुई नसीरपुर मंडी की तरफ ले जाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ये नसीरपुर मंडी पिछले 8–10 वर्षों से हाँ काम कर रही है और इसमें लगभग डेढ़–दो सौ हाँ पर छोटे फुटकर के काम करने वाले, हाँ पर इस समय कारोबारी बैठे होते हैं। यहाँ पर एपीएमसी के माध्यम से लगभग चार साल पहले कुल मिलाकर 60 लोगों को लाइसेंस दिया गया था और वो लाइसेंस डेढ़ साल पहले रद्द कर दिया गया और उन सबको ये बोल दिया गया कि केशोपुर मंडी जाकर वो लोग अपना हाँ पर स्थान ले लें। वो तो उन्होंने नहीं किया बल्कि साथ में ये 60 दुकानदारों ने सब–कान्ट्रैक्ट करके और छोटे फुटकर दुकानदारों को वहाँ बैठा दिया। जिसका नतीजा ये है कि आज वहां डेढ़ सौ से अधिक छोटे फुटकर सब्जी के बेचने वाले दुकानदार बैठे हैं और अध्यक्ष महोदय, ये नसीरपुर मंडी लगभग 19 सोसायटी के फ्लेट्स के चारों तरफ बन गई है। इसमें लगभग साढ़े अठ्ठारह हजार लोगों की आबादी की हाँ पर जनसंख्या हो गई है और इस मंडी की वजह से उन लोगों का जीना वहां पर दुश्वार हो गया है। हाँ पर ये फुटकर दुकानदार जो बैठते हैं, उसकी वजह से सुरक्षा की समस्या हो गई है, गंदगी की समस्या हो गई है, वातावरण के प्रदूशण की समस्या बहुत गंभीर हो गई है, बीमारी से महामारी की समस्या बहुत बड़ी गंभीर हो गई है और इस बात का जिक्र मैं कई बार एसडीएमसी के कमिश्नर साहब से और दिल्ली प्रशासन के डीसी साहब से कर चुका हूं और उसके बावजूद इसके ऊपर अभी लगभग पिछले पौने तीन साल से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि दिल्ली प्रशासन को और एसडीएमसी को आदेश किए जाएं कि जब ये पूरी तरह से अवैध रूप से मंडी है हाँ पर तो किस तरह हाँ पर उसको चलने दिया जा रहा है और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उनको केशोपुर क्यों नहीं भेजा जा रहा

है कि जिससे मेरे क्षेत्र में रहने वाले लगभग 19000 लोगों को राहत मिल सके। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः विषेष रवि जी।

श्री विशेष रविः धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सदन के सामने अपने क्षेत्र में पनप रही एक बहुत बड़ी समस्या को रखना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, करोल बाग और पहाड़गंज के अन्दर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से बने हुए मसाज पॉर्लर और हाँ हो रहे अवैध कामों की जानकारी मैं यहां रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, करोल बाग और पहाड़गंज में कुल मिलाकर लगभग 400 मसाज पॉर्लर खुल गए हैं। इनका नाम तो ये स्पॉ लिखते हैं लेकिन अन्दर सभी तरह के गलत काम होते हैं। लगातार क्षेत्र से आ रही शिकायतें, लोगों के द्वारा मिल रही शिकायतें, आरडब्ल्यूए के द्वारा मिल रही शिकायतों को जो हमारे डीसी है करोल बाग के, उनके पास कई बारी इस शिकायत को पहुंचाया गया लेकिन उनके द्वारा एक बार भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। लगभग शुरू में इनकी संख्या बहुत कम थी लेकिन इस समय ये पूरा माफिया क्षेत्र में काम कर रहा है और उसमे जानकारी ये मिल रही है कि ये लोग जो ये काम कर रहे हैं, जो इन मसाज पॉर्लर्स को चला रहे हैं जिसमें सभी तरह के अवैध काम हो रहे हैं, ये दिल्ली से नहीं हैं। ये लोग बाहर से हैं और यहाँ पर आकर, किराये पर जगह लेकर इन कामों को कर रहे हैं और एमसीडी के सभी अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है।

मेरी आपके माध्यम से ये प्रार्थना है कि डीसी महोदय इसके लिए जिम्मेदार हैं, करोल बाग जोन के डीसी इसके लिए जिम्मेदार हैं। लगातार

शिकायत करने के बाद भी वो इन को बंद नहीं रहे हैं। वैसे तो एमसीडी ने पूरी दिल्ली के अन्दर सीलिंग अभियान छेड़ा हुआ है, गैर कानूनी कामों को ले के। लेकिन जहाँ साफ साफ गैर कानूनी काम हो रहे हैं और लोगों की शिकायत भी है, उसके बावजूद भी इनपे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरी प्रार्थना है कि इस बात के लिए डीसी महोदय, करोल बाग के डीसी को जिम्मेदार ठहराते हुए, उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन मसाज पॉर्लर्स को तुरन्त बंद कराया जाना चाहिए। बहुत बहुत भुक्रिया।

अध्यक्ष महोदयः सोमदत्त जी, नहीं हैं, नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपने नियम 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। ये बात मैं उठाना चाहता था अपने क्षेत्र की जहां पे पीडब्ल्यूडी रोड्स का मसला है। एक नया नियम आया है ईडीएमसी का कि पीडब्ल्यूडी, जो भी कचरा है जैसे उनके नालों की डिसिल्टिंग का, वो कहीं पे भी ईडीएमसी के डम्प्स में जाके वो डिपोजिट करा करते थे। वो ईडीएमसी के डम्प्स में अब डिपोजिट नहीं कर सकते। तो जब पीडब्ल्यूडी के पास कोई ऐसी जगह नहीं, जहाँ पे कचरे को डिपोजिट किया जा सके, बरसात हुए कई महीने हो चुके पर आज विकास मार्ग पे सर, पानी भरा होता है क्योंकि पीडब्ल्यूडी असहाय है कि उस कूड़े को निकाल के कहाँ पे ले जा के फैंके। हाँ से निकालके खत्ते में भी डालने नहीं दिया जाता। हर जगह पीडब्ल्यूडी के जो कैरियर्स हैं, जो कूड़ा उठाके ले के जाते हैं, उनका चालान काटने के लिए एमसीडी घूम रही है। मतलब इसमें प्योर राजनीति है कि किसी भी तरीके से सर, पूरा सीक्वेंस ऐसा है कि गलियों की जो नालियां हैं, वो आगे पीडब्ल्यूडी के नाले में गिरती हैं। पीडब्ल्यूडी का नाला साफ नहीं करोगे वो चौक रहेगा, अन्दर की नालियां चौक रहेंगी। तो एक तो काम नहीं करना पड़ता है, ये पार्षदों को और एमसीडी को।

दूसरा, बात बात पे ये कहना होता है कि भई पीडब्ल्यूडी का नाला चौक है, हमारा नाला आगे कैसा जाएगा? पहले तो अन्दर की गलियों के नाले भरे ही नहीं होने चाहिए। चाहे छोटे नाले भी हों, वो तो स्ट्रॉंग वाटर ड्रेन्स हैं। बारिश का पानी हो कुछ एक्सट्रा पानी हो तो जाए वो क्योंकि जो ये सुबह सफाई कर्मचारी होते हैं उनके भी उठाने का कूड़ा उठाने का कोई प्रावधान नहीं है वो नालियों में डाल देते हैं कूड़ा। तो नालियों से कूड़ा जाके पीडब्ल्यूडी के नालों में गिरता है जिससे वो नाले चौक हो जाते हैं। उन्हें डिसिल्ट करने का कोई आज की तारीख में तरीका नहीं रह गया। और करवाया भी हमने विकास मार्ग पे, तो अब विकास मार्ग से उठ नहीं पा रहा है वो कूड़ा। लेकिन उठाके लेके कहाँ जाएंगे, कोई जगह नहीं है जहाँ पे जा के डिपोजिट हो सके। और ये सिर्फ मेरे यहां पे नहीं, ये पटपड़ गंज में भी ये ही प्रोब्लम होगी, ये रोहतास नगर में, मेरी सरिता बहन से बात हो रही थी, उनसे भी ये पूरी दिल्ली में ये प्रॉब्लम आ रही है। ये तो साफ सीधी राजनीति है और इसके अगेंस्ट सर, हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो पीडब्ल्यूडी को जगह दीजिए, कुछ भी कीजिए, लोगों का बहुत बुरा हाल है। मैं भी इसी में अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि यही मुद्दा मेरा भी 280 में था कि पीडब्ल्यूडी के नाले पूरी तरह से चॉक्ड हैं और गाजीपुर मेरे यहां पे एक क्षेत्र है, जिसमें सीएम साहब खुद भी आए थे, पूरा गाजीपुर गोबर से तैर रहा है सर, क्योंकि सारे नाले चॉक्ड हो रखे हैं और गाजीपुर डेरी फार्म के जो भैंसे, जो डेरियां चल रही हैं, वो पानी के प्रैशर से नालियों में गोबर बहाते हैं जिससे पूरा गाजीपुर चॉक्ड हो रखा है। अभी सीएम साहब ने परसो संज्ञान लिया और सारे अधिकारियों को भी बोला कि उसका निवारण हो। लेकिन निवारण तभी हो, जब वो नाले साफ हों और वो पीडब्ल्यूडी सिल्ट को उठाके कहीं पे डम्प करे। तो अनुरोध

है आपसे स्पीकर साहब, कि इसपे संज्ञान लें ताकि इसका निवारण हो सके।

अध्यक्ष महोदयः ये जो समस्या नितिन त्यागी जी ने उठाई है, इससे सभी विधायक परेशान हैं। पिछले एक महीने से नालों की डिसिल्टिंग इसलिए नहीं हो पा रही कि मलबा उठाने के लिए ईडीएमसी नहीं डालने दे रही है। इस पर मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूँगा कि एक बार एलजी से मिलकर इस समस्या का बहुत जल्दी कुछ निदान निकालें। एनडीएमसी में भी ये ही पोजिशन है, साउथ तीनों हैं। इमसें बहुत सीरियस मैटर हो गया है ये और इसको एलजी से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। जनता को वास्तविक्ता का पता लगना चाहिए कि एमसीडी दिल्ली की क्या कर रही है, क्यों कूड़ा नहीं डालने दे रहे। जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधानः सर, मेरा विषय अलग है। सर, पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने मुझे बोलने का, अपनी बात कहने का समय दिया। जो चर्चा दो दिन यहां सीलिंग को लेकर हुई, मैं आपका ध्यान जो किसी ने यहां मुद्दा नहीं उठाया, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। दिल्ली में करीब दो हजार अनॉथराइज कालोनी हैं जिनमें शादी करने के लिए कोई भी बारात घर नहीं है।

श्री सौरभ भारद्वाजः अब शादी करेंगे ये।

अध्यक्ष महोदयः भाई, दो मिनट बोल लेने दीजिए इनको।

श्री जगदीश प्रधानः अरे भाई सुन लीजिए आप बैठे हैं वहां नई दिल्ली। मैं उन गरीबों की बात कर रहा हूँ जहां 15 लाख परिवार शादी करने के लिए मजबूर हैं। जिनके लिए कोई बारात घर नहीं है और मैरिज होम उनके एमसीडी ने सील कर दिए हैं। अब तो ताली बजाओगे मगर एमसीडी सील क्यों कर रही है, उसकी मैं जानकारी आपको देना चाहता

हूँ कि अभी हफ्ते बाद शादियाँ शुरू होने वाली हैं और जिन अनॉथराइज कालोनियों में कोई मैरिज होम नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी, कोई बारात घर नहीं है, कोई समुदायिक केन्द्र नहीं है, मैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि उनको नोटिस देकर एडीएम रेवेन्यू ने उनसे पैसे की डिमांड की और जब पैसे की डिमांड पूरी नहीं हुई तो उनकी लिस्ट बनाकर ये मैं आपको दे रहा हूँ, वो एमसीडी को दे दी कि इनको सील कर दें आप। तो आपके माध्यम से सरकार से मेरा इतना निवेदन है कि इसपे संज्ञान लिया जाए क्योंकि जब शादियाँ होंगी तो लोग गलियों में करेंगे। गलियों में करेंगे तो जाम लगेगा तो मेरी आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो गरीब आदमी, जो छोटे छोटे मैरिज होम्स हैं, कोई 25 हजार रुपये लेता है कोई 21 हजार रुपये लेता है, उसमें शादियां कराता है। गरीब आदमी उमराव में जाके शादी नहीं कर सकता, जीटी करनाल रोड पर जा के शादी नहीं कर सकता। उनको अपने क्षेत्र में शादियाँ करनी पड़ती हैं और हाँ कोई भी जगह नहीं है। अगर आज सदन सहमत है, न हो तो ये कह दें कि मैं गलत कह रहा हूँ और सहमत हैं तो इस बात का संज्ञान लिया जाए और दिल्ली सरकार इस तरह के निर्णय न ले कि उनको एमसीडी को हेंड ओवर करके कि भई, इनको सील कर दो। इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़के।

श्री सौरभ भारद्वाजः जगदीश जी, आपका तो नहीं है न इसमें।

अध्यक्ष महोदयः नहीं भाई, देखिए सौरभ जी, व्यक्तिगत नहीं प्लीज। सौरभ जी, ये व्यक्तिगत मामला नहीं प्लीज। बैठिए, बैठिए।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो एमसीडी के शादी घर हैं, उन्होंने उसके इतने किराए बढ़ा दिए हैं कि गरीब आदमी उसमें शादी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि सदन इसपे

संज्ञान ले और एमसीडी पे दबाव बनाए कि उसके रेट्स कम किए जाएं क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। 27–27 हजार रुपये ले रहे हैं हाँ पर वो एक एक शादी समारोह के। कौन गरीब आदमी कर पाएगा! पहले 8 हजार था फिर 12 हुआ बढ़ के और आगे बढ़ गया है तो मैं आपसे ये ही अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, बहुत संक्षेप में अपना विषय रख लीजिए।

ध्यानाकर्षण (नियम–54)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा ये अनुरोध है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियम– 54 में हमने कल भी और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए जनहित के मामले में ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है और हम मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी ने क्योंकि इसपे ट्वीट भी किया है; 44 लोगों की मौत हुई और इस पर मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया ***'Media reporting 44 deaths of homless due to cold.'*** ये मुख्यमंत्री जी ने खुद माना ***'I am issuing notice to CEO, DUSIB. Negligible deaths last year' This year LG appointedA useless officer. LG refuses to consult us before appointing officers. How do we run government like this?'***

तो इसमें तीन बाते बड़ी साफ आ रही हैं। पहली बात ये है कि ठंड से 44 लोगों की मौत हुई और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं सीईओ को नोटिस इश्यू कर रहा हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि वो नोटिस इश्यू हुआ कि नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले साल नेग्लिजिबल डेथ हुई थी ठंड से। इस साल चूंकि यूज लेस ऑफिसर हैं, इसलिए ये मौत हो रही हैं। सरकार के मुखिया खुद मान रहे हैं कि सरकार की जो

कमजोरियां हैं, सरकार की जो नाकामियां है, सरकार का जो ढीलापन है, उसके कारण लोगों की मौतें हुई हैं। हमारा ये कहना है कि इस विषय पर मुख्यमंत्री जी रिप्लाई करें कि उन्होंने ये जो कुछ कहा था और इस पर कितना क्रियान्वित किया। क्या डूसिब के अधिकारी को नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया? क्या इन मौतों को लेकर के जाँच बिठाई गई कि नहीं बिठाई गई? क्योंकि ये गरीब लोग हैं, बेघर लोग हैं। इनकी मौत को अगर सरकार अन्यथा ले रही है तो आपने कहा कि आप कल भी ये विषय उठा रहे थे। आज क्योंकि आपका विषय नहीं था तो आपने इसको भी विषय बना लिया। मैं माफी चाहूंगा अध्यक्ष जी, इस तरह की सोच, ये बहुत ही निम्न स्तरीय सोच है कि....

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आप अब इसको...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आज विपक्ष के इतने गंभीर मुद्दे को इतने हल्के से आंका जा रहा है इस सदन में।

अध्यक्ष महोदयः चलिए हो गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अब हमारा ये कहना है कि इस पर हमें रिप्लाई चाहिए। ये जो लोग मरे हैं ठंड से, ये सरकार इसके बारे में पूरी रिपोर्ट दे, पूरा क्या मामला है और 44 तो एक, 4 दिन में मरे, जो मौतें हैं। 4 दिन में की मौतें हैं लेकिन पूरे उसमें...

श्री जगदीप सिंहः ये चैलेंज कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये मुख्यमंत्री खुद एग्री कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी, जगदीप जी आप बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी, आप बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इन्होंने खुद एग्री किया है।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या, क्या मैं प्रूव करूं? ये तो सरकार बतायेगी। ये तो मेरा ट्वीट नहीं है ये। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है। ये केजरीवाल जी का। ये मैंने बना दिया ट्वीट!

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ये पत्र का मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये ट्वीट किसका है ये? ये ट्वीट देखिए आप। अरविन्द केजरीवाल जी का। हाँ तो मैं पढ़ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी, बैठिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ: ***Media reporting 44 deaths due to cold.'*** आपने माना और ये भी आपने कहा पिछले साल नहीं हुई थी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, इसमें।

अध्यक्ष महोदयः हो गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बताइये, बताइये।

अध्यक्ष महोदयः पूरा हो गया न अब।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस पर रिप्लाई चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः हाँ तो बोल रहा हूं न मैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हां बताइए।

अध्यक्ष महोदयः चलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये अपना शब्द वापस लें। ये माफी मांगे।

अध्यक्ष महोदयः भई क्या, ये ग्रामीण भारतीय भाषा है। ग्रामीण भाषा है। वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। क्या ये भी कोई मुद्दे होते हैं?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये भारतीय भाषा है।

अध्यक्ष महोदयः आम आदमी। बैठिए। वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र का अपमान कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विधायक का अपमान कर रहे हैं। बैठिए, बैठिए। प्लीज बैठिए। विजेन्द्र जी, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, मैं उसको, वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की आम भाषा है। पिताजी को भी इसी ढंग से कहके बोलते हैं। बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से। आप ग्रामीण क्षेत्र के विधायक का अपमान कर रहे हैं। बैठिए।

... (व्यवधान)

(सदन में सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाज़ी।)

अध्यक्ष महोदयः अब उत्तर तो सुन लीजिए आप। विषय को ट्विस्ट

कर रहे हैं। माननीय सदस्य बैठ जायें प्लीज। माननीय मंत्री जी खड़े हुए हैं। नितिन जी बैठ जाइए। राखी जी, बैठिए प्लीज। भई ये तरीका ठीक नहीं है। ये डिस्टर्बैन्स करने का तरीका है। अब उत्तर दे तो रहे हैं वो।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी ये उचित नहीं है। उन्होंने तू कहके नहीं बोला। उसको ये तू में परिवर्तित कर रहे हैं। इसका उन्होंने कहा है। इसका शब्द इस्तेमाल किया है। तू नहीं कहा है उन्होंने। ये ग्रामीण भाषा है। असी पंजाबी बीच कह लें तू सी की कर रहे हो जी? पंजाबी बीच कह लें तूसे की कर रहे हो जी। ते सा बोलो जी। असा तूसा शब्द नहीं बोलदे। पंजाबी बीच बोले ऐसे। हाँ, हाउस की भाषा तूसा है। पंजाबी बीच हैगी। ये ग्रामीण भाषा है। आप ग्रामीण क्षेत्र का, इस बात को लेके आप तूल पकड़ रहे हैं। नहीं, बैठिए। नहीं उन्होंने तू बोला। उन्होंने इसका बोला। तू नहीं बोला। अगर आप अपनी बात पर रूकते हैं। मैं रिकार्ड निकलवा देता हूं। अगर तू बोला है। मेरी बात सुनिए, अगर तू बोला है तो मैं उनसे माफी मंगवाऊंगा। नहीं तो आप सदन से माफी मांगे। इसका शब्द, नहीं–नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ तू नहीं बोला उन्होंने। आप पूरे सदन में माफी मांगे। उन्होंने बोलो है इसका।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इसका और तू में क्या फर्क है।

अध्यक्ष महोदयः बहुत फर्क है। आप पूरे सदन से माफी मांगेंगे। हर बात का तमाशा बना रखा है आपने। हर बात को लेकरके कन्ट्रोवर्सी में खड़े करते हैं। बैठिए प्लीज। विजेन्द्र जी, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र, मेरी बात सुन लीजिए। चिल्लाने से फायदा नहीं होगा। आप बात को बेमतलब तूल दे रहे हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते होते तो मैं स्वीकार करूंगा। अगर

आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो मैं स्वीकार करूंगा। क्या बेमतलब की बात कर रहे हैं। आप पूरे ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों का अपमान कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री राजेश गुप्ताः विजेन्द्र जी, भगवान कृष्ण भी अपनी मां को तू कहके बुलाते थे। बुलाते थे न? क्या हो गया? बड़े हैं आपके।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया बैठें। बैठिए नितिन जी, बैठिए प्लीज। नहीं आप बैठ जाइए प्लीज। भई मैं परेशान हो गया हूँ, बैठिए। नहीं, अब कुछ नहीं। हो गया न मामला। अब विषय पर फिर आगे बढ़ जाएगा। अभी वो बैठ गये, आप बैठ जाइए। प्लीज, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री राजेश गुप्ताः अगर 280 का था तो ये माननीय मंत्री जी से क्यों जवाब पूछा जा रहा है? मुझे पता नहीं लग रहा है न। आप बता दें। अगली बार।

अध्यक्ष महोदयः ये 280 में नहीं है। 280 में नहीं है बैठिए।

श्री राजेश गुप्ताः किस इंस्ट्रक्शन में है?

अध्यक्ष महोदयः अब विषय हो गया। प्लीज, बैठिए। राजेश जी, बैठिए प्लीज। माननीय मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रैन–बसेरे वाले मुद्दे पर आने से पहले मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा। कल जो हमारी सीलिंग के ऊपर बातचीत चल रही थी, आज सुबह मेरे

पास नई जानकारी आयी। विजय विहार, किंग्सवे कैम्प से काफी सारे दुकानदार मेरे पास आये। उन लोगों को एमसीडी ने नोटिस देकर... बकायदा उन्होंने नोटिस दिखाये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई, अगर मंत्री जी कोई स्टेटमैन्ट देना चाहें, वो दे सकते हैं। उसका भी देंगे। उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें कोई स्टेटमैन्ट देना है। मंत्री कभी भी सदन में कोई भी स्टेटमैन्ट दे सकता है। आपका भी उत्तर दिलवा रहा हूँ मैं। आपके प्रश्न का भी उत्तर दिलवा रहा हूँ मैं। बैठ जाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर बात के लिए डॉयरेक्शन देंगे? मंत्री को भी डॉयरेक्शन देंगे? अध्यक्ष को भी डॉयरेक्शन देंगे? हर बात के लिए डॉयरेक्शन देंगे आप! माननीय मंत्री जी, बोलिए आप।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदयः अभी वो उत्तर दे रहे हैं पूरा।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, एमसीडी ने बाकायदा हाँ के दुकानदारों को नोटिस दिए और उनसे कहा कि आप कन्वर्जन चार्जेज जमा कराइएगा। उन लोगों ने कन्वर्जन चार्जेज जो हर साल जमा कराने होते हैं, जमा कराये। मैंने उनसे पूछा, 'भई, ऐसा तो नहीं, पुराने न जमा कराये हों?' कहते हैं, 'नहीं जी, अप–टू–डेट पेड हैं। ये रसीदें हैं।' रसीदें ले के आये। कन्वर्जन चार्जेज जमा है। रसीदें उनके पास थीं तो मैंने पूछा, 'भाई, कहीं ये 351 रोड पर नहीं है?' कहते हैं, नहीं सर, वो तो वो ड्रामा कर रहे हैं, विधान सभा के अन्दर। ये जो 2500 रोड पहले हो चुकी हैं, उनमें से है और कन्वर्जन चार्जेज उसी के जमा हो रहे हैं। जो पहले से नोटिफाइड हैं।' ये तो नई बात है! क्योंकि कन्वर्जन चार्जेज जमा हो रहे हैं। नोटिफाइड

रोड है, तभी जमा हो रहे हैं। वरना नहीं हो सकते। सारी रसीदें देके गये हैं। सब कुछ देके गये हैं। सारे सील कर दिये इन्होंने। तो ये बहुत ही दुःखद है। मैं आज फिर से, आज फिर से इन लोगों से निवेदन करूँगा कि वाक आउट करने की बजाय शर्म आनी चाहिए इनको। थोड़ा सा सोचना चाहिए। कल इन्होंने अपनी ताकत का आभास दिलाया था। इन्होंने कहा था कि हम केन्द्रीय मंत्री साहब से मिले, यूडी मिनिस्टर से मिले और यूडी मिनिस्टर साहब से मिलकर इन्होंने दो दिन के अन्दर स्पेशल प्रोविजन एक्ट को लोक सभा से और राज्य सभा से पास कराके दुबारा से लागू कराया। दूसरी चीज इन्होंने बताई थी कि केन्द्रीय मंत्री जी से मिलकर इन्होंने 90000 रूपये को 22000 रूपये दो दिन के अन्दर करवाया। तो अब इनसे निवेदन करूँगा कि कम से कम सीलिंग भी बन्द करायें, पहली बात।

श्री ओमप्रकाश शर्माः आप दिल्ली सरकार से हमें अथॉरिटी दिलवा दो इस काम के लिए, हम करवा देंगे।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यह कोई तरीका थोड़े ही है, यह क्या कारण है? चलिये।

लोक निर्माण मंत्रीः अच्छा, दूसरी बात। अध्यक्ष महोदय...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, प्लीज। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। अखिलेश जी, प्लीज।

लोक निर्माण मंत्रीः रैन बसेरों के बारे में जो प्रश्न इन्होंने उठाया, उसका जवाब मैं दूंगा ही, साथ ही साथ मैं एक–दो चीजें जरूर सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। एम्स के अंदर हजारों लोग दिल्ली के बाहर से इलाज कराने के लिए आते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनके पास यहाँ पर ठहरने की कोई जगह नहीं होती। हर साल एम्स वाले अपने यहाँ पर, अंदर एक दो हॉल खोल दिया करते थे, उसके अंदर वो लोग रुक जाया करते थे। इस साल, मुझे समझ नहीं आया किस वजह से उन्होंने पूरी एम्स की बाउंड्री के अंदर एक भी आदमी को ठहरने नहीं दिया। सब को खदेड़ दिया बाहर। हमने वहाँ पर जो अंडरग्राउंड है, वहाँ पर बने हुए हैं, शॉपिंग एरिया है, उसको, सब–वे को खुलवा कर वहाँ पर हमने कई सौ लोगों के ठहरने का इंतजाम किया। सड़क के किनारे हमने कई टैंट लगाये। उसके अंदर लोगों के ठहरने का इंतजाम किया। एक टैंट, जो वहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो के जाने का है, उसके पास लगाया, क्योंकि वहाँ पर 20 लोग ऐसे थे जो शिफ्ट होने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा, 'नीचे चले जाइये।' वो तैयार नहीं हुए किसी हालत में, तो उनके लिए हमने वहाँ पर टैंट लगाया। उस दिन रात को धमकी दी गई कि इस टैंट को उखाड़ कर फेंक देंगे। तभी मैंने ट्विीट किया कि यह बिल्कुल उचित नहीं है। कोई हमने यहाँ कब्जा करने के लिए तो बनाये नहीं टैंट। लोगों को ठंड से बचाने के लिए, मरने से बचाने के लिए टैंट बनाया है और मैंने रिक्वेस्ट की कि इसको ऐसा न किया जाए। उसके बाद परसों रात को वहाँ पर लगभग 1100 लोग अंडरग्राउंड सब–वे के अंदर रह रहे हैं, टैंटों में रह रहे हैं। कुल मिलाकर एम्स के बाहर दिल्ली सरकार के जो रैन बसेरों के इंतजाम किए गए हैं, लगभग 1100 लोग ठहरे हुए हैं। परसों रात को मुझे फोन आता है। विपिन राय, हमारे जो डीयूएसआईबी

के मैम्बर हैं, कहते हैं, 'सर, वहाँ के एसएचओ ने धमकी दी है कि सारे रैन बसेरे खाली कराये जाएं। मैंने पूछा कि भई ऐसा क्या हुआ? क्यों खाली कराये गए? कहते हैं, 'वीआईपी मूवमेंट है। कल मॉर्निंग में महामहिम राष्ट्रपति जी का मूवमेंट होगा यहाँ पर। उनको एम्स में आना है।' मैंने कहा, महामहिम जी आएं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।' कहते हैं, 'सारे खाली कराओ इनको, हमें आदेश दिया है।' एसएचओ ने कहा है कि एक घंटे के अंदर सारे खाली कर दो। मैंने कहा, 'जी, यह तो खाली नहीं होंगे और मैं यहाँ रुकूँगा सारी रात। रात के दो बजे भी कोई खाली कराने आता है तो आप मुझे बताइयेगा। मैं यहाँ पर आकर खड़ा होऊँगा।' एक भी रैन बसेरा खाली नहीं होने देंगे और इस बात पर मैं अड़ गया। सबसे दुःखद बात यह है, उन्होंने कहा, 'अच्छा चलो इनको हम निकाल के गए, बाहर सड़क पर ले भी आएंगे तो क्या करेंगे आप? तो पुलिस ने कहा, 'उनको तो चार डंडे मारेंगे, दो मिनट में भगा देंगे यहाँ से।' यह तो एटिट्यूड है इनका। कहते हैं, 'इनको बाहर निकालो, रात को डंडों से मारेंगे, दो चार मर जाएंगे।' फिर यहाँ पर आकर सदन में शोर मचाएंगे।' यह इनका एटिट्यूड है! ये चाहते हैं ऐसा हो। मैं यह सदन को बताना इसलिए चाहता हूँ कि पता लगना चाहिए कि किस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं। कितने संवेदनशील हैं ये लोग! और दूसरी बात सुनिये सर, कम्बलों की बात बताता हूँ मैं आपको। आज भी दिल्ली के अंदर हमने रैन बसेरों में तीस हजार लोगों के ठहरने का इंतजाम किया हुआ है जिसमें से सिर्फ 23 हजार लोग अंदर हैं। 7 हजार लोगों के रहने की जगह आज भी हमारे पास है।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुख्यमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं।

... (व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्रीः सात हजार लोगों का इंतजाम हमारे पास है परंतु इन लोगों ने रोज अखबारों के अंदर बयानबाजी कर करके कि हम रात को कम्बल बाँटने आएंगे, कई सारे लोगों को कंफ्यूज कर दिया। वो बेचारे लेने के चक्कर में, देते कम्बल भी नहीं हैं, सिर्फ ड्रामा करते हैं ये लोग। इनका कम्बल चोरी करके ले आते हैं, उनका कम्बल उठा कर ले आते हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बोलने दीजिए।

लोक निर्माण मंत्रीः ये कम्बलों को उठा कर लाते हैं, चोरी करके लाते हैं। वहाँ पर जाते हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप जारी रखिये, बोलने दें। आप उनको बोलने दीजिए।

लोक निर्माण मंत्रीः कम्बल जो है, कम्बल कहाँ से लाये? ये धंधा करते हैं कम्बल का। अध्यक्ष महोदय, ये कम्बल देने की बजाय, मुझे शिकायतें मिली हैं, एक तरफ से कम्बल बाँटते हैं, दूसरी तरफ से गाड़ी इकट्ठी करने के लिए आती है कम्बल लेकर जाते हैं। ये लोग कम्बलों का धंधा करते हैं। ये कम्बल कहाँ से लाएंगे, इनसे पूछो। इनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। इन लोगों ने कम्बल की चोरी करी है हमारे यहाँ से। इन लोगों को पता होना चाहिए कि कम्बल उठाना, चोरी करना, बहुत गलत काम है। दूसरा, ये लोग, क्योंकि ये किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है, मैं इनको कहता हूँ कि इनको सेंसिटिव होना चाहिए। अरे! कम्बल चुराने क्यों गए थे वहाँ पर? कम्बल कहाँ से उठा कर ले आए? कम्बल चोर! तो इसलिए

अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कहता हूँ कि इस तरह के कुकृत्य करना बंद करें। धन्यवाद, जयहिंद।

(बीजेपी के माननीय सदस्यों द्वारा वॉक आउट)

प्रतिवेदन पर सहमति

अध्यक्ष महोदयः प्रतिवेदन पर सहमति, सुश्री राखी बिड़ला जी एवं श्री सौरभ भारद्वाज जी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन दिनांक 16 जनवरी, 2018 को प्रस्तुत प्रश्न एवं संदर्भ समिति के विशेष प्रतिवेदन से सहमत है।

सुश्री राखी बिड़लाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन दिनांक 16 जनवरी, 2018 को प्रस्तुत प्रश्न एवं संदर्भ समिति के विशेष प्रतिवेदन से सहमत है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने इस रिपोर्ट को पेश करने का हमें मौका दिया। मैं अभी 280 के अंदर लोगों की डिस्कशन्स सुन रहा था। बहुत सारे लोग नालों की डिसिल्टिंग की बात कर रहे थे और पिछले साल हमने इसी सदन के अंदर नालों की डिसिल्टिंग के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की थी और विधान सभा चाहती थी कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, अफसरों के ऊपर कार्रवाई हो, उसकी जाँच हो। बहुत दुःख की बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस सुश्री गीता मित्तल जी की कोर्ट ने उस कमेटी की रिपोर्ट को स्टे कर दिया था और मुझे बहुत दुःख हुआ कि अगर वो रिपोर्ट उस समय स्टे न की होती तो अब तक इतनी कार्रवाई हुई होती डिसिल्टिंग के अंदर कि आज 280 का यह जो संदर्भ था, इसके ऊपर नहीं उठता।

अध्यक्ष जी, यह जो रिपोर्ट कल हमने रखी है, हाउस के आगे और आज हम हाउस से निवेदन करेंगे कि इसके बारे में चर्चा करे। यह रिपोर्ट वक्फ बोर्ड की जमीनों के बारे में एक रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीनों को गैर कानूनी तौर पर हथियाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के अफसर कैसे लैंड ग्रेबर्स के साथ मिलकर कई हजार करोड़ रुपये की जमीनों के ऊपर गैर कानूनी कब्जे करवा रहे हैं और यह हैरानी की बात नहीं है कि दिल्ली के अंदर आज भी ऐसे कई बड़े–बड़े मॉल्स हैं, जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बने हुए हैं। कई बड़े–बड़े होटल्स हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बने हुए हैं और अब वो कानूनी पचड़ों के अंदर फंसे हुए हैं। तो हमने एक, उदाहरण के तौर पर, हमारे सामने एक केस आया और जिसके अंदर मैं कमेटी के माध्यम से पूरे हाउस को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के वक्फ बोर्ड के अंदर जो अफसर बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से मिलकर यह पूरी की पूरी लैंड ग्रेबिंग कराते हैं। किस तरीके से अदालतों के अंदर वक्फ बोर्ड को हरवाया जाता है, किस तरीके से अदालतों से ये फैसले करा दिए जाते हैं कि जो जमीन थी, यह वक्फ बोर्ड की नहीं थी। यह वक्फ बोर्ड इस तरीके के कागज अदालतों के आगे नहीं रख पाया और यह जमीन जो है, जो सरकारी जमीन है, हमेशा–हमेशा के लिए अफसरों की मिली–भगत के कारण लैंड ग्रेबर्स के हवाले हो जाती है।

एक केस हमारे सामने आया। अध्यक्ष जी, यह केस था हजरत नसीरुद्दीन रोशन, चिराग देहलवी दरगाह के बारे में केस था। यह केस 14वीं शताब्दी के अंदर बनी एक दरगाह का केस है और यह चिश्ती ऑर्डर के हजरत निजामुद्दीन ओलिया जो हैं, उनके शागिर्द माने जाते हैं और कहा जाता है कि जो लोग हज पर जाते हैं, वो लोग निजामुद्दीन की

दरगाह के बाद ये हजरत नसीरुद्दीन की दरगाह पर भी दर्शन करने जाते हैं। यह इतनी पुरानी और हिस्टोरिक सिग्निफिकेंट दरगाह है और एएसआई द्वारा यह मॉन्युमेंट जो है, प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट है। 2016 के अंदर यह खबर आई, 16 फरवरी, 2016 को यह पता चला कि इस दरगाह के एक हिस्से को इस दरगाह के ही सो–कॉल्ड खादिम ने बेच दिया और दिल्ली सरकार के ही एसडीएम ऑफिस के अंदर इस सैल डीड की रजिस्ट्री हो गई। मतलब जो सरकारी वक्फ की जमीन है, दरगाह की जमीन है उसको बेचकर उसकी रजिस्ट्री कर दी गई। उस इलाके के लोकल लोगों को जब ये पता चला तो वहां हंगामा हुआ, शोर मचा, पुलिस बुलाई गई, एमसीडी बुलाई गई। जमीन को बेचकर वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी बिल्डिंग की। लोगों ने वो रोका, लोगों के दबाव में उस बिल्डिंग का थोड़ा बहुत ढ़ांचा बना था, उसको रोक दिया गया। पुलिस के अंदर कंप्लेंट की गई। मार्च के अंदर पुलिस को कंप्लेंट की गई, एसडीएम को कंप्लेंट की गई, वक्फबोर्ड को कंप्लेंट की गई। ये मामला है फरवरी 2016 का। पता चला कि जिन लोगों ने कंप्लेंट करी थी, पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमे बना दिये और उनको रोज थाने में बुलाकर धमकाया गया। मेरे पास जब ये मामला आया करीब एक साल बाद मैंने इस मामले को इस हाउस के अंदर उठाया और मैंने एक प्रश्न लगाया प्रश्न नंबर चौदह, 17 जनवरी, 2017 का करीब एक साल बाद। एक साल बाद मैंने प्रश्न लगाया और मैंने जानना चाहा कि ये जो सेलडीड रजिस्टर हुई थी, इसका क्या स्टेटस है। इसके ऊपर अगर एफआईआर दर्ज हुई हैं तो उसकी कापियाँ मुहैया कराई जाएं और क्या वक्फ बोर्ड ने या दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई की है? इसका कोई मेरे को सेटीस्फैक्टरी जवाब नहीं आया तो मैंने आपको इसकी कंप्लेंट की और ये मामला बाद में दिल्ली विधानसभा की क्वेश्चनन्स एंड रेफरेंस कमेटी को रेफर हुआ।

15 मार्च को पहली मीटिंग हुई जिसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आए और उन्होंने हमें बताया कि थोड़ा समय हमें दे दीजिए। हम आपको एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजेंगे। एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि उन्होंने एसएचओ को चिट्ठी लिख दी है। करीब एक साल बाद 20 मार्च को डीसीपी को चिट्ठी लिखी है और दिल्ली वक्फबोर्ड को चिट्ठी लिखी है। एसएचओ और डीसीपी को चिट्ठी लिखी गई है। एसडीएम आफिस से डीएम हैडक्वाटर लिख रहा है कि ये जो सरकारी जमीन थी, इसको बेच दिया। इसकी सेलडीड कर दी, इसके अंदर चार सौ बीसी का मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके ऊपर जिसने बेची और उसके ऊपर जिसने खरीदी, वक्फ को कहा गया कि आप कोर्ट के अंदर जाएं, आपकी जमीन थी, दरगाह की जमीन थी। आप कोर्ट में जाएं और सेलडीड कैंसिल कराने के लिए कार्रवाई शुरू करें। कमेटी को लगा कि ये चिट्ठियां लिख दी गई हैं, इतने बड़े अफसर ने लिखी हैं तो अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी। कोर्ट में केस चलेगा, पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। करीब आठ नौ महीने बाद कमेटी को ध्यान आया कि एक बार इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ।

22 दिसंबर 2017 करीब पौने दो साल बाद दोबारा कमेटी मिली और वहां पर हमनें एसीपी को बुलाया, दिल्ली पुलिस के। एसीपी राजेन्द्र पठानिया जी वहां पर आए और उन्होंने माना कि पुलिस से देरी हुई है और पुलिस को कुछ जानकारी जो वक्फ से लेनी थी, वो नहीं मिली है। वक्फबोर्ड से पूछा गया। वक्फबोर्ड ने बताया कि जो जानकारी हमें देनी थी, वो हम पुलिस को दे चुके हैं और वक्फबोर्ड की तरफ से कागजात मिले। वक्फबोर्ड के सीईओ से पूछा गया अध्यक्ष जी, कि क्या कारण हुआ कि आपने अभी तक ये जो सेलडीड हुई है, इसको कैंसिल कराने के लिए आपने कोर्ट के अंदर कोई अपना मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। सीईओ ने हमसे थोड़ा टाइम मांगा।

उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा नया हूँ, अभी अभी ज्वाइन किया है मुझे तीन हफ्ते का समय दे दीजिए। मैं तीन हफ्ते के अंदर सारे मुकदमे आगे पीछे सब देख लेता हूँ, जाँच कर लेता हूँ और आपको एक स्टेटस रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट कमेटी के आगे रखता हूँ। कमेटी ने उनको तीन हफ्ते का समय दिया और कमेटी दुबारा पिछले महीने मिली। इसके अंदर जो एक्शन टेकन रिपोर्ट कमेटी के आगे रखी गई, वो जनवरी 2018 की थी, मतलब करीब दो साल। जब वो सेलडीड हो गई वक्फ की जमीन की, उसके दो साल बाद की। मैं आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट बता रहा हूं जो दिल्ली वक्फबोर्ड के सीईओ ने कमेटी के आगे रखी। उस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया कि ये जमीन दरगाह की है या नहीं है, ये वक्फबोर्ड को मालूम नहीं है। उस एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर ऐसे चार मुकदमों के बारे में बताया गया, जो चारों मुकदमे दिल्ली वक्फबोर्ड हार गया और उसके बिना पर कमेटी को ये रिपोर्ट दी गई कि ये जमीन वक्फबोर्ड की नहीं है, इसलिए वक्फबोर्ड इसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वक्फबोर्ड के हाथ बंधे हुए हैं। ऐसे चार केसेज वक्फबोर्ड के हमारे सामने रखे गये। वक्फबोर्ड के ही उस समय के एक सैक्शन आफिसर हैं; केए फारूखी जिसके बारे में सीईओ ने बताया कि जो फारूखी साहब हैं, ये करीब 20 सालों से वक्फबोर्ड में हैं और ये सारे नये पुराने मुकदमों के बारे में जानते हैं, तो ये बतायेंगे। फारूखी साहब से ओथ पे कमेटी ने सवाल जवाब किये उनसे पूछा गया, 'क्या ये जमीन वक्फबोर्ड की है या नहीं है?' फारूखी साहब ने कहा कि ये जमीन मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ की नहीं है और मुझे ऐसा लगता है ये जमीन दरगाह की भी नहीं है। लिहाजा इसको जो बेचा गया, वो सही बेचा गया। कमेटी ने कागज मंगाये। कागजों के अंदर देखा गया कि दो साल पहले इसी फारूखी ने एसएचओ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ये जमीन वक्फबोर्ड की है दरगाह की है और इनके

ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। उसी फारूखी ने उसी सैक्शन आफिसर ने वक्फबोर्ड के, ये कहा है कि ये जमीन गलत बेच दी गई, इसकी सेलडीड को डि–रजिस्टर किया जाए और ये मुकदमा कोर्ट के अंदर भेजा जाए। तो ऐसा इस डेढ़ दो साल के अंदर क्या बदल गया कि वो ही फारूखी, वो ही वक्फबोर्ड जो पहले कह रहा था कि जमीन वक्फ की है, अब कह रहा है कि ये वक्फ की नहीं है। तो हमने उनसे पूछा, 'क्या बदला है, आपके तो बयान बदल गये। तो उन्होंने बोला, 'जी, मेरे ऊपर दबाव था उस वक्त।' किसका दबाव था? 'उस वक्त के सीईओ महबूब आलम नाम है, उनका और उस वक्त के चेयरपर्सन अमानुतुल्लाह खान का दबाव था।' और इस तरह से दबाव बताया गया जैसे, मुझे ऐसा लगा मुझे उस वक्त कि अमानतुल्लाह खान और उस वक्त के सीईओ महबूब आलम ने इस आदमी से कुछ गड़बड़ काम कराया है और उस दबाव में उसने उस वक्त चिट्ठी लिख दी और अब लिखने के लिए तैयार नहीं है। अमानतुल्लाह खान साहब को बुलाया गया कमेटी के अंदर, उस वक्त के वक्फबोर्ड के सीईओ, जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और अब रिटायर हो चुके हैं; मिस्टर महबूब आलम को बुलाया गया। महबूब आलम साहब से ऑन ओथ पूछा गया कि आप बताइये कि आपने उस वक्त क्यों केस दर्ज कराया? जबर्दस्ती इस फारूखी से कहकर दर्ज कराया, ऐसा क्या कारण था? फारूखी ने ये भी बताया उस वक्त कि जी, हमारे पास ऐसा कोई नक्शा नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई डिमार्केशन नहीं है कि हमें पता चले कि ये जमीन जो है, दरगाह की है और वक्फबोर्ड की है और बहुत पुरानी दरगाह है, चौदहवीं शताब्दी की। तो हमारे पास कोई कागज भी नहीं है। उस वक्त हमने कमेटी के अंदर कंप्लेनेंट्स को भी बुलाया। लोकल रेजीडेंस को भी बुलाया। लोकल रेजीडेंस ने कमेटी को बताया कि वक्फबोर्ड के आज के जो अफसर हैं, वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं, कमेटी को गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड

कर रहे हैं। 'कैसे कर रहे हैं?' वक्फबोर्ड ने अपनी एक्शन रिपोर्ट के अंदर चार मुकदमे तो वो बता दिये, जो वक्फबोर्ड हारा, मगर उसके बाद के दो मुकदमे नहीं बताये जिसमें वक्फबोर्ड जीता और वो आज भी बाइंडिंग हैं। तो फारूखी साहब के सामने पुराने सीईओ साहब को ओथ में पूछा गया कि भई आपने ये जो मुकदमे थे, ये आपने मुकदमे देखे थे? तो सीईओ साहब ने बोला कि जी, ये लोकल रेजीडेंस आए थे उस वक्त। इन्होंने ये दो मुकदमे दिखाये थे हमें और उस बिना पर हमने कहा था कि ये जमीन वक्फबोर्ड की है, इसके अंदर मुकदमा बनता है। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि दो साल बाद वक्फबोर्ड कह रहा है कि हमने इस तरीके के मुकदमे के बारे में देखा ही नहीं। ऑन ओथ लोकल रेजीडेंस ने बताया। उस वक्त के वक्फबोर्ड के सीईओ महबूब आलम ने बताया कि ये सब लोग मेरे पास आए थे। मेरी अमानुतुल्लाह खान साहब की और फारूखी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर ये सारे नये मुकदमे जिनमें वक्फबोर्ड जीता था, वो हमें दिये गये थे। वो नक्शे दिये गये थे जो वक्फबोर्ड के ही नक्शे हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि जमीन वक्फबोर्ड की है, वो भी दी गई थी। मैंने अपने हाथ से इस सैक्शन ऑफिसर फारूखी को वो दिये थे और मैंने इसको आर्डर दिये थे कि इसके ऊपर मुकदमा कराया जाए, एफआईआर दर्ज कराई जाए। कहने का मतलब अध्यक्ष जी, यह है कि वक्फबोर्ड दो साल पहले जहां पर जमीनों की ग्रेबिंग हो रही थी, उसके ऊपर काम कर रहा था। आज वक्फबोर्ड मुझे लगता है कि वक्फबोर्ड के ऊपर कोई एक ऐसा आदमी नही है, यतीम हो गया है वक्फबोर्ड। कोई एक ऐसा आदमी नहीं है वक्फबोर्ड के अंदर, वक्फबोर्ड के ऊपर जो इस चीज को देख सके कि कम्युनिटी की जो जमीनें हैं, समाज की जो जमीनें हैं, वो किस तरीके से, इस तरीके के लैंड ग्रेबर्स के ऊपर को बेची जा रही है और झूठे कब्जे किये जा रहे हैं और कमेटी की फाइंडिंग्स ये थी मैं आपको बता दूं: ***'The***

Action Taken Report of Delhi waqf Board to the Questions & Reference Committee was intentionally concealing the court cases which were favourable to Delhi waqf Board. The officials of Delhi waqf Board, particularly, the Section Officer Mr. K. Farooqi was acting in connivance with the so-called Khadim to aid the illegal sale of the Dargah property which is clearly A notified waqf property. There is enough evidence on record to conclude that the deposition of Mr. Farooqi was fabricated, full of contradictions, untruth and malafide acting against the interests of Delhi waqf Board. Presenting a manipulated report.'

मैं हिन्दी में भी बताऊं। वक्फ बोर्ड की जो पूरी की पूरी ये सांठगाठ थी, ये पूरी की पूरी तरह हमारी कमेटी के आगे बेनकाब हो गई। हमने पाया कि ये जो सैक्शन ऑफिसर है; फारूखी, ऐसे लोगों के साथ मिलकर वो केसेज जो वक्फ बोर्ड ने ही फाईल किये हैं, जिनके अंदर वक्फ बोर्ड मुकद्मा जीती है, उसके फेवर में है, उनकी पूरी की पूरी फाइलें उन्होंने वक्फ बोर्ड से गायब कर दी हैं। यहां तक कि उन्होंने लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को भी लिख दिया, चार अनफेवरेबल केसेज दिखाकर कि ये जी, अनफेवरेबल केसेज हैं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ। आप बता दें कि मुकद्मा दर्ज कराएं या ना कराएं? कहने का मतलब ये है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा डालो कूड़ा निकालो। झूठ लिखोगे लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को तो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट झूठ के बिना पर झूठी बात कहेगा। तो ना सिर्फ इन्होंने कमेटी को गुमराह किया, मिसलीड किया, इन्होंने लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को भी मिसलीड किया। कमेटी का ये मानना है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि आना चाहिए। कोई चुना हुआ चेयरपर्सन नियुक्ति किया जाना चाहिए और जिस तरीके का ये वक्फ बोर्ड के अंदर

ये सारा का सारा चल रहा है, वक्फ बोर्ड से ये भी पूछा गया कि ऐसा कैसे हो गया कि आप वक्फ बोर्ड का केस हार गए और आपने जो चार केस बताए हैं। तो बता रहे हैं कि जी, हमारा वकील पेश नहीं हुआ, इस लिए हार गए। तो जहाँ वकील पेश नहीं होगा, हाँ तो आप हारोगे ही। चीफ लीगल आफिसर से पूछा गया कि ऐसे कितने केसेज हैं जिसके अंदर वक्फ बोर्ड, वकील न पेश होने की वजह से हारा है तो उन्होंने ऑन रिकार्ड बताया कि पिछले दो सालों में उनको 36 ऐसे बड़े केस मालूम पड़े जिसके अंदर वक्फ बोर्ड का वकील हाई कोर्ट के अंदर नहीं पहुँचा और वक्फ बोर्ड केस हार गया। वक्फ बोर्ड के केस हारने का मतलब ये है अध्यक्ष जी, कि कई हजार करोड़ रूपये की जमीनें जो दिल्ली सरकार की थी, वक्फ की थी, वो किसी न किसी के जेब में चली गई और ये पूरे का पूरा जो हिस्सा है, ये वक्फ बोर्ड के अफसर खा रहे हैं। बार–बार एलजी साहब के पास फाईल जाती है वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन पिछले दो साल से, डेढ़ साल से नियुक्त नहीं किया जा रहा। मेरा ये मानना है कि इस पूरी की पूरी कमेटी के अंदर देखने के बाद कि एलजी साहब कुछ खास कारणों से वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई चेयरपर्सन नियुक्त नहीं करना चाहते और ये खुल्लमखुल्ला जो चोरी हो रही है, इसको बंद नहीं कराना चाहते। हमारी जो रिक्मंडेशन्स हैं कमेटी की, वो मैं आपको बता दूं।

श्री महेन्द्र गोयलः एक वकील को तो मरा बता दिया।

श्री सौरभ भारद्वाजः हाँ, वकील जिंदा था। मैम्बर साहब हैं हमारी कमेटी के, महेन्द्र गोयल जी। ये सही बता रहे हैं, एक वकील को तो मरा घोषित कर दिया था उन्होंने कमेटी के अंदर कि इसलिए वकील पेश नहीं हो पाया क्योंकि वकील गुजर गया, जबकि वो जिंदा था। तो इस तरीके की चीजें तो सामने हो रही हैं तो हमारी रिक्मन्डेशन्स ये हैं कि पहली बात

तो जो चीफ सैकेट्री जो दिल्ली सरकार के हैं, वो इस के.ए. फारूखी जो सैक्शन ऑफिसर हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स चलाएं ***for his act of commission and ommission.*** एक तो ये। दूसरा, चीफ सैक्रेट्री ये एनश्योर करें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर एक चुना हुआ चेयरपर्सन आ सके और ये प्रावधान है इसके अंदर। चीफ सैक्रेट्री ये एन्श्योर करें कि जो वक्फ बोर्ड का सीईओ है, अध्यक्ष जी, वो एक ऐसा ऑफिसर हो जिसके पास सिर्फ सीईओ का ही चार्ज हो। अफसरों ने बताया कि अभी जो सीईओ हैं, जैसे पहले थे, उनके पास तीन–तीन चार्ज हैं। तो दो–दो तीन–तीन चार्ज होने के कारण अफसर उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाता है और ऐसा दिल्ली सरकार के कई सारे महकमों के अंदर है कि एक ही अफसर को दो तीन चार्ज दिये हुए हैं। तीसरी रिक्मेंडेश हमारी ये है अध्यक्ष जी, जो बहुत जरूरी है कि पुलिस का जो रोल है, इसके अंदर बहुत संदिग्ध है। डीएम के लैटर लिखने के बाद वक्फ बोर्ड के लैटर लिखने के बाद, एसडीएम के लैटर लिखने के बाद सब–रजिस्ट्रार के लैटर लिखने के बाद डीसीपी को लैटर लिखा गया, एसएचओ, मालवीय नगर को लैटर लिखा गया, एसएचओ महरौली को लैटर लिखा गया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दो साल हो गए अध्यक्ष जी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो इसके अंदर चीफ सैक्रेट्री एन्श्योर करें कि पुलिस के अफसरों के खिलाफ विजिलेंस इन्कवायरी की जाए और उसकी रिपोर्ट भी दी जाए और इसके अंदर एक और रिक्मेंडेशन है 'ही शुड एन्श्योर कि इसके अंदर मुकद्दमे में एफआईआर जल्द से जल्द दर्ज की जाए और आखिरी रिक्मेंडेशन हमारी ये है अध्यक्ष जी, कि ये जो के.ए. फारूखी हैं सैक्शन ऑफिसर हैं, इनके खिलाफ कमेटी की अवमानना जो कि सदन की अवमानना है, उसका मामला चलाया जाए और प्रिविलेज कमेटी को ये मामला भेजा जाए। बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः सुश्री राखी बिड़ला जी, सौरभ भारद्वाज जी का ये प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं सोमनाथ जी, अब इतना...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए–बैठिए प्लीज। सोमनाथ जी, बैठिए प्लीज। बैठिए। अखिलेश जी, बैठिए। आप तो इस कमेटी के मैम्बर हैं। हाँ, बस ठीक है। मैं अमानतुल्लाह जी और सोमनाथ भारती जी दो को अलाऊ कर रहा हूँ। नहीं, अखिलेश जी, प्लीज। अब अगला विषय आपका आ रहा है ना। अमानतुल्लाह जी।

श्री अमानतुल्लाह खानः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे पर बोलने के लिए कहा। एक ये 8 अक्तूबर, 2017 तक मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा। सत्रह से लेकर के 8 अक्तूबर, 2016 तक रहा और एक साल से ज्यादा छः महीने एक मर्तबा किसी जैन्युइन वजह से और छः महीने एक मर्तबा या तो सरकार न हो या मैम्बर न हो, इस वजह से आप वक्फ बोर्ड को सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन छः महीने का पीरियड भी गुजर गया। उसके बाद छः महीने का पीरियड भी गुजर गया। उसके बाद भी वक्फ बोर्ड को अभी तक न तो बोर्ड को बनाया गया। सरकार में हैं हम लोग। सारी कन्डीशनें फुलफिल करते हैं, उसके बाद भी एलजी

साहब ने आज तक दिल्ली वक्फ बोर्ड को जो है, नहीं बनाया और चेयरमैन आज तक कोई नही है, खाली है वो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री राखी बिड़ला) पीठासीन हुईं

श्री अमानतुल्लाह खानः मैं जब चेयरमैन था तो उस वक्त में इस तरह के सारे केसेज मैंने निकालने शुरू किये। जिन 36 केसेज का जिक्र सौरभ भारद्वाज जी ने किया, वो मामूली केसेज नहीं हैं। छत्तीस केस तो वो हैं जो हमारा वक्फ बोर्ड का वकील वहाँ नहीं पहुंचा। एक केस ऐसा था जिसमें अपील में भी गए। अपील में भी वो वकील वहाँ नहीं पहुँचा और वो आज भी वक्फ बोर्ड के पैनल पर अब फिर दुबारा से जब मैं था, जब हटा दिया था। अब फिर दुबारा से वो वकील वहाँ मौजूद है। उसमें एक केस हमदर्द वक्फ लैबोरेट्री का है। जो खरबों रूपये की जमीन है और उस वक्त में 2003 तक सिर्फ हमारा किराया जो बनता था, वो 12 करोड़ रूपये बनता था। हमारा वकील नहीं पहुँचा। वो केस एक्स–पार्टी होने के नाते कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। अपील में गए। अपील में भी हमारा वकील नहीं पहुँचा। एक केस डीएलएफ कनाट प्लेस का है। तो इस तरह के बड़े–बड़े ये 36 केस हैं और उस वक्त के जो भी चेयरमैन थे या जो भी सीईओ थे, उन लोगों को अपील में जाना चाहिए था। लेकिन ये लोग अपील में नहीं गए और जानबूझ करके इतना टाइम निकाला गया, इतना टाइम किया गया दस साल, बारह साल, तेरह साल, चौदह साल, पन्द्रह साल तक हो गए लेकिन ये लोग अपील में नहीं गए। जब कि वक्फ बोर्ड जो है, पार्लियामेंट 1954 के एक्ट से बना हुआ है और उस एक्ट में कहा गया कि ***'Once a wqf, always a waqf.'*** वक्फ की जमीन न तो कभी खरीदी जा सकती, न कभी बेची जा सकती और न उसको किसी और चीज में इस्तेमाल किया जा सकता। कब्रिस्तान हमेशा कब्रिस्तान रहेगा, मस्जिद

हमेशा मस्जिद रहेगी, दरगाह हमेशा दरगाह रहेगा, ईदगाह हमेशा ईदगाह रहेगी। उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड की जमीनें दूसरे लोगों को चली गई। और आज वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस केस का जिक्र, इन्होंने अभी कहा कि जो कोर्ट के केसेज, कोर्ट का जो जजमेंट था, वो खादिम के लिए था, मालिक के लिए नहीं था। खादिम होता है मुतव्वली। अगर कोर्ट ने जजमेंट भी उस मुतव्वली के फेवर में दे दिया कि ये यहां का लीगल मुतव्वली है उसके बावजूद भी उस मुत्तवल्ली को या वक्फ बोर्ड को ये हक नहीं है कि वो जमीन को बेच दे। उसके बावजूद भी उस जमीन को बेचा गया और जितने भी केसिज होते हैं, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से अगर कोई भी कंप्लेंट हम करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि गजट नोटिफिकेशन मौजूद होता है सैंट्रल गवर्नमेंट आफ इंडिया का नोटिफिकेशन है और जिस चीज का गजट नोटिफिकेशन है, वो जमीन उसकी है, वक्फ बोर्ड के फेवर में सारे गजट नोटिफिकेशन होते हैं। उसके बाद वो ये ही कहते हैं कि सर, डेमारकेशन हमारे पास नहीं है। हमें नहीं पता है कि ये जमीन हमारी है या नहीं है, इसका रकबा कितना है और इस तरह से मिलीभगत करके मुस्तक्किल हाँ जमीनें बेची जा रही हैं। वक्फ बोर्ड के लिए हम लोगों ने प्रोसेस किया, हमारी सरकार ने प्रोसेस किया। मंत्रीजी यहां बैठें हैं, इन्होंने प्रोसेस किया। वक्फबोर्ड का ये है कि सात मैम्बर होते हैं; चार मैम्बर इलैक्टिड होते हैं और तीन मैम्बर नॉमिनेटिड होते हैं, जो सरकार नोमिनेट करती है। जो चार मैम्मबर इलैक्टिड होते हैं, उसमें एक एमएलए कोटा जो मुस्लिम एमएलएज़ हैं, उसमें से एक इलैक्ट होके जाता है। एक मैम्बर आफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम मैम्बर आफ पार्लियामेंट है, वो इलैक्ट होकर जाता है और अगर मुस्लिम मैम्बर आफ पार्लियामेंट नहीं है, मौजूदा हालत में, तो एक्स मैम्बर आफ पार्लियामेंट होता है, वो हो कर के जाता है। वो जाता है और अगर नहीं है तो वो कैटेगरी खाली रखी जाती है।

ऐसे एमएलएज़ के अंदर मुस्लिम एमएलए अगर नहीं है तो उसमें एक्स मुस्लिम एमएलए जाएगा और अगर वो भी नहीं है तो उसको भी खाली रखा जाएगा। ऐसी मुत्तवल्लि कोटा जो होता है उस मुत्तवल्लि कोटे में से लोग जो है, इलैक्शन होता है, उसमें से एक मेम्बर चुनकर के जाता है और एक मेम्बर होता है ना, मुस्लिम बार एसोसिएशन मेम्बर, अगर बार एसोसिएशन मेम्बर नहीं है तो उसमें से सीनियर कांउसिल लेंगे या एक्स बार एसोसिएशन लेंगे और इसमें बार एसोसिएशन मैम्बर इस वक्त बार कांउसिल लेंगे। इस वक्त बार एसोसिएशन मेम्बर कोई है नहीं, मौजूद नहीं था तो हमने एक सीनियर कांउसिल का नाम हाँ भेजा, जिसपे वो बार एसोसिएशन मैम्बर जो है, एक्स–बार एसोसिएशन मैम्बर थी, वो स्टे ले आये और उसमें स्टे कर दिया। उसमें कहा गया, स्टे में कहा कि हाई कोर्ट का स्टे था, उसमें कहा कि इस पोजीशन को ये जो 'ए' कैटेगरी है, आप इसको जब तक के कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक आप इसको खाली रखेंगे। उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि वक्फबोर्ड को आप नहीं बनायेंगे। तो हमने ये सारी प्रक्रिया पूरी करके यहाँ से भेज दी। दो महिलायें इसमें होनी चाहिए, वो हमने भेज दी। फिर ये था कि इलैक्टेड मेम्बर नॉमिनेटेड मेम्बर से ज्यादा होंगे, तो हमने तीन इलैक्टेड बनाये थे, तीन इलैक्टेड आये थे और तीन नॉमिनेटेड बना दिये तो एक इलैक्टेड और एक नॉमिनेटैड हमने कम कर दिया। पाँच मेम्बर हमने भेजे। इसमें से एक चैयरमैन चुनना था बीजेपी और कांग्रेस के, हमारे सिरसा जी भी गये थे। इन्होंने कहा कि साहब चैयरमैन तो आप बना दो लेकिन अमानतुल्लाह चेयरमैन नहीं होना चाहिए। मेरी खुद समझ में नहीं आया। चलो साहब, मतीन अहमद कहें, हारून यूसूफ कहें, विजेन्द्र गुप्ता जी और सिरसा जी कहें कि भई, वक्फ बोर्ड की जमीन हमारे भी लोगों ने कब्जा कर रखी है, आप इसको चेयरमैन मत बनाओ। अगर ये चेयरमैन बनेगा तो कांग्रेस और भाजपा के लोगों पे जो जमीनें कब्जा

किये हुए हैं, वो एक–एक करके खाली करायेगा। इसको चेयरमैन मत बनाओ, किसी को भी चेयरमेन बना दो। तो ये बात लेकर के ये लोग गये और इनकी इस बात को कानून की खिलाफवर्जी करते हुए एलजी साहब ने तरजीह दी और वक्फ बोर्ड को बनने नहीं दिया और उसपे स्टे दे दिया और कहा कि जब ये एक मैम्बर जो बार एसोसिएशन का जो मैम्बर है, जब इसके बारे में फैसला हो जाएगा, तब मैं चेयरमैन बना दूँगा। कहीं कानून में गुंजाइश नहीं है इस बात की। छः महीने एक मर्तबा, छः महीने एक मर्तबा से ज्यादा आप नहीं रोक सकते और ये पार्लियामेंट एक्ट से कहा, बना है वक्फ बोर्ड और उसके खिलाफवर्जी एलजी साहब कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि अगर अमानतुल्लाह आयेगा तो एक भी जिन–जिन लागों ने कब्जा कर रखा है, उसको नहीं छोड़ेगा और बिल्कुल तय है ये कि हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। बड़े सारे किरायेदार हैं जैसे फतेहपुरी मस्जिद है, हाँ 114 किरायेदार हैं, उनका किराया जैन्युइन तरीके से बनता है 27 लाख रूपये महीना, जो मैंने बांध दिया था। वो दे रहे हैं 88 हजार रूपये महीना जो अब नहीं आ रहा, वो भी अब नहीं आ रहा। जो एक हाँ पर जो है मार्किट एसोसिएशन और दूसरी मार्किट है, ये वाली है कश्मीरी गेट वाली, हाँ पर कभी करोड़ो रूपया किराया आना चाहिए, एक रूपया नहीं आ रहा। जो किराया मैं बाँध कर आया था कि जब मैं था, उस वक्त सात लाख रूपया महीना आमदनी थी। मैं रहा, हाँ पर एक करोड़ रूपया महीना आमदनी हमने कर दी। उस एक करोड़ को जब मैं छोड़कर आया, आज उस आमदनी को इन लोगों ने जीरो कर दिया। एक रूपया वक्फबोर्ड की आमदनी नहीं है हाँ पर।

जो बेवायें हैं, बेवाओं की पेन्शन आठ साल पहले बंद रही, मैं हाँ से आया, मैंने आ के हाँ शुरू की थी। 1500 रूपये एक बेवा को हम लोग

देते थे। 2000 से ज्यादा बेवायें वक्फबोर्ड से पेन्शन पाती थी। जैसे ही मैं हाँ से आया, वो बेवाओं की पेन्शन बंद कर दी। इमामों को तनख्वाह वक्त पर नहीं दी जा रही, इमामों को तनख्वाह नहीं दी जाती। बार–बार वो आते हैं, कभी मंत्री जी के यहाँ धरना करते हैं, कभी वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरना करते हैं और आये दिन ये सिलसिला चल रहा है लेकिन वक्फबोर्ड इस वक्त पूरी तरह से जो है, अब जो है, बंद पड़ा हुआ है। वक्फबोर्ड पर ऐसा मेरे टाईम में इन लोगों ने ताला लगाया था, फोर्सफुली ताला लगाया था। मेरी खुद समझ में नहीं आता कि भाजपा और कांग्रेस क्यों नहीं चाहती कि वक्फ बोर्ड बने! इनके कौन से ऐसे लोग हैं जिनका वक्फबोर्ड पर कब्जा है! कौन से मॉल में इनकी दुकानें हैं, कहां मार्किट बनी हुई है, कौन सा फाईव स्टार होटल इनके लोगों का है? ये तो इन्हें बताना पड़ेगा। या तो ये बतायें कि ये ये जमीन है कि भई हम छोड़ देंगे। हम उनको टच नहीं करेंगे लेकिन बतायें तो सही के ये जमीन है, हमारे लोगों ने कब्जा कर रखी हैं। बोर्ड को तो बनने दें और अगर इनको आपत्ति है, मेरे चेयरमैन बनने से तो मेरा कहना ये है कि मैं आज रेज़िग्नेशन लेकर आया हूँ, मैं आपको एज़ ए मैम्बर, मैं एक मैम्बर हूँ, एमएलए कोटे से मैं गया हूँ, तो मैं रेज़िग्नेशन आपके हवाले से एलजी साहब को भेज रहा हूँ लेकिन आप वक्फबोर्ड बनवा दो। वहाँ बेवायें हैं, जिनकी पेंशन नहीं बन रही वहाँ स्कॉलरशिप हम लोग देते थे, एजूकेशन के लिए गरीब मुसलमान बच्चों को। वहाँ पर इमामों को तनख्वाह नहीं मिलती। आये दिन वक्फबोर्ड की जमीनों पर कब्जा हो रहा है और खरबों रूपये की जमीनों पर कब्जा हो गया और मुस्तिकल हो रहा है। जो कब्रिस्तान है, उसको जो है, ये डीडीए के जरिये, एलएनडीओ के जरिये सैंट्रल गवर्नमेंट कब्जा कर रही है। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं, आप ये रूक जायेंगी। मेरा कहना है कि एलजी साहब, मैं आज इस्तिफा आपके हवाले भेज रहा हूँ। आप मेरा इस्तीफा कबूल

कर लें और वक्फ बोर्ड को बना दें ताकि हाँ बेवाओं की पेंशन और जो इमामों की तनख्वाह है, वो जारी की जाये। शुक्रिया इन्हीं बातों के साथ।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं एलाउ करूँगा। नहीं, जब ये जगे, जब सवेरा हो गया। आप रात को 12 बजे जगेंगे, आप चर्चा में बैठे नहीं, आप उठ के आ गये बाहर से कि समय दे दो। मैं सिरसा जी को एलाउ, केवल सिरसाजी आये थे, मैं एलाउ कर रहा हूँ, जाइये आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हम वक्फ बोर्ड के मैम्बर हैं, हमें बोलने नहीं देंगे आप?

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा। जब आप जागे रात को 12 बजे जागे तो चलो उठकर के दो बजे जागे तो चलो उठकर के। सदन को तमाशा बना रखा है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी मैं धन्यवाद चाहता हूं आपने मुझे मौका दिया।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं अखिलेश जी, प्लीज। ऐसे सदन को मैं तमाशा नहीं बनने दूंगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हाँ, मैं बोल रहा हूं इसके बाद।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं समझता हूँ, आपने जो बात की है, बड़ी अख्लियतों की बात है, माइनॉरिटीज़ की बात है। आपका इस बात पर समर्थन करता हूँ कि जो अख्लियतें हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके हक–हकूक जो हैं, वो माइनॉरिटीज़ के हाथ में रहनी चाहिए। चाहे वो इलैक्टेड मेम्बर्स हों, चाहे वो नॉमिनेटेड मेम्बर्स हों। इस बात में कोई शक नहीं है कि वक्फबोर्ड जो है, उसका गठन होना चाहिए और उस गठन में जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका राइट है। मैं चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखता हूँ, पर मैं एक बात के लिए आपके साथ सौ फीसदी सहमत हूँ कि जो वक्फबोर्ड है, वो एक माइनॉरिटी का इंस्टीटयूशन है। उसमें 'ए' मेम्बर बने, 'बी' मेम्बर बने, अमानतुल्लाह खान साहब बनें, न बनें, कोई और बने लेकिन हम उसको लटकाये रखें, इसके मैं खुद फेवर में नहीं हूँ। अमानतुल्लाह खान साहब ने मेरा नाम लेके एक बात कही। अमानतुल्लाह साहब मेरे को, जो हमें जो संज्ञान में रहा, वो ये था कि उसमें कोई गड़बड़ियां हुईं हालांकि मैं क्योंकि एक माइनॉरटी से हूँ, मैं माइनॉरिटीज का दर्द समझता हूँ। कितनी गड़बड़ियां हुईं, हुई न हुई, देखिए, मैंने न कागज देखे, न मैं उसके ऊपर बोलने के लिए पर्याप्त मेरे पास जानकारी है। पर मैं एक बात पे चाहे मुझे पार्टी लाईन से हटकर बोलना पड़े, पर मैं बहुत स्पष्ट अल्फाज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस वक्फ बोर्ड के बनने में किसी तरह की सरकारी अड़चन, सॉरी, कोर्ट की अड़चन नहीं है, किसी तरह से कोर्ट का आर्डर नहीं है तो ये वक्फबोर्ड लेफटीनेंट गर्वनर साहब को तुरंत गठित करना चाहिए। इसका हम इनके लिए पूरा समर्थन करते हैं। अकलियतों का, हम माइनॉरिटीज़ में हैं, हम बहुत कम गिनती में हैं और अगर हमारी आवाज को इस तरह से दबाया जायेगा, मैजोरिटीज़ के लोग जिनके हाथ में सत्ता है, अगर वो ये सोचकर माइनॉरिटीज का, मान लीजिए कि अगर कोई आईएस अफसर होता, कोई कमीश्नर का पद खाली होता तो दस दिन में भरा जाता।

मान लीजिए अगर किसी जिले में एसएसपी लगना है तो दो दिन में भरा जाता, दो दिन में भरा जाता, दस दिन में भरा जाता। क्या इस बात को लेकर कोई एक्सक्यूज कहा जा सकता था कि कोर्ट से एक आर्डर है, इसलिए हम एसएसपी नहीं लगा रहे, हम जिले का डीसीपी नहीं लगा रहे, हम जिले के अंदर डीसी नहीं लगा रहे? आप उसका रास्ता ढूंढ़ती सरकार। सो मेरा इस बात में आपका पूर जोर मैं समर्थन करता हूं। अख्लियतों के हम साथ हैं, हम चाहते हैं कि सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए।

स्पीकर साहब इसके साथ–साथ मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपने पिछले दिनों में देखा होगा, एक जगह नहीं हो रहा, ये हर जगह हो रहा है। स्पीकर साहब, मैं आपसे एक और दर्ख्वास्त करना चाहता हूं और अपने मेम्बर सहबानों से अर्ज करना चाहते हैं, ''अगर आपको लगता है तो आपको अपने भाई का इसमें साथ देना चाहिए।'' अध्यक्ष महोदय, आज इस मुल्क को आज़ाद हुए 70 से ज्यादा साल हो गये और हम सब लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। इसमें ये कहना गलत होगा कि किसी ने ज्यादा लड़ी, किसी ने कम लड़ी। किसी को दोश पे दोश न लगाके हम सबने लड़ाई लड़ी और ये मुल्क आज़ाद हुआ। इस आज़ाद मुल्क में हम सबका बराबरी का हक है। चाहे वो किसी की गिनती कम हो, चाहे किसी की गिनती ज्यादा हो।

अध्यक्ष महोदय, आप सुनकर हैरान होंगे, 70 साल बाद भी सिखों को संविधान के आर्टिकल 25 के अंदर हमें आज तक अपना हक नहीं दिया गया। हम सिखों को अपने हक देने के लिए आर्टिकल 25 के अंदर आर्टिकल 25 बी के अंदर रखा गया जिसका मतलब ये है उस आर्टिकल के मुताबिक आर्टिकल 25 ये कहता है संविधान की धारा 25 कहती है कि आपको, मेरे को, इन सबको अपने धर्म को इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने का राईट है, पर

हमें अपने धर्म को इंडीपेंडेंट प्रैक्टिस करने से रोका जाता है। कैसे रोका जाता है? हमें ये कहा जाता है कि नहीं, आप अपने धर्म को इसमें संविधान के अंदर मुस्लिम धर्म का नाम भी है, क्रिश्चयन धर्म का नाम भी है, हिन्दू धर्म का नाम भी है। पर जब सिख की बात आती है तो ये कहा गया कि आप धारा 25 बी के अंदर एक हिंदू धर्म के साथ जोड़कर आपको देखा जाएगा। बड़ा पेड़ वो है, छोटे पेड़ आप हैं। आप समझ सकते हैं। आप सुनकर हैरान होंगे दिल्ली के अंदर नहीं, देश के अंदर अगर मैं अपनी आनंद कारज, अपनी शादी करके आता हूँ आपको सुनकर ये बहुत झटका लगेगा तो मेरे को जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो मेरे को ये नहीं कहा जाता कि ये सिख है, इसमें आनंद कारज में ये अपना शादी की है, इसको सिख मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाए। नहीं, मुझे दिया जाता है, रजिस्टर्ड अंडर हिन्दू मैरिज एक्ट। मैं सत्कार करता हूँ सभी धर्मों का, हिन्दू धर्म का हम बहुत, अति सत्कार करते हैं, मुसलमान धर्म का सत्कार करते हैं, ईसाई का सत्कार करते हैं लेकिन क्यूं हमारे हकों से हमें क्यूं वंचित रखा गया?

मैं अपने दोस्तों से एक विनती करना चाहता हूँ। ये विषय जो है पूरे देश का है, भारतवर्ष का ये विषय है। लेकिन आर्टिकल 25 बी जो संविधानिक तौर पर हमें हक मिलना चाहिए था, हमें वो हक नहीं मिला। हम ये चाहते हैं, ये हाउस एक रेजल्यूशन पास करे, यूनैनिमसली आप लोग इसमें हमारा साथ दें कि भारत सरकार जो है, वो सिखों को संविधान की धारा 25 के तहत अपने अलग से धर्म सिखों को आइडेंटीफाई किया जाए। अभी जैन साहब बैठे नहीं हैं, मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ। आप हमारे तीन मिनिस्टर सामने बैठे हैं। स्पीकर सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो बैठे नहीं हैं, क्योंकि देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में उनकी कैसी मंशा होगी, मैं उसके बारे में बोलूँ, प्रतिक्रिया करूँ तो गलत हो जाएगा।

इसलिए मैं वो भावना नहीं व्यक्त करना चाहता। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको सुनकर हैरान होगी, एक कमेटी बैठी जो संवैधानिक पीठ के तहत बैठी, जिसको ये अधिकार था कि वो स्टडी करके बताए कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। उन्होंने क्लैरिफाई किया। उसमें साफ कहा कि ये सिख, बौद्ध और जैन... एक मिनट मैं बात खत्म... मैं माइनॉरिटीज़ की बात ही कर रहा हूँ मैं भी। मैं अख्लियतों की बात कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयाः सिरसा जी, सिरसा जी, आप चेयर से बात करें और कंक्लूड करें जल्दी।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः सॉरी स्पीकर सर। स्पीकर साहिबा, मैं माफी चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः नहीं कमाण्डो साहब, एक मिनट।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मैं माफी चाहता हूँ कि किसी का दिल दुखा है। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाने से नहीं है। मेरा मकसद केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में है और मेरी भावना व्यक्त करते वक्त अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं किसी का मेरा केवल दो लाईनों में बात कहना है कि ये कंस्टीट्यूशन के लिए, संविधान के लिए यह अति आवश्यक है कि सिखों को भी संविधानिक तौर पर उनका इंडिपेंडेंट अपना धर्म को प्रैक्टिस करने का राइट मिले, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि ये हाउस एक रेजल्यूशन पास करे, यूनैनिमसली पास करे कि हम केन्द्र सरकार को ये अपील करेंगे कि सिखों को आर्टिकल 25 धारा 25 के तहत जो कि संविधानिक पीठ ने मान भी लिया कि सिख, जैन और बौद्ध को भी अलग से इनकी पहचान संविधान में होनी चाहिए।

इसके लिए रिकमंडेशन भी आ चुकी थी, लेकिन आज तक हमें नहीं मिली। मैं इसके लिए स्पीकर महोदया, आपके माध्यम से ये विनती करना चाहता हूँ हाउस के मेम्बर साहिबान को कि आप इसमें हमारा समर्थन करें और केन्द्र सरकार हमें हमारी धारा 25 के तहत हमें अपना इंडिपेंडेंटली धर्म को प्रैक्टिस करने का राइट एक मिले। तो मैं आप सब का बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ भारती जी। बैठिए, बैठिए, एक बार। पहले भारती जी, पहले भारती जी को बुलवा लें। आप बैठिए। अगर आप खड़े रहेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगी। अगर आप खड़े रहेंगे आपको बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। सोमनाथ भारती जी। बैठ जाइए। भारती जी। भारती जी, स्टार्ट कीजिए। भारती जी, आप स्टार्ट कीजिए, जी मंत्री जी?

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदयः जी, मंत्री जी। एक मिनट मंत्री जी बोल रहे हैं। जी?

श्री कैलाश गहलोत (राजस्व मंत्री): एक सैकेण्ड, स्पीकर मैडम, मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि जो सिरसा जी कह रहे हैं, या तो इनको मालूम नहीं है या फिर ये पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। जो ये अपनी सिख मैरिज की बात कर रहे हैं जिसको हम आनंद कारज कहते हैं, ये एक्ट तो बहुत पुराना है। क्या ये इनको नहीं मालूम, तो एक्ट तो सैंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी बना चुका है। किसी कारण से जो रूल्स, उस एक्ट के तहत बनने थे, जिसके तहत वो मैरिज होनी है...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, आप ने अपनी बात रख दी, मंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं सदन में।

राजस्व मंत्रीः चूंकि आपने माइनॉरिटीज़ की बात की और उसकी बात की, मैं सिर्फ लिमिटेड प्वाइंट पे ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि आनंद कारज जो एक्ट है, उसके तहत जो रूल्स बनने थे, उसपे लगातार पिछले दो तीन महीने से हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, जरनैल जी, जगदीप भाई वगैरह सब और जितने भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, वो दे चुके हैं। लॉ डिपार्टमेंट से वो फाइल क्लियर हो चुकी है और बहुत जल्द वो रूल्स जो हैं, वो इनप्लेस होंगे जिसके तहत जो भी आगे से सिख मैरिज जो आप बात कर रहे हैं, उसके बाकायदा वो आनंद मैरिज एक्ट के अंदर ही वो रजिस्ट्रेशन होगा।

दूसरा प्वाईंट, एक सेकेण्ड दूसरा प्वाइंट जो अमानत जी ने वक्फ और जो मेम्बरान ने उठाया है, मैं सिर्फ उसपे लिमिटेड प्वाइंट पे ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ पूरे सदन को कि बिल्कुल ठीक बात है कि 2016 अक्तूबर तक अमानत जी चेयरमैन थे और बाकायदा, जैसा उन्होंने बताया कि जो भी रेंटल इन्कम थी, वो लगभग एक करोड़ तक पहुँच गयी थी और आज के दिन वक्फ प्रापर्टीज की ये हालत है और पूरे वक्फ बोर्ड की ये हालत है कि इमाम्ज़ और मुतव्वलीज़ को सेलेरी देने की भी आज वक्फ बोर्ड में क्षमता नहीं है। कई सौ की संख्या में इमाम जो हैं, हमारे पूरी दिल्ली के, वो सीएम साहब के यहां भी गये, मेरे यहां भी आए और लगभग 5–6 महीनों से उनको सेलेरी नहीं मिली है। फाईनेंस डिपार्टमेंट से बाकायदा स्पेशल परमिशन लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और वक्फ को पैसा रिलीज़ कराया गया। तब जा के पिछले महीने उनकी 5–6 महीने की सेलेरी जो है, रिलीज हुई। तो वक्फ एक्ट के अंदर जहाँ हजारों करोड़ों रूपये की प्रापर्टीज़ एडमिनिस्टर

होती हैं, तो मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आ रही, एंड आय एम एब्सोल्यूटली एट लॉस टू अंडरस्टेंड लगभग डेढ साल हो गया कि वक्फ का चेयरमैन नहीं है और पिछले लगभग 7–8 महीने की मेहनत से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने के बाद वक्फ बोर्ड के बाकायदा इलेक्शन कराए गए, आन द डिफरेंट केटेगरीज़, जो मेम्बर इलेक्ट होने थे, उसके इलेक्शन हुए। सिर्फ एक जो केटेगरी है, उसमें हाई कोर्ट का स्टे है और जब हाई कोर्ट ने स्टे दिया, तब भी इलेक्शन प्रोसेस ऑन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट वाज कांशियस ऑफ द फैक्ट ये उसके संज्ञान में था कि इलेक्शन प्रोसेस ऑन है तो हाई कोर्ट ने तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे स्टे नहीं किया, सिर्फ एक केटेगरी जो सीनियर मुस्लिम एडवोकेट जो कि बार कांउसिल का है, उस लिमिटेड प्वाइंट पे हाई कोर्ट ने स्टे किया कि जब तक ये मैटर डिस्पोज़ ऑफ न हो, इस सीट को फिल न किया जाए। तो ऐसे क्या कारण हैं कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे और जो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके बाकायदा पूरा बोर्ड जो है, इलेक्शन कंस्टीट्यूट हुआ, और लगातार फाइल जाने के बावजूद भी एलजी साहब ने उस को अप्रूव नहीं किया, तो ये एक बहुत गंभीर इश्यू बन जाता है कि जहाँ पर ऑन वन हैंड हम ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में ईवन सेलेरीज़ देने के लिए पैसा नहीं है, डेढ़ साल से चेयरमैन नहीं है। हाईकोर्ट जो है, उस पूरे प्रोसेस को, इलेक्शन प्रोसेस को स्टे नहीं करता है तो उसमें ऐसे क्या कारण है कि एलजी साहब उसकी अप्रूवल नहीं दे रहे? तो मैं इस पूरे सदन की इस पूरे सदन के माध्यम से मैं ऑनरेबल एलजी को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें सिर्फ एक चीज और क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि सेक्शन 14 जो एक्ट का है, वो कहता है कि नॉमिनेट इलेक्टिड मेम्बर जो हैं, वो हमेशा नॉमिनेटेड मेम्बर से ज्यादा होने चाहिए। हमने उसको भी पूरा अकमोडेट करते हुए जो एक सरकारी अफसर, दिल्ली

सरकार ने नॉमिनेट किया था, हमने रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल एलजी को कि इसको ड्रॉप कर दिया जाए और उसके बाद वो जो प्रोसेस है, उसको पूरा किया जाए। तो उसको भी एलजी साहब ने इन्कार कर दिया।

तो ये सदन के माध्यम से मेरी ये एलजी साहब को अपील है और पूरे वक्फ बोर्ड की तरफ से और एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर, मैं ये अपील कर रहा हूँ एलजी साहब को कि सारी चीजों को देखते हुए आई थिंक एक्सेप्ट दैट वन सीट एंड जो एक सरकारी अफसर, जिसका नॉमिनेशन हुआ था, उसको छोड़कर इस पूरे प्रोसेस को आगे चलाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द ये चेयरमैन वक्फ बोर्ड का अप्वाईंट हो। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयाः मुझे लगता है माननीय मंत्री जी सारी बातों का जवाब दे चुके हैं और उसके बाद मंत्री जी के बाद बुलवाना, सिर्फ मैं अलाऊ करूंगी सोमनाथ भारती जी को। उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। प्लीज, आप बैठ जाइये। मैं इसे पढ लूँ आपने भेजा है मैं इसे पढ लेती, नहीं, प्लीज आप बैठ जाइये, आपको आपका समय मिल गया था। मैं इसे पढ लूं, एक बार, नहीं, आप बैठ जाइये। भारती जी।

श्री जरनैल सिंहः संविधान की धारा 25 का...

अध्यक्ष महोदयाः नहीं, एक बार बैठ जाइए। भारती जी, बोलिये, शुरू कीजिये।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष महोदया, पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि सिखों को धार्मिक आजादी भी मिलनी चाहिए, कानून में संशोधन होना चाहिए पर सिरसा जी से पूछना चाहता हूँ कि केन्द्र में आपकी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है। अभी तक इस धारा–25 में संशोधन के लिये आपने अपनी पार्टी से केन्द्र सरकार से क्या बातचीत की है, उसका विवरण यहाँ

पर दें। असलियत इनको मालूम है कि इनकी पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी है, इनकी पार्टी दलित विरोधी है, कुछ नहीं करेगी। इसलिये सदन में ड्रामे कर रहे हैं। ये बतायें अगर इतनी ही सिखों की चिन्ता है तो एसआईटी इन्होंनें बनाई थी फरवरी 2015 में, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है कि एसआईटी ने बिना केसों की जांच किये, सारे केस बंद किये हैं। उसके ऊपर जानकारी दें, इस सदन में ड्रामा ना करें। आपकी पार्टी की सरकार है केन्द्र के अंदर, कॉन्स्टीटयूशन में अमेंडमेंट लोकसभा में होना है, यहाँ से नहीं होना। तो इस सदन को गुमराह ना करें। जो मेन मुददा है, उस मुददे पर रहें। हम पूरी तरह से समर्थन में हैं। आप गुमराह कर रहे हैं, इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप बात करें, आप हर छोटे छोटे मसले पर केन्द्रीय मंत्रियों से मिलते हैं। इस मसले के ऊपर आपने किस केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात की? आप सिखों को गुमराह कर रहे हैं। किसी नाल तुसी मुलाकात नहीं कीती। सिर्फ गुमराह कीता जा रया है एत्थे। तुसी ऐस मसले तक कि काम कीता हुन तक, दसो? त्वाढ़ी पार्टी दी पूर्ण मजोरिटी दी सरकार है सैन्ट्रल विच की काम होया, दसो ऐथे? इस सदन नू जीवण दिता जावे क्यों एसआईडी दे केस विच बिना जांच किते बंद किते गये ओही सदन विच दसया जावे।

अध्यक्ष महोदयाः चलिये जरनैल जी धन्यवाद। जगदीप जी। एक सैकिण्ड गोयल साहब, बैठ जाइये आप प्लीज। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः बैठ जाइये। बैठ जाइये एक मिनट। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः एक मिनट आप बैठ तो जाइये जी, जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंहः स्पीकर मैडम, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ जो मेरे जरनैल भाई ने कही है, अमानातुल्लाह भाई ने कही है कि वाकई पंजाब में अकाली दल ने बयान दिया था कि भाजपा और हमारा पति पत्नी

का रिश्ता है। ठीक है जी, ये पति पत्नी का रिश्ता अगर आपका है तो 1984 में जो सिख कत्लेआम हुआ था, आज बहुमत में भाजपा केन्द्र सरकार में बैठी है। एक रिकमण्डेड जो प्रस्ताव है वो तो आप केन्द्र में पास करवा दीजिये। एटलीस्ट इतना तो करवा दीजिये वहां पर। ठीक है जी, इंसाफ तो बड़ी दूर की बात है, एसआईटी में तीन लोग जो डाल दिये हैं स्लीपिंग उनको

अध्यक्ष महोदयाः आप इधर बात करें, उनसे बात न करें।

श्री जगदीप सिंहः जो तीन लोग डाल दिये गये हैं, बिल्कुल स्लीपिंग हैं। डेढ़ साल से उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बना के उनको झाड़ लगाई है कि आप इसमें जो है, इंसाफ दिलवायें। ये अभी तक कंडोलेंस नहीं दिलवा पाये वहां पर। ये आगे क्या करेगें! बस यही मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयाः भारती जी। सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदया, आज इस रिपोर्ट के माध्यम से पूरी दिल्ली वासियों को मालूम पड़ गया कि किस तरह से ऊपर बैठे लोग, भाजपा कांग्रेस के लोग इन लोगों ने सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट प्रोपर्टी बनाकर के किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया है।

मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस कमेटी को और आपकी अध्यक्षता में ये कमेटी काम करती है, आपको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट, ये तो टिप ऑफ द टिप ले के आई है अमानतुल्लाह जी यहां से चले गये अभी, अध्यक्ष महोदया, मुझे भी ये जो लॉ है, जानकारी है कि वक्फ बोर्ड के अंदर किस तरह की बेईमानियाँ और किस तरह का नेक्सेस पुलिस और पॉलिटिशिन्स और ब्यूरोक्रेटस के बीच में चल रहा है। अगर ये

वक्फ बोर्ड को परमिशन मिल जाये, अगर वक्फ बोर्ड का चेयरपरसर्न हमारा विधायक और हम सब मिलकर के इसको चला लें तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर भूचाल आ जायेगा और ऐसा भूकंप आयेगा, इससे बड़े बड़े लोग जो भाजपा के हों, जो कांग्रेस के हों ब्यूरोक्रेटस हों एक्स लेफिटनेंट गवर्नर्स हों, पुलिस हों, ये सब जेल जाएंगे। मुसीबत ये है कि आज हमारे पास एसीबी नहीं है। अध्यक्ष महोदया, इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप देख लें किस तरह से इस पूरे मसले के ऊपर चादर डालने का प्रयास किया गया है, पुलिस का साथ प्राप्त है इनको। यहाँ तक कि जो आदमी आज खादिम बन के बैठा हुआ है, कोर्ट ने बाकायदा इसको ऑब्जर्व किया कि वो तो खादिम ही नहीं है। जब वो खादिम ही नहीं है तो कैसे वो इसके फेवर में जजमेंटस दिये जा रहे हैं। बाकायदा कोर्ट ने कहाः ***Keeping in view that Zamir Ahmad and Zaheer Ahmad sons of Mohommad Ahmad would not be Khadims simply on account of the fact that they are sons of Mohommad Ahmad if he was a Khadim, unless this facts gets certified by the Delhi waqf Board, Khadims are not passed on to generations. It has to be notified Delhi waqf Board.'***

और अध्यक्ष महोदया, इस पूरे रिपोर्ट को जब मैंने पढ़ा तो ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे एमएलए काम करना चाहते हैं, किस तरह से इनके अंदर खौफ है कि ये जो विदाउट पॉलिटिकल ट्रेनिंग, विदआउट पॉलिटिकल इंटर्नशिप ये जो नये नवेले हमारे एमएलए आये हैं, जिन्होंने गंदगी नहीं सीखी है राजनीति की, जो दिल्ली का भला करना चाहते हैं ,किस तरह से एलजी महोदय ने बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस के इशारे पर हम लोगों को रोक रखा है, ये दुःख की बात है।

अध्यक्षा महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें बाकायदा देखिये, बड़ा हास्यास्पद है कि ये जो ***current CEO of Delhi waqf Board, current CLO***

and Mr. M.A Farooquee could not explain why judgements favourable to government and waqf Board were concealed in all the reports. और कह क्या रहे हैं उसके सपोर्ट में कि जी, हमें तो पता ही नहीं है हमने पहली बार देखा है और उसी को कंट्रॉडिक्शन कर रहा है और यही पेटीशनर है, पेटीशनर ही कह रहा है कि हमको पता ही नहीं है। ये गजब का, ये तो ऐसा अजूबा हो रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से, मैं तो मुबारकवाद देता हूँ। फिर से आगे कह रहा हैः ***'When confronted on oath Mr. Mahboob Alam the then CEO confirmed that local villagers had met them and said this judgement Mr. Farooquee resulting in the then CEO directing concerned SHOs to lodge FIRs against the seller and purchaser.'*** रेवेन्यू डिपार्टमैंट अपना है। जो सेल डीड थी उसे क्यों नहीं न्यूलिटी करार दिया गया? क्यों नहीं कोर्ट गये? ये तीन साल का वक्त का वेट कर रहे थे के तीन साल पास तो हो जायें। ***Then this will become non- challengeable. limitation period*** पास हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदया, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने गवर्निंग बॉडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप कह रहे हैं कि अब बना लो, बना लो। भईया, दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो कमेटी है, उसका बोर्ड है उसका कंस्ट्रक्शन हो जाने दो ये दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता इन्हीं लोगों को बार बार लायेगी, फिर चुनाव होगा, हमीं आएंगे, ये दिल्ली की जनता डिटरमिन्ड है, तुम सब को जेल भेज के रहेगी, तुम कब तक बचोगे?

अध्यक्ष महोदया, और मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूँ कि आपने अपने रिकमंडेशनस के अंदर लिखा है एक कानून है कि ***Judgments obtained or passed by fraud, let's say non-appearance ho gaya advocates***

ka to non-appearance के बाद जो जजमेंट पास हो गया ***they would be treated null and void ab-initio.*** आप जाइये कोर्ट। दिल्ली वक्फ बोर्ड को बोलिये कि इन जजमेंटस को ले के तुम वापिस कोर्ट जाओ और बोलो कि जी, ये इसलिये पास हो गया क्योंकि हमारा वकील ही नहीं पहुँचा। तो मैं आपसे रिकवेस्ट करता हूँ कि अपने रिकमंडेशन में अगर दे सकें आपके माध्यम से कि भइया, वो सारे दिल्ली वक्फ बोर्ड को बोलिये, सीईओ को बोलें कि उन कोर्टस के पास वापिस जायें और बोलें कि इसमें इसके अंदर डेलिब्रेट फ्रॉड हुआ है, इंटेन्डेड फ्रॉड हुआ है और वापिस ऐप्लीकेशन फाइल करे और वो जजमेंटस को सेट एसाइड कराये और साथ में मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि बॉर काउंसिल को भी लिखें, बॉर काउंसिल को भी बताइये कि ये ऐडवोकेटस जो बाई द एक्ट ऑफ नॉन एपीयरिंग इन दोज डेटस इसके कारण एडवोकेट्स एक्ट का उल्लंघन है और उन वकीलों पे भी कार्रवाई की जाये। मैं भी उसी फ्रेटरनिटी से आता हूँ, लेकिन मैं इस बात से दुःखी हूँ कि हमारी फ्रैटरनिटी के लोग कैसे नॉन एपियर हो रहे हैं वहां पे! कैसे इतने बड़े फ्रॉड का हिस्सा बन रहे हैं डेलिब्रेटली और इनडेलिब्रेटली लेकिन इसमें ऐसे बड़ा मुद्दा बन रहा है।

एक बात तो और अध्यक्ष महोदया, जो एफआईआर रजिस्ट्रर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? एल.जी. महोदय अगर सुन रहे हैं, सीएस यहां बैठे हैं, इनकी ड्यूटी बनती है कि वो एफआईआर रजिस्ट्रर हो। ये सारे केसेज रजिस्ट्रर हों और ये सारे कलप्रिट्स जेल जाएं। सारे एमएलए इसके आज विटनेस हैं। ये 36 इंपोर्टेंट केसेज इसीलिए खो दिया गया कि वकील न पहुँचें वहां पे और हम चुपचाप बैठे रहें। हम वो एमएलएज हैं, जो अपना सब कुछ त्याग करके राजनीति में आये हैं, इसको हम सहेंगे नहीं।

अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इसपे मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो और टाईम बाउंड हो, एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो। ये सारे 36 केसेज के ऊपर और टाईम बाउंड हो और ये सिक्स मंथ्स के अंदर इसका रिजल्ट निकल के आये और ये पता लगे कि ये जो बड़े सफेदपोश घूमते फिरते हैं न दिल्ली के अंदर, उन्होंने किस तरह से लूट मचा रखा है। आम आदमी की जिन्दगी तबाह कर रखी है, ये कहते हैं कि हम एक रूपया पे जी लेंगे। हमारे एलएलएज जो हमने बड़ी मुश्किल से सरकार को तैयार किया कि भई, हमारा सैलरी बढ़ा दो, उसपे इनको आपत्ति है। लेकिन जो लूटमार मच रहा है।

अध्यक्ष महोदयाः चलिये, आप खत्म कीजिए।

श्री सोमनाथ भारतीः वो खरबों, करोड़ों रूपया मच रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो जो मेरे दो सजेशन्स आये हैं बाद में, उसको भी इसका पार्ट बना लिया जाये और उसपे संज्ञान लिया जाये, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। मंत्री इमरान हुसैन जी।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री इमरान हुसैन): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे वक्फ के इश्यू पे बोलने का मौका दिया। तो मैं सबसे पहले तो कमेटी के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरीके के इश्यु को कमेटी के अंदर लिया और इसको कमेटी ने जिस हिसाब से इसको संज्ञान में लिया और फारूखी जैसे आदमी को इन्होंने पकड़ा और चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हैं। फारूखी साहब जो कि लीगल आफिसर हैं और पिछले 20 साल से वहां बक्फ बोर्ड पे काबिज हैं और इसी तरीके से वो केसेज को हरवा देते हैं, कभी जितवा देते हैं। अपनी मर्जी से वक्फ

को चला रहे हैं तो उनके 20 साल में उन्होंने कितने इस तरीके के केसेज उन्होंने हरवाये वक्फ बोर्ड को और कितनी जमीनों पे दूसरों को कब्जा कराया, इसके खिलाफ पूरी जाँच होनी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, मेरी आपके माध्यम से उनसे गुजारिश है और ये जो वक्फ बोर्ड है या और कोई भी बोर्ड है या कोई भी महकमा है सरकार का और ये जो लोग बीस–बीस, तीस–तीस साल से एक ही जगह बैठे रहते हैं और हिलते नहीं हैं तो इन लोगों की टाईम बाउंड मैनर में ट्रांसफर होने चाहिए एक तो, और इन लोगों को वहां से ट्रांसफर करने से ही और इनकी जाँच होनी चाहिए कि बीस–बीस साल से बैठ के क्या कर रहा है और इनकी आय संपत्ति की भी जॉच होनी चाहिए और मैं आम आदमी पार्टी के विधायक श्री अमानतुल्लाह खान साहब जब से वक्फ बोर्ड के चैयरमेन बने और उसके बाद उन्होंने जो ईमानदारी के साथ काम करना शुरू करा और उसके बाद 8 अक्टूबर, 2016 को वक्फ बोर्ड को... अचानक टीवी पर खबर आती है कि वक्फ बोर्ड को अचानक जो है, वो सस्पेंड कर दिया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब से पहले ऐसा कितनी बार हुआ और जितनी तेजी के साथ उन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर काम किया; बेवाओं की भलाई के लिए या यतीम बच्चों के लिए? क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो जायदाद है, उसका मालिक कोई इंसान नहीं है और वो पुराने लोग जो बक्फ बोर्ड को जमीन देते थे, वो कब्रिस्तान बनाने के लिए देते थे, मस्ज़िद बनाने के लिए देते थे या जायदाद को जो वक्फ करते थे, वो इसलिए करते थे ताकि इसकी आमदनी से जो बेवा औरते हैं या यतीम बच्चें हैं, उनकी परवरिश अच्छी हो सके। समाज के अंदर उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े, जो वक्फ बोर्ड की आमदनी हो, इससे उनका पालन पोषण अच्छा हो, वो लोग अच्छी शिक्षा पा सकें और अपने आप स्टैंड

हो सकें और बेवाएं हैं, उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े और उनका जो पूरा का पूरा जीवन है, उसकी आमदनी से वो व्यतीत कर सकें। लेकिन अचानक ऐसा टीवी में हमने देखा कि वक्फ बोर्ड में अचानक जो है, वो वक्फ बोर्ड सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद में जाँच बैठा दी गयी। भई क्यों जाँच बैठा दी गयी? सिर्फ क्या इसलिए जाँच बैठा दी गयी कि एक ईमानदार आदमी बक्फ बोर्ड के अंदर आ गया है और उसने लोगों को कहना शुरू कर दिया है कि अब तुम संभल जाओ और ये जो तुमने पिछले जितने घोटाले कर रखें हैं, आफिसर हों या नेता हों या कोई और भू–माफिया टाईप के लोग हों तो उन सब... और मैं आज आपके माध्यम से ये एलजी साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या वजह रह गयी? अगर एक चीज पे लॉयर के ऊपर कोर्ट ने हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया बाकी सारे मेम्बरान मौजूद हैं, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल्ड हो रहा है तो फिर वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बन रहा? क्या इसलिए नहीं बन रहा है कि कोई ईमानदार आदमी वक्फ बोर्ड चैयरमेन न बन जाये ताकि लोगों की इंक्वायरी न हो जाये। तो मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है एलजी साहब से भी और इस सदन में जितने लोग बैठे हैं, यहां पे मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अमानत भाई को वक्फ बोर्ड की लैंड जो है, लगभग हर विधायक के एरिया में है, हर एरिया के अंदर है और बक्फ बोर्ड के बारे में सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से लोग वक्फ बोर्ड की जमीनों पे काबिज हुए हुए हैं और वक्फ बोर्ड को कुछ मिलता नहीं है। आज ईमामों की हालत ये है कि वो छः छः महीनें से तनख्वाह नहीं मिलती है। तो बक्फ बोर्ड की इतनी जमीन है दिल्ली और हिन्दुस्तान के अंदर कि अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी ठीक तरीके से और ईमानदार हाथों में रहे वक्फ बोर्ड तो उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अपने इमामों को भी तनख्वाह दे सकता है, अपने जो यतीम बच्चे हैं, उनका भी खर्चा उठा सकता है

और बेवाओं का भी खर्चा उठा सकता है और मैं आप लोगों के माध्यम से अमानतुल्लाह भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जितनी ईमानदारी से काम किया है, ये सदन उसे हमेशा याद रखेगा। शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदयाः धन्यवाद। श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत ये है प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

श्री सौरभ भारद्वाजः इनके जो दो रिकमण्डेशन्स थे, अगर उनपे भी आप करा लें।

अध्यक्ष महोदयाः इसका मुझे लगता है, अभी तो इंटरनल रिपोर्ट ये है और प्रस्ताव जो आया है, एक बार उसे पढ़ दें हाँ पर तो ही सदन के सम्मुख रखा जायेगा। उसे प्रॉपर फार्मेट में अगर लेकर आयेंगे तो।

श्री सोमनाथ भारतीः जो मेरे दो रिकमेंडेशन्स ***which I am requesting hon'ble..***

अध्यक्ष महोदयाः मैं आपके रिकमेंडेशन्स के ऊपर ही कह रहे हैं कि अगर वो प्रॉपर फार्मेट में आप लायेंगे,

श्री सोमनाथ भारतीः मैं पढ़ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयाः हाँ।

श्री सोमनाथ भारतीः ***I am requesting Hon'ble*** स्पीकर महोदया, ***through you to the House that these additional recommendations be added to the already seven recommendations of the Committee:***

(1) Bar Council should be asked to investigate such non-appearances of their advocates in those cases as per the applicable laws;

(2) Magestarial enquiry be ordered to investigate the 36 important cases which have been lost due to non-appearance of advocates and the enquiry should be time-bound, of six months.

उपाध्यक्ष महोदयः सोमनाथ भारती जी द्वारा जो रिकमण्डेशन्स हैं, वो प्रस्ताव सदन के समक्ष है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयाः अब श्री सौरभ भारद्वाज जी श्री अखिलेशपति त्रिपाठी जी प्रस्ताव करेंगे। ये सदन दिनांक 17 जनवरी, 2018 को प्रस्तुत याचिका समिति के अंतरिम प्रतिवेदन से सहमत है।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सदन दिनांक 17 जनवरी, 2018 को प्रस्तुत याचिका समिति की अंतरिम प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदयाः अब ये प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं वो हाँ ... चर्चा, अच्छा सॉरी।

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः अब क्या सदन ब्रेक करेगा अभी?

अध्यक्ष महोदयाः नहीं कंटीन्यू रहेगा, ब्रेक नहीं। हाँ, सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदया, ये जो मामला है ये पीटिशन्स कमेटी के आगे ये मामला आया था और ये मामला जो है कॉपरेटिव बैंक के बारे में है। कॉपरेटिव सोसायटी के जो बैंक्स होते हैं, उसके तहत ये मामला आया और ये पेटिशन, पेटिशन्स कमेटी के पास स्पीकर महोदय के थ्रू आया और पीटिशन्स कमेटी के अंदर इसकी बहुत सारी चर्चाएं हुई। 30/8 से 30/8/2017 से लेकर कई दर्जनों बैठक पीटिशन्स कमेटी में इस मामले के अंदर की हैं और ये मामला भी बहुत बड़े मल्टी करोड़ स्कैम मल्टी करोड़, कई करोड़ रूप्ज्ञये के घोटाले के बारे में है।

अध्यक्ष महोदया, ये जो को–ऑपरेटिव सोसायटी थीं, जब ये देश के आजादी के बाद कॉपरेटिव सोसायटी जो सहकारी उपक्रम हैं, सहकारी संस्थान हैं, इसलिए बनाये गये थे कि बहुत सारे छोटे–छोटे आम लोग, गरीब लोग मिलकर एक साथ कोऑपरेशन की भावना के साथ कोई काम शुरू कर सकें, कोई डेयरी खोल सकें या फिर बैंक चला सकें और उस बैंक के अंदर उन सब लोगों का जो इस कोऑपरेटिव सोसायटी का हिस्सा होते हैं। और उस बैंक के अंदर उन सब लोगों का जो इस कोऑपरेटिव सोसायटी का हिस्सा होते हैं, उन सब लोगों का जो पैसा होता है, उनकी जो पाई–पाई होती है, वो इन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जमा होती है तो आप ये मान ले कि जो साधारण बैंक होते हैं, जो सरकार चलाती है, साधारण बैंकों के अंदर तो फिर भी बहुत सारे बड़े–बड़े लोग होते हैं, जिनका पैसा होता है।

मगर जो कोऑपरेटिव सोसायटीज के बैंक्स होते हैं, उसके अंदर ज्यादातर बेहद गरीब और आम लोगों का पैसा इस कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जमा होता है।

पेटीशंस कमिटी के अंदर एक कम्पलेंट आई कि किस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स का करोड़ो रूपया फर्जी लोन देकर हथियाया जा रहा है। हमारे पास ये कम्पलेंट आई कि कैसे फर्जी मकान की सेल डीड के ऊपर, फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर, फर्जी इंकम टैक्स डाक्यूमेंट के ऊपर बड़े–बड़े लाखों रूपए के लोन लोगों को दे दिए गए हैं। कई जगह करोड़ों रूपए के लोन दे दिए गए हैं और ये लोन बैंक के पास कभी वापस नहीं आया और आएगा भी नहीं। कैसे दर्जनों इंक्वायरी इस बैंक के अंदर अलग–अलग लेवल पर चल रही हैं कि ये जो लोन है, ये गलत और फ्रॉडोलैण्ट कागजों के बिहाफ पे दे दिया गया और ये वापस नहीं आएगा और इसके अंदर एक और बड़ी खास बात आई कि कैसे इस तरीके के जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इसके ऊपर नेता जो होते हैं, छोटे–छोटे नेता होते हैं, कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी पार्टी के हों, वो कैसे इन बैंक्स के ऊपर काबिज हो जाते है और किस तरीके से बार–बार इलैक्शन होने के बावजूद भी ये लोग इन बैंक्स से नहीं हटते हैं।

कमिटी ने दर्जनों मीटिंग करके इस पूरे मामले के अंदर जाँच की और इस जाँच के अंदर कमिटी को शुरू में ये बताया गया कि जब कुछ लोग एक बार इस बैंक के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे या एक बार इस बैंक के अंदर किसी तरीके से दाखिला ले लेते हैं, कैसे एक बार अगर कुछ इस तरीके के लोग इस बैंक के अंदर दाखिला ले लेते है तो वो अपने लेवल पर बैंको के अंदर कई हजार झूठे मैम्बर्स बनाते हैं और ये जो झूठे मैम्बर्स होते हैं, ये गलत तरीके से, गलत पेपर्स के आधार पर, गलत

एकाउंटस के आधार पर ये बनाए जाते हैं और कुछ दिनों बाद ये जो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों जो चुनकर आते हैं, वो कई हजार नए मैम्बर्स बना लेते हैं बैंक के अंदर। जिसके अंदर बहुत सारे मैम्बर्स सिर्फ कागजों पर होते हैं। कोई हरियाणा रहता है, कोई यूपी रहता है, कोई राजस्थान रहता है मगर उसको बैंक के अंदर मैम्बर बना लिया जाता है। बहुत सारे लोग वो होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ कागजों पर एग्जिस्ट करते हैं और उनको मैम्बर बना लिया जाता है और जब इन बैंको के अंदर चुनाव कराया जाता है तो इसी धांधली से ये लोग दुबारा जीतकर आ जाते हैं। तो हमारे सामने जब ये मामला आया, हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि इस बैंक के अंदर जो ये चुने हुए डायरेक्टर्स हैं, इनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के मामले हैं।

रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटी के जो सेक्रेटरी होते है, सेक्रेटरी एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोआपरेटिव सोसायटीज को हमने बुलाया और पता किया कि इसके अंदर ओरिजनली कितने मैम्बर्स थे तो पता लगा इस बैंक के अंदर ओरिजनली 67,000 मैम्बर्स थे। अध्यक्षा महोदया, 67,000! पहली जांच जब कराई गई इसकी तो इस 67,000 के अंदर से करीब 53,000 मैम्बर्स फर्जी पाए गए। 67,000 में से 53,000 मैम्बर्स फर्जी पाए गए और इन मैम्बर्स की संख्या घटकर 14,000 कुछ हो गई। आप सोचिए कि कितने बड़े लेवल पर दिल्ली के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर घोटाले किए जा रहे हैं!

हाई कोर्ट ने कई बार इन बैंकों के विषय के अंदरकृ. ये बैंक जो है, मुझे लगता है इसका नाम है दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक, खास इस बैंक के मामले के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार अपने ऑर्डर्स दिए और मामलों को डिस्पोज ऑफ किया कि इन मैम्बर्स की जाँच कराई जाए। जब हमने उस वक्त के सेक्रेटरी कम रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज

श्री शूरवीर सिंह को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या बात है कि आपने इस बैंक की मैम्बरशिप की जाँच नहीं की है, बार–बार आपको शिकायतें मिली हैं, ओरल शिकायतें मिली हैं, रिटन शिकायतें मिली हैं। बैंक की तरफ से भी शिकायतें आ रही हैं कि मैम्बरशिप के अंदर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। कोर्ट के अंदर कई बार लोग गए हैं और हाई कोर्ट ने खुद कई बार कहा है कि इस की ये जो मैम्बरशिप है, इसकी जाँच कराई जाए तो क्यों इस बैंक के अंदर फर्जीवाडे की जाँच नहीं हो रही? तो जो उस समय के आरसीएस थे श्री शूरवीर सिंह, शूरवीर सिंह का नाम जो है, वो अभी–अभी भी आया था जब सीएम साहब ने शूरवीर सिंह के नाम पर ट्वीट किया था कि ये जो अधिकारी है, ये एक नालायक अधिकारी है और इनको डीयूएसआईबी के अंदर लगा दिया गया है तो पहले ये जो नालायकी थी, वो इस आरसीएस के अंदर फैलाकर गए हैं। इसके सबूत हैं, इस पूरी की पूरी कमिटी की रिपोर्ट के अंदर। अब मैं ये बताता हूँ कि इनकी नालायकी के पीछे कैसे एलजी साहब खड़े हुए हैं।

इनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि इतने बड़े फर्जीवाड़े के ऊपर कोई कारवाई नहीं की जा रही, तो शूरवीर सिंह साहब ने हमें बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है और उस ऑर्डर के कारण वो बैंक के ऊपर और इनके मैम्बर्स के ऊपर कोई कारवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उनसे कहा गया कि आप ऑर्डर्स दिखाइये, क्या ऑर्डर्स हैं? तो वो एक ऑर्डर लाए 28 अगस्त, 2017 का। 28 अगस्त, 2017 का वो एक ऑर्डर लाए जिसके अंदर बैंक को ये कहा गया था कि आप जल्द से जल्द चुनाव करा लें। तो आरसीएस महोदय ने बताया क्योंकि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जल्द से जल्द चुनाव करा लें, इसलिए हम ये जो मेम्बरशिप है, इसकी जाँच नहीं कर सकते। देखिए, कितने मजे की बात है! आरसीएस

चाहता है कि फर्जी मैम्बरों के ऊपर इलैक्शन हो जाए और क्योंकि इलैक्शन कराना है, इसलिए मैं जाँच नहीं करना चाहता। पहले इलैक्शन कराऊँगा, फिर जाँच करूँगा। तो जो फर्जी मेम्बर हैं, वो पहले वोट डालकर चोरों को जिता दें और फिर मैं, जो फर्जी मेम्बर हैं, जो वोटर हैं, उनकी जाँच करूँगा। हाई कोर्ट बार–बार कह रहा है कि आप जाँच कीजिए। ये जाँच नहीं कर रहे तो हमने इनसे वो ऑर्डर मंगाया। तो उस ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ था कि इलैक्शन कराएं मगर उस ऑर्डर के अंदर जो अगस्त का ऑर्डर था, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आप मेम्बर्स की जाँच भी कराएं और फ्री एंड फेयर इलैक्शन कराएं। फ्री एंड फेयर इलैक्शन का मतलब क्या है कि आप जाँच कराके जो सही तरीका है, उसके साथ जाँच कराएं, इलैक्शन कराएं।

फिर हमने इनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, फाइलें ले आइये। पुराने जितने कागज हैं, वो ले आइये। उन कागजों को जब कमिटी के आगे रखा गया तो कमिटी को ये पता चला कि हाई कोर्ट ने पहले भी इस मामले की जांच कराई थी और 28 फरवरी, 2017 को हाई कोर्ट द्वारा गठित कमिटी ने भी आरसीएस को यही कहा था कि इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्जी मैम्बर बने हुए हैं। जो पुराने डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने वक्त में 2011 से 2014 तक कई हजार मेम्बर बनाए हैं जो अभी भी इन 14,000 मेम्बरों में हैं। अभी भी जो 14,000 बचे हैं, 67,000 से 14,000 हो गए। अब इन 14,000 में भी कई हजार मेम्बर ऐसे हैं जो गलत तरीके से इन मेम्बर्स ने बनाए हैं, इन डायरेक्टर्स ने बनाए हैं।

अब उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सुन लीजिए कि वो कौन महान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जिन्होंने ये मेम्बर बनाए थे। उन सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर फोर्ज का, रिश्वतखोरी का और भ्रष्टाचार का

मुकद्मा चला। उस मुकद्मे के ऊपर भी आरसीएस के लोग बैठ गए, उसको डीले करते रहे। वो मामला भी इस सदन की क्वैश्चन्स एंड रैफरेंस कमिटी के अंदर आया, जिसके अंदर ये बताया गया था कि कैसे इन डायरेक्टरों ने अपने ही रिश्तेदारों को; चाचा के लड़के को, मौसी के लड़के को, 40 ऐसे रिश्तेदारों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिश्तेदार हैं, उन लोगों को इन्होंने उस बैंक के अंदर नौकरी दी। कोई उसकी ऐडवर्टाइजमैंट नहीं गई, कोई अखबार के अंदर नहीं गया, बिना ऐड्रेस के एनवलप अपने आप उड़कर बैंक में पहुंच गए, मतलब एनवलप है बैंक के अंदर, राजीव गांधी की स्टैम्प लगी हुई है, मोहर लगी हुई है, ऐड्रेर्स नहीं है उस एनवलप के ऊपर! कैसे आया ये एनवल्प? ये बैंक को नहीं पता, न रजिस्ट्रार शूरवीर सिंह को पता और इस जाँच के ऊपर ये कई सालों से बैठे हुए थे। 2012 से ये जाँच चल रही थी, 2012 से 2015 हो गई थी, इन्होंने जांच आगे नहीं बढ़ाई। जब ये मामले हमारे पास कमिटी के अंदर आया तो उस मामले के अंदर 40 लोगों को नौकरी से हटाया गया। उसी बैंक के अदंर 62 ऐसे बड़े–बड़े अफसर थे क्योंकि जब ये बैंक के डायरेक्टर्स पूरी की पूरी हेराफेरी करते हैं तो अधिकारियों के साथ मिलकर करते है तो उन अधिकारियों को बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी प्रक्रिया के 62 लोगों को एक–एक, दो–दो, तीन–तीन प्रमोशन दे रखे थे। यहाँ तक कि असिस्टैंट सीईओ तक लोगों को पहुंचा रखा था, दो–दो प्रमोशन देके इन्होंने। उस मामले की जांच जब क्वैश्चन्स एंड रैफरैंस कमेटी ने की तो उन 62 लोगों को दुबारा से डिमोट किया गया। अब जो आरसीएस हैं शूरवीर सिंह, उसकी तकलीफ ये थी कि अगर उन बैंक डायरेक्टर्स को जिनके लोगों को हटाया गया, जिनके लोगों का वापस डिमोशन किया गया, जिनको कोर्ट ने ये पाया, आरसीएस की इन्वैस्टीगेशन के अंदर पाया गया कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था, उनको पनिशमैंट दी गई, उनके ऊपर पाँच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया

और उनको कहा गया कि आप इस बैंक के इलैक्शन के अंदर दुबारा नहीं शरीक हो सकते क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है। उन लोगों के रिश्तेदार क्योंकि इलैक्शन लड़ना चाहते हैं, इसलिए शूरवीर सिंह और उसके बाद जो नए आरसीएस आए जे. बी. सिंह उन लोगों की वोटों को नहीं हटाना चाहते थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो 28 अगस्त का जो फैसला आया हुआ है, उसके कारण हम इन मेम्बर्स को नहीं हटा पा रहे, इनकी वोटिंग राइटस को नहीं हटा पा रहे क्योंकि हमको इलैक्शन कराना है। तो हमने इनसे फाइलें मंगवाई, उन फाइलों को देख के अध्यक्ष महोदया, हम चौंक गए क्योंकि हाईकोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, उसने 28 फरवरी, 2017 मतलब 6 महीने पहले आरसीएस को अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसके अंदर कहा था कि कई हजार मेम्बर इस तरीके से, फर्जी तरीके से बने हुए हैं और इनके ऊपर कार्रवाई करो और 6 महीने से आरसीएस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद आरसीएस से कहा गया कि आपके पास जितनी भी फाइल नोटिंग्स है, वो लाइए और हमें दिखाइए। अध्यक्ष महोदया, पूरी की पूरी फाईल्स इस कमेटी ने पढ़ी। अगर पढ़ी होती तो वहां न बैठे होते, जहाँ बैठे हुए हैं, मेरी जगह बैठे होते ईमानदार पार्टी में। तो अध्यक्ष महोदया, क्यों? अब मैं बताता हूँ इनका कहाँ पे इन्ट्रेस्ट आता है, इनका भी इन्ट्रेस्ट है इनके अंदर। जब 40 लोगों को हटाने की बात की गई।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः सौरभ जी, कन्टीन्यू रखिए, कन्टीन्यू रखिए, सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः जब सरकार के आईएएस ऑफीसर शूरवीर सिंह को पकड़ा गया, इस मामले के अंदर और उनसे पूछा गया कि इसके ऊपर

इतने दिनों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई तो उनके पास जवाब नहीं था। वो कमेटी को गुमराह करते रहे और ये करीब एक साल पहले का मामला है।

अध्यक्ष महोदया जब कमेटी ने रिकमंडेशन की थी कि उस अफसर की ऐनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अंदर ये दर्ज किया जाए कि ये आदमी इस तरीके से कमेटी को गुमराह कर रहा था। ये जो उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अंदर चीज दर्ज करनी थी, उस चीज को कहा गया था कि चीफ सेक्रेटरी दर्ज करेंगे इस चीज को और अगर आपको याद हो तो चीफ सेक्रेटरी इस मामले के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट गए थे और केन्द्र सरकार के जो अफसर थे और केन्द्र सरकार के जो वकील थे, एडीशनल सॉलिसिटर जनरल थे, वो भी उस वक्त शूरवीर सिंह की वकालत कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि ये बहुत गलत है, इस अफसर के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अफसर बेइमानी कर रहा है, खुलेआम बेइमानों को बचा रहा है, उस अफसर के खिलाफ उसकी ऐनुअल कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट के अंदर लिखने के लिए, कि उसमें न लिखा जाए। एलजी साहब और पूरी की पूरी केन्द्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे और उनको स्टे दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए ओ पी शर्मा जी को थोड़ा तकलीफ थी इस मामले में। फिर हमने उनसे पूरी की पूरी फाइलें मंगाई। मैं बताना चाहूँगा कि इस मामले के अंदर कमेटी ने काफी मीटिंग करी और फाइलों को देख के हमें पता चला कि जिस मुकद्में का वो हवाला दे रहे हैं कि ये 28/8/2017 के मुकदमें की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। उस मुकदमें से तो करीब 6 महीने पहले आरसीएस की फाइल के अंदर कई बारी ये नोटिंग आई है। आरसीएस के ही दफ्तर के असिस्टैंट रजिस्ट्रार ये कह रहे हैं, आरसीएस के दफ्तर के ही डिप्टी रजिस्ट्रार ये कह रहे हैं कि हमको हाईकोर्ट के ओर्डर्स हैं। हमको इन मेम्बरशिप के ऊपर एक्शन

लेना है। मैं आपको एक चीज पढ़के सुनाता हूं: ***'The committee noted that in these file notings its proved beyond the doubt that all this had happened in February-March,2017, much before the directions of Honourable High Court that was dated 28/7/2017. Sadly Mr. Shurvir Singh and Mr. J.B.Singh,*** पहले वाले आरसीएस और नये वाले आरसीएस दोनों, ***both were trying to justify their inaction by quoting a Delhi High Court order which had come five months later. Both tried to hide the facts from the committee and tried to mislead the committee.'***

कहने का मतलब ये है अध्यक्ष महोदया, कि इन दोनों आईएएस अफसरों ने कमेटी को झूठ बोला, कमेटी को गुमराह करने की कोशिश की और कमेटी ने इनसे फिर दुबारा पूछा कि आप तो हाईकोर्ट का ये जो आर्डर दिखा रहे हो, ये बाद में आया, आप तो अपनी फाइलों पर पहले ही लिख चुके हो कि इलैक्शन कराओ, जल्दी से जल्दी इलैक्शन कराओ और बिना वोटर लिस्ट के ऊपर कार्रवाई किए, बिना फर्जीवाड़ा हटाए, आप इलैक्शन कराओ। जब शूरवीर सिंह जी और जे. बी. सिंह साहब से पूछा गया कि इसका क्या कारण था तो उन्होंने फिर अपना बयान बदला और ऑन ओथ बदला और उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये कार्रवाई जो थी, वो बैंक को करनी थी, ये हमें नहीं करनी थी। बैंक ने नहीं की। बैंक के सीईओ को बुलाया गया, बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया गया, उनसे पूछा गया ऑन ओथ पूछा गया, बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया और सीईओ ने बताया कि हम इनको ये 6 महीने से बहुत बार आरसीएस को लैटर लिख चुके हैं कि ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आरसीएस हटा सकते हैं। ये आरसीएस की पॉवर्स के अंदर है, हमारे पास पावर्स नहीं है और यही बात हू–ब–हूँ 6 महीने पहले 28/2/2017 को जो हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उसने भी

आरसीएस को लिख के कहा था कि ये जो फर्जीवाड़ा का मामला है, इसको सिर्फ और सिर्फ आरसीएस हटा सकता है, आरसीएस के पास पॉवर्स हैं। जब आरसीएस को ये खत दिखाए गए बैंक के कि आपको तो ये खत लिखे हुए हैं बैंक ने, आप कह रहे हो की बैंक ने करनी थी, आपको खत लिखे हैं बैंक ने। आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? तो आरसीएस महोदय ने की हाँ और फिर बयान बदला और फिर वो बोले कि जी बैंक ने तो हमें लिख दिया था मगर हमारे पास एक्ट के अंदर कोई पॉवर ही नहीं है। हमारे पास डीसीएस एक्ट के अंदर या अदरवाइज कोई ऐसी पॉवर नहीं है कि हम इस फर्जीवाड़े के ऊपर एक्शन कर सकें। ये तीसरी बार आरसीएस ने अपना बयान बदला। जब आरसीएस को मिस्टर जे.बी. सिंह जो अभी भी आईएएस ऑफीसर हैं और आरसीएस हैं, उनको दिखाया गया कि डीसीएस एक्ट के अंदर भी प्रोविजन है कि आप इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, हमने एक्ट के अंदर सैक्शन पढ़ के बताया कमेटी के अंदर कि इस एक्ट के, इस सैक्शन के अंदर आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास इतना भी समय नहीं है, क्योंकि मेरे को इलैक्शन करना है। तो दोनों ही आईएएस ऑफीसर्स का, पुराने वाले का भी और नए वाले का भी, यही कहना था कि जी, पहले मेरे को फर्जी वोटों के आधार पे इलैक्शन कराने दो, बाद में मैं फर्जी वोट हटा दूँगा। कमाल की बात है! मतलब पहले उन चोरों को बिठाने दो जिन चोरों ने ये फर्जी वोट बनाएं हैं। अब मैं उन चोरों की आपको लिस्ट भी बता दूं, जो लोग साबित हुए कि इन लोगों ने फ्रॉड किया, इन्होंने करोड़ों रुपए के लोन फर्जी कागजों पे बाँट दिए, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को तनख्वाह दे दी, इन्होंने लाखों रुपए के गिफ्ट दिवाली पे बांट दिए। जिन्होंने 11–11 लाख रुपए के लड्डू खा लिए, ऐसे–ऐसे मामले इस बैंक के अंदर हुए हैं, उन लोन के रिश्तेदारों को किस तरीके से आईएएस ऑफीसर्स ने मिलके जिताया। अब मैं आपको

वो बताता हूँ कि वो कौन लोग थे जो इस बार इलैक्शन लड़ रहे थे, जिनको इलैक्शन जिताने के लिए दोनों ही आरसीएस बहुत ज्यादा परेशान थे, कमेटी ने हार के, थक के, परेशान हो के 28 नवम्बर, 2017 को कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि 4–5 दिन बाद आपके इस बैंक के अंदर इलैक्शन है, जिसकी जिम्मेदारी रजिस्ट्रार ऑफ को–ऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर है। इस बैंक के अंदर इतने फर्जी वोट आज की तारीख में भी हैं जो बैंक अपनी खुद की रिपोर्ट में लिख के कह चुका, हाईकोर्ट ने जो कमेटी बनाई, उस रिपोर्ट में लिख के आ चुका, आरसीएस खुद कई बार कमेटी के आगे मान चुके और उसके बाद भी उन लोगों के लिए इलैक्शन कराए जा रहे हैं और वो लोग कौन हैं, जो इलैक्शन लड़ रहे हैं, वो भी सुनिए। ये जो पूरे के पूरे फर्जी वोट बने थे ये 2011 से 2014 के बीच में बनाए गए थे और उस वक्त के बैंक के डायरेक्टर्स थे, जो बार में भ्रष्टाचार में पकड़े गए और उनको इलैक्शंस में लड़ने के लिए डिबार किया गया। उन लोगों के कौन रिश्तेदार लड़ रहे थे, सुनिए। उस वक्त के जो चेयरपर्सन थे, उनका लड़का और उनका दामाद इलैक्शन लड़ रहा था। कहने का मतलब ये है, एक आदमी है जयभगवान जो खुद भ्रष्टाचार के अंदर जिनके ऊपर 5 लाख रूपये का जुर्माना हुआ और कहा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उनका लड़का श्री दिनेश कुमार और उनका दामाद श्री अशोक कुमार ने चुनाव लड़ा। दूसरे एक डायरेक्टर थे; श्री जगदीश भारद्वाज उनको डिबार किया गया इलेक्शन से और उनका लड़का अतुल भारद्वाज चुनाव लड़ा। विनय भारद्वाज, उनको डिबार किया गया कि आप भ्रश्टाचारी हो, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनका लड़का, उनकी मां सरला भारद्वाज चुनाव लड़ी। नरेश पाल सेम। संदीप शौकिन, एक्स डायरेक्टर, ये खुद ही चुनाव लड़े। इनके उपर भी कई इंक्वायरी चल रही हैं। चमन लाल, इनके बेटे सार्थक शौकिन चुनाव लड़े। इनको भी निकाला गया कि आप बैंक से दूर

रहना। इनके बेटे को चुनाव लड़ाया गया। इस तरीके से जितने भी लोग, रिश्तेदार लड़े, कहने का मतलब है दो पैनल लड़े इस बैंक के अंदर। इस बैंक के चुनाव में दो पैनल लड़े और दोनों ही पैनलों में जो चेयरमेन पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो दोनों वो लोग थे जिनके बापों को भ्रष्टाचार के लिए इस बैंक में चुनाव लड़ने से हटाया गया था। सोचिए, यही ये दिल्ली के अंदर हो रहा है और दिल्ली के आईएएस ऑफीसर जे.बी.सिंह और पुराने वाले शूरबीर सिंह, उनकी मिलीभगत से हो रहा है। जब शूरबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के वकील इनके लिए हाई कोर्ट में पेश होते हैं। ये इनको बचाते हैं हाँ पर और फिर यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा! तुम ईमानदार हो हम हैं, तुम बन जाओ। कुछ करो तो सही, कोई कार्रवाई तो करो। खुल्लमखुल्ला चोरी हो रही है। हम तो जहाँ पर कमेटी के अंदर हाथ डालते हैं, हाँ पर लाखों–करोड़ों का भ्रष्टाचार नजर आ रहा है और फिर कहते हैं कि यार, केजरीवाल ने जो है भ्रष्टाचारियों के उपर कुछ नकेल नहीं कसी। कैसे कसे नकेल? एसीबी आपने1 छीन ली। इन्क्वायरी कमीशन बनाते हैं, आप उसको निरस्त कर देते हो। पुलिस हमारी सुनती नहीं है। आईएएस अफसर थे जितने के जितने, उनको आपने कह रखा है कि इनके कहने पर काम नहीं करना, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। न तुम्हें सस्पेंड कर सकते, न ही तुम्हें निकाल सकते, न तुम्हारा ट्रांसफर कर सकते और हम होने नहीं देंगे। जो डिपार्टमेंट अच्छा काम करता है, डूसिब अच्छा काम कर रहा था, वी.के. जैन करके वहां पर आईएएस अफसर थे, वो रिटायर हुए तो इन्होंने कहा कि कौन–सा सबसे नालायक है? अच्छा शूरबीर सिंह है, इसको ले आओ इसके अन्दर। और जैसे ही वो आया, उन्होंने कहा कि चलो, अब इसके बारे में बात करते हैं कि डूसिब में काम नहीं हो रहा। अरे! अगर डूसिब के अंदर काम नहीं हो रहा, आप भी कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहा

है, तो करो ना सस्पेंड अफसर को। क्या दिक्कत है? उसके ऊपर करो कार्रवाई।

अभी इसके अंदर और भी मैं आपको चीजें बताता हूं अध्यक्ष महोदया। इसके अन्दर हमने चीफ सेक्रेटरी एम.एम.कुट्टी को भी बुलाया और इस पूरे प्रकरण के अंदर एम.एम.कुट्टी भी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। एम. एम.कुट्टी को ये बताया गया कि आप जब प्रधान सचिव थे, उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के जी के नाम पर भी उस वक्त फॉर्म खरीदे गए थे इस बैंक के अंदर। मैं आपको इस बैंक के बारे में बताता हूँ। इस बैंक के अंदर आप एक फॉर्म खरीद सकते हैं और एक मेम्बर बना सकते हैं। ये को–ऑपरेटिव का नियम होता है। अगर आप इसके अन्दर 100 फॉर्म खरीदते हैं और 100 नकली मेम्बर बना लेते हैं तो ये हो गया कि जैसे हम नकली वोटर बना लें। फिर तो आप ही मेम्बर बना लो, आप ही जीत लो। इस रजिस्टर के अंदर, बैंक के अंदर दर्ज है 500 फॉर्म फलाना डायरेक्टर ने खरीदे, मेम्बर बना लिए। 1000 फॉर्म फलाना डायरेक्टर ने लिए, उसने मेम्बर बना लिए। 700 फॉर्म फलाना ने ले लिए, मेम्बर बना लिए। 500 फॉर्म तो शीला दीक्षित ने लिए। उन्हें क्या जरूरत थी मेम्बर बनाने की? अब कुट्टी क्या थे? उस वक्त कुट्टी शीला दीक्षित जी के प्रधान सचिव थे, उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। कुट्टी जी से पूछा गया कि क्या आपको मालूम है कि जिस वक्त आप प्रधान सचिव थे, उस वक्त की मुख्यमंत्री ने भी फॉर्म खरीदे हैं और इसके अंदर जाली मेम्बर बनाए हैं। कह रहे थे कि नहीं, मैं नहीं था उस वक्त। बैंक का रजिस्टर मंगाया गया, ईयर और डेट मिलाए गए और पूछा गया कि आप इस वक्त प्रधान सचिव थे या नहीं थे? उन्होंने माना हाँ, मैं उस वक्त शीला दीक्षित का प्रधान सचिव था। अब जो आदमी उस मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव था, वो उस मुख्यमंत्री के फर्जीवाड़े

पर कोई एक्शन लेगा? इसीलिए बार–बार कुट्टी जी हाई कोर्ट जाते थे। क्योंकि कुट्टी जी को ऐसा लगता था ये मेरे को नाप देंगे इस कमेटी के अंदर। इसलिए जब–जब कमेटी ने कुट्टी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की, वो कोर्ट गए और कोर्ट के अंदर भी उनको तुरंत स्टे मिला। मैं हैरान हूँ! सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये बात हुई थी कि कोई मुकदमा आता था तो चीफ जस्टिस साहब उस मुकदमे को किसी खास बेंच पर भेज देते थे। मैं तो रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जितने मुकदमें जाते थे, मेरा ये मानना है कि उनको भी कहीं न कहीं, जहाँ हो सका, उसको एक खास बेंच पर भेजा गया। हमारा ये मुकदमा जहाँ पर हम लोग किसी भी आईएएस अफसर के ऊपर कार्रवाई की बात करते थे, उसके अंदर ये होता था कि हम आईएएस अफसर के ऊपर कार्रवाई की बात करें भ्रष्टाचार में और कोर्ट उसके ऊपर स्टे दे दे। फिर हम बात करें और कोर्ट उस पर स्टे दे दे।

एक बार क्या हुआ कि एक्टिंग चीफ जस्टिस साहिबा छुट्टी पर थी, उनकी कोर्ट नहीं लगी। जब वो छुट्टी पर थी, वो मामला दूसरी बेंच पर चला गया। वो ही मामला, उसके अंदर ही स्टे नहीं मिला उनको। उसके अंदर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जाइए कमेटी के सामने पेश होइए। कमेटी आपसे क्या मांग रही है? जवाब ही तो मांग रही है, जवाब दो आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मतलब आप चीफ जस्टिस पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री सौरभ भारद्वाजः हां, मैं लगा रहा हूं आरोप। जो लगाया है, दोबारा सुन लो। यही लगा रहा हूं ना। सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि जब चीफ जस्टिस छुट्टी पर थी एक्टिंग चीफ जस्टिस, हाँ, तो उस वक्त

वो मुकदमा जो स्टे मांगने चीफ सेक्रेटरी गए थे, उस वक्त वो मुकदमा उनके पास नहीं गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः किसके पास?

श्री सौरभ भारद्वाज चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास और दूसरे बेंच के पास गया। आप बैठो तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ये ऑन रिकार्ड है। ऑन रिकार्ड कह रहा हूं ये बातकृ

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः सौरभ जी, आप कंटीन्यू करें। किसके पास?

श्री सौरभ भारद्वाजः मैं तो ऑन रिकार्ड कह रहा हूं। बैठो–बैठो सुनो।

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः अरे बैठो तो, सुनो।

अध्यक्ष महोदयाः बैठिए आप, आप प्लीज। आप बैठेंगे एक बार? उनका संदेश कम्प्लीट तो होने दीजिए, कम्प्लीट सुन तो लीजिए एक बार, बैठें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः जी, सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः मैं ये, आप मेरी बात सुनिए। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली के, उनको क्या हम फांसी दे रहे थे कमेटी के अंदर! क्या दे रहे थे? हम उनको बुलाते थे, सवाल पूछते थे ना और इतने बड़े भ्रष्टाचार के बारे में सवाल पूछते थे कि जहाँ हजारों मेम्बर फर्जीवाड़े से बनाए गए हैं, जहां बार–बार हाई कोर्ट ये कह चुका है कि

इन फर्जी मेम्बर को हटाओ, उसके अंदर हम चीफ सेक्रेटरी को बुला रहे हैं। तो क्या फांसी दे रहे हैं उसको हम कमेटी में! उसको हम बुलाते थे, तो वो हाई कोर्ट जाते थे और हाई कोर्ट से उस मामले में स्टे लगाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक्टिंग चीफ जस्टिस छुट्टी पर थी, वो बीमार थी। तो वो मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस पर ना जाकर दूसरे बेंच पर गया और हाँ पर, उसी मामले में स्टे नहीं मिला। मैं ये बता रहा हूं आपको ऑन रिकार्ड है ये बात। हाँ, मैं यही बता रहा हूं ना। और सुनिए।

अध्यक्ष महोदयाः सौरभ जी, कंप्लीट कीजिए, सौरभ जी कंप्लीट कीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः सौरभ जी, कंप्लीट कीजिए। देखिए और भी कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। सौरभ जी, आप कंप्लीट कीजिए, बहुत टाइम ले लिया आपने।

श्री सौरभ भारद्वाजः मैं इसके आगे ये भी बता दूं। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदया, एक ऐसा वक्त भी आया जब ये मामला हाई कोर्ट में कोई ले गया और वो आदमी हाई कोर्ट में जाकर उसने कहा कि हाई कोर्ट ही कई बार ये मामला कह चुका है कि ये जो फर्जी मेम्बर हैं, जो इन भ्रष्टाचारी एक्स डायरेक्टर्स ने बनाए हैं, उनको लिस्ट से हटाया जाए। उनकी वोटिंग राइट हटाई जाए, उनकी वोटिंग राइट सीज करी जाए। मगर आरसीएस हमारी बात को नहीं सुन रहा है। कमेटी के अन्दर ये मामला गया। हाँ पर भी आरसीएस हमारी बात को नहीं सुन रहा है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा, इलेक्शन के बारे में पूछा तो एक और चीज ऑन रिकार्ड कहता हूँ आपको, उस वक्त कमेटी के अंदर चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे एम.एम.

कुट्टी और आरसीएस जे.बी. सिंह भी मौजूद थे। उनसे कमेटी ने कहा कि आप ये पूरी की पूरी जो स्पश्टता है, जो बार बार आपको बैंक कह चुका है कि ये फर्जी मैम्बर हैं इतने हजार। आप ये बात कोर्ट के आगे क्यों नहीं रख देते? अगर आपको ऐसा लगता है कोर्ट का कुछ इसके अन्दर जो है, मानहानि हो जाएगी या वहां पे कटैम्ट हो जाएगा हमारा, तो आप ये पूरी की पूरी जो वस्तुस्थिति है, ये हाई कोर्ट के सामने ही रख दीजिए। एक एफिडेविट के फॉर्म में रख दीजिए। तो मेरे सामने चीफ सैक्रेटरी ने आरसीएस को कहा जे.बी. सिंह साहब को कि भई आप ये एफिडेविट रख दीजिए, इसमें आपको क्या दिक्कत है। सुनिए, जब ये बात कही गई तो जे.बी. सिंह ने क्या कहा आप सोचिए कि मैन्युप्लेशन की और मिसलीडिंग की कहाँ तक हद हो रहा है! उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि मुझे मंत्री ने मना किया हल्फनामा देने से, समझ रहे हैं आप? उसी वक्त कमेटी के अन्दर बिना किसी मंत्री से बातचीत किए, मैंने अपने फोन से मैं चेयरमैन हूँ, उस कमेटी का। मैंने उस कमेटी से के माध्यम से माइक ऑन करके सबसे पहले अपने फोन का स्पीकर ऑन किया और मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं; राजेन्द्र गोतम जी, इनको मैंने फोन लगाया स्पीकर पे कि मंत्री जी जे.बी. सिंह जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। कमेटी काफी दिनों से कोशिश कर रही है कि ये जो पूरी की पूरी फर्जीवाड़े की जो स्थिति है, ये हाई कोर्ट के आगे हल्फनामे के तौर पे बता दी जाए तो मंत्री जी ने सबसे पहले ये ही कहा कि मैं तो ये ही कह रहा हूँ कि बता दी जाए। इसमें क्या दिक्कत है? हमने कहा कि जे.बी. सिंह जी जो आपके आईएएस अफसर बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कमेटी को कि मंत्री जी ने मना किया है। मंत्री जी ने वहीं पे स्पीकर से पूछा क्यों जे.बी. सिंह जी मेरे से कब बात हुई आपकी? आपने कब मना किया है तो जे.बी. सिंह जी ने उस बात को फिर से पलट दिया। आप सोचिए दिल्ली की विधान सभा के अन्दर, दिल्ली

की कमेटी की मीटिंग के अन्दर एक आईएएस अफसर कितनी बार झूठ बोल सकता है और इतनी बार झूठ बोलने के लिए क्या उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आप ये सोचिए।

अध्यक्ष महोदयाः मिलनी चाहिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः फिर जब उसको कहा गया कि आप अब ये हल्फनामा जो है, हाई कोर्ट से आगे दीजिएगा और दो दिन पहले दीजिएगा। दो दिन पहले इसलिए दीजिएगा ताकि वो हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ जाए। वरना, अगर आप एक बहुत बड़ा डिटेल्ड एफिडेविट हाई कोर्ट को हाथ में देते हो कोर्ट को, तो कोई कोर्ट कोई न पढ़ पाती है उसको तीन तीन मिनट, चार चार मिनट में कोर्ट को अपना फैसला देना होता है। केस को आगे दूसरे केस को लेते हैं। तो इनको चीफ सैक्रेटरी के सामने ये कहा गया कि आप दो दिन पहले ये जो एफिडेविट है, ये कोर्ट के अन्दर जमा कराएंगे। इन्होंने माना कि हम जमा कराएंगे और हालत ये है इस दिल्ली की, इस दिल्ली में एल.जी. साहब के दिए हुए अफसरों की कि उन्होंने वो एफिडेविट पहले तो इनकम्पलीट और वेग दिया। जो बातें उस एफिडेविट में लिखी थी, वो बातें उन्होंने नहीं लिखी। बार बार कहने के बाद नहीं लिखी। चीफ सैक्रेटरी के कहने के बाद नहीं लिखी और जब कोर्ट लग गई तो जज साहब के हाथ में वो एफिडेविट पकड़ा दिया तो उसके ऊपर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया।

अब बात आई चीफ सैक्रेटरी साहब की। चीफ सैक्रेटरी साहब को 28/11/2017 को ये खत लिखा गया कि 3 दिसम्बर को ये चुनाव होने वाले हैं, फर्जीवाड़ा होने वाला है, इन चुनाव के अन्दर। आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई कीजिए। एम.एम. कुट्टी साहब ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई

नहीं की। एम.एम. कुट्टी साहब से ऑन रिकॉर्ड पूछा गया कि आपने जो मौखिक आदेश जे.बी. सिंह को दिए थे, आरसीएस को दिए। उन्होंने उन आदेशों का पालन नहीं किया तो आप क्या जे.बी. सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे? तो चीफ सैक्रेटरी साहब ने कहा कि मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। फिलहाल इस रिपोर्ट के अन्दर हमने चीफ सैक्रेटरी के बारे में कोई रिक्मंडेशन नहीं दी है। चीफ सैक्रेटरी को अपने इन सब कारनामों का इनाम देते हुए केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अन्दर फाइनेंस मिनिस्ट्री में ले लिया है एम.एम. कुट्टी साहब को। उनको इस चीज का इनाम दिया गया है। इस वक्त इस अन्तरिम रिपोर्ट में हमने चीफ सैक्रेटरी के बारे में कोई रिक्मंडेशन नहीं दी है। मगर, अगली जो रिपोर्ट आएगी, उसके अन्दर उनके बारे में भी रिक्मंडेशन देंगे। उनके बारे में भी फाइडिंग्स और कंक्लुजन देंगे। अब मैं आखिर में, इस कमेटी की अन्तरिम रिपोर्ट की कन्क्लूजन्स पढ़ूंगा और मैडम, इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है इस बैंक के अन्दर कि बैंक के अन्दर मैम्बर बनाने के लिए साढ़े चार हजार रुपये लगते हैं। तो ऐसा हुआ कि बैंक के दफ्तरी के अकाउंट के अन्दर 20–22 लाख रुपये, 18 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। उसके ही अकाउंट्स से वो पैसे डिडक्ट हो के उन लोगों को मैम्बर बनाया गया और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। बैंक स्टेट्समेंट दफ्तरी की उसकी, इसकी सब ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद भी आरसीएस ने कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर। जब हाई कोर्ट ने कहा उसको कि आप कार्रवाई करो। तब आर.सी.एस साहब ने सिर्फ एक हजार लोगों के ऊपर कार्रवाई की और फिर भी करीब चार हजार लोगों को उसके अन्दर छोड़ दिया और फर्जी इलेक्शन कराया गया और मैंने जैसे कि आपको बताया कि दोनों ही पैनल ऐसे थे, जिसके अन्दर दोनों के ही चेयरमैन ऐसे थे, जिनके बापों के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे के अन्दर उनको दोषी पा के उनको पनिश किया और इलेक्शन से हटाया गया। तो

दोनों में से एक ही जीतना था, वो जीत गया और इनका मिशन जो था, वो सक्सेसफुल हो गया।

इस सरकार के अन्दर भी इन सब लोगों ने मिलके एक भ्रष्टाचारी को दोबारा बैंक के अन्दर जिता दिया और दोबारा से उनको करोड़ों रुपये के, गरीब लोगों के पैसे के ऊपर बैठा दिया। अभी तक तो करोड़ो का वो घोटाला कर चुके थे, अब और घोटाला करेंगे और मैं अब आपको रिक्मंडेशंस के बारे में बता दूं। फाइंडिंग्स और कंक्लुजंस के बारे में बता दूं। फाइंडिंग्स एक कंक्लुजंस ये हैः

"There is enough material on record to conclude that several officers of Department of Registerar of Co-operative societes including the then Secretary cum registerar Mr. Shurvir singh and the current RCS Mr. J.B. Singh were acting in connivance with the group directors of the Delhi Nagrik sehkari Bank with the intention to conduct the elections of the bank with large number of illegal and irregular voters. Mr. Shurvir Singh and Mr. J.B. Singh delayed the proceedings against the group of ex-directors in the cases of corruption and fraud with mala-fide intention to protect them. The deposition of the then Secretary-cum-Registrar Mr. shurvir Singh and the current Secretary Mr. J.B. Singh was a fabrication full of contradctions and untruths. They tried to mislead the committee on many occasions. The current Secretary-cum-Registrar colluded with group of ex-directors to help the kith and kin to win the election of the said bank. Presenting a manipulated, incorrect and misleading deposition before the committee of Legislative Assembly is a fit case for initiation of proceedings against the officials responsible for commiting breach of privileges and contempt of house.'

कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने इतनी बार कमेटी के आगे झूठ बोला, शूरवीर सिंह और जे.बी. सिंह ने इतनी बार फेब्रिकेशन किया। इतनी बार मिसलीड किया कि हमारे पास खूब तथ्य हैं कि इन लोगों के खिलाफ कमेटी की और हाउस की अवमानना करने के लिए इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और ये मामला प्रीविलेज कमेटी को भेजा जाए।

"Ignoring and abdicating the statutory duties of conducting free and fair elections can only be construed as a lack of professional honesty and integrity on the part of official concerned i.e. the then Secretary-cum- Registrar Mr. Shurveer singh and the current one Mr. J.B. Singh. Nothing else but corruption can explain such connivance with the group of ex-directors who were held guilty in many inspections and inquiries. There are many such inquiries and inspections which are still pending and are being delayed for obvious reasons. This aspect also needs to be thoroughly investigated.

अब हमारी रिक्मंडेशंस हैं अध्यक्षा महोदया,: ***(1) The Chief Secretary of Delhi should initiate criminal proceedings against Mr. Shurvir Singh and Mr. J.B. Singh for their acts of commission and ommission to help and aid the corrupt;***

मतलब इनके खिलाफ आपराधिक मामलों के अन्दर केस दर्ज किया जाए और आपराधिक मामला शुरू किया जाए, प्रोसिडिंग शुरू की जाए;

(2) The Chief Secretary of Delhi should submit an Action Taken Report to the House through Hon'ble Speaker based on the recommendations and the findings of the Committee within a month of adoption of this report by the Lesgislative Assembly;

कहने का मतलब ये है कि एक महीने के अन्दर अन्दर एक्शन टेकन रिपोर्ट चीफ सैक्रेटरी इस विधान सभा के अन्दर दें;

(3) Privilege proceedings should be initiated against Mr. Shurvir Singh and Mr. J.B. Singh for their multiple acts of contempts of the privilege of the House and the contempt of the Assembly of Committee:

इन दोनों अफसरों के खिलाफ प्रिविलेज का मामला शुरू किया जाए।

(4) Prima-facie the elections of the management committee under Delhi Nagrik Sahkari Bank dated 3/12/2017 were conducted in violation of Clause-3 of Schedule-2 of the DCS Act. The Chief Secretary of GNCTD should initiate a process to get this examined and decide within a period of one month of the adoption of this report by the Legislative Assembly the decision of legality of the said election should be reported to the House through Hon'ble Speaker based on the committee within a period of six weeks of adoption of this report by the Legislative Assembly.

कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्शन हुआ है, इसके अन्दर शेड्यूल–2 के क्लॉज थ्री का उल्लंघन हुआ है। इसलिए इसकी भी दोबारा जाँच कराई जाए। इसके अन्दर एक तय प्रक्रिया है जिसके अन्दर आरसीएस, डीसीएस कानून के तहत इसकी जाँच कराई जा सकती है और इसके अन्दर वो काफी कार्रवाई कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया, और मेरे साथी मैम्बर्स आप सब लोगों ने मुझे यहां पे बोलने का मौका दिया आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक्यू सौ मच।

अध्यक्ष महोदयाः श्री अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया कि आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

ये मामला 18 जनवरी, 2017 को मेरे सामने आया। एक क्वैश्चन के रूप में; क्वैश्चन नम्बर 62 के रूप में इस सदन में मैंने पूछा था कि दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में इस तरीके की गड़बड़ियाँ चल रही हैं, उस पर आरसीएस दफ्तर, माननीय, मेरे को और सदन को इस उत्तर से अवगत कराएं। साथ–साथ एक पिटीशन अलग से भाई सुखवीर दलाल जी जो पिटीशन कमेटी में बाद में दिये, उनका मैटर अभी हम लोग प्रस्तुत कर रहे थे। उसी पर सुनवाई करते हुए जब क्वैश्चन पूछा गया तो उसका उत्तर तत्कालीन आरसीएस शूरबीर सिंह गोलमोल करके और गलत उत्तर दे दिये। उस पर मैंने आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी है, उसके पास अर्जी लगाई कि जो मैंने क्वैश्चन पूछा है, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के बारे में, वो उत्तर ठीक नहीं दिया गया है बल्कि हमें गलत सूचना दी गयी है और आधी–अधूरी सूचना दी गयी है। उस पर भी सुनवाई आपके कमेटी मे चल रही है अभी और साथ–साथ एक पिटीशन कमेटी में भाई सुखबीर दलाल जी का जो मैटर दिया गया, उस पर आज हम फाईन्डिंग पर पहुंच गये। बड़ा इन्ट्रेस्टिंग है सब कुछ, देखा जाये। 40 लोगों की भर्ती की जाती है। भर्ती किस पोस्ट की थी। चपरासी और चपरासी के पोस्ट की इलिजिबिल्टी क्या रखी गयी थी; दसवीं पास। दसवीं पास के लोगों के लिए अब कोई भर्ती करनी है तो जब भर्ती करनी है तो इनकी मजबूरी होती है कि उसको एडवरटाईज करना पड़ेगा, कम से कम तीन पेपरों में। दसवीं पास चपरासी की वैकेन्सी का एडवर्टाइजमैन्ट ऐसे पेपरों में दिया गया जिसको तो हम जानते नहीं। और जानते हैं तो वो इंगलिश में है। सारे इंगलिश पेपरों में

दे दिये गये। और उस पर न एडवरर्टाइजमैन्ट में दिया गया कि बैंक में कहाँ पर अप्लाई करेंगे, किस एड्रेस पर आप अपना कॉरसपॉन्डेन्स करेंगे, कहाँ फॉर्म भेजेंगे, कौन उसको रिसीव करेगा। फिर रिसीव करने के बाद कौन तय करेगा कि आप एलिजिबल पाये गये। आपको इण्टरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये इतना तो कर गये। उसके बाद हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा थी। सारे रिश्तेदारों को रखना था। इन्होंने अस्सी लोगों को ये दिखाया कि हमने अस्सी लोगों को इण्टरव्यू के लिए बुलाया। इत्तफाक देखिए कि सारा काम उल्टा होता गया। अस्सी लोगों को बुलाया गया वो भी रविवार के दिन। डेट दिया गया भूल गये वो। ऐसे ही लिख दिया गया उन्होंने कि केवल आना है आपको। रविवार के दिन दे दिया गया कि आपका इण्टरव्यू होगा जबकि नहीं होता सनडे के दिन। चलो मान लिया कि आपने रविवार के दिन इण्टरव्यू कर ली। जब पता देखा गया कि किसको–किसको कॉरसपॉन्डैन्स किया गया है, तो खाली मुहर लगा है डाकघर का। न 'ए' लिखा गया है, न'' बी लिखा गया है और 'न' सी लिखा गया है। 'सी' का पता क्या है, वो भी नहीं लिखा गया है। सारा इन्वैलप खाली–खाली कमेटी के सामने आ गया सारा निकल के। तो इससे सिद्ध हो गया कमेटी में कि भई, ये तो सारा इल्लीगल भर्ती कर दी गयी। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड का मामला है। इस पर एक्शन होना चाहिए। कमेटी में सुनवाई के दौरान सौरभ भाई चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा शूरबीर जी से जो तत्कालीन आरसीएस से कि भई, आपके पास डेढ़ साल से इस चीज की शिकायत आ रही है, एक साल से कि ये गलत भर्ती किया गया है। ये तो सारा फ्रॉड है। सारी आरटीआई से सारे जवाब दे दिये गये आरसीएस को लेकिन आरसीएस की क्या मजबूरी थी कि उनको नहीं निकाला गया। क्या नेक्सस था डाईरेक्टर्स के साथ? हाँ के चेयरमैन जो चुने गये थे उनके साथ। उस पर उनका कोई जवाब नहीं आ पाया। उन्होंने कहा, ''अब मैं कार्रवाई कर

देता हूँ।'' चूंकि अब नॉलेज में आ गया कमेटी के और कमेटी ने कह दिया कि आप एक्शन लो उनके उपर तो कहते हैं, ''अब मैं एक्शन ले लूंगा।'' उनके ऊपर कार्रवाई की गयी और चालीस लोगों को निकाल दिया गया। इसी तरीके से 62 लोगों को दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में परमोशन दिया गया। वो कौन लोग थे जिन्हें परमोशन दिया गया? वो लोग चपरासी लोग थे, जिनको परमोशन करके असिस्टेन्ट डाईरेक्टर, डिप्टी डाईरेक्टर, डाईरेक्टर तक बना दिया गया। मतलब एक आदमी को चार–चार, पांच–पांच परमोशन्स। न कोई परमोशन के नियम हैं, न कानून है। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक जो है, जबकि सबके लिए नियम बना हुआ है कि किस तरीके से परमोशन किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ। आरसीएस को इसकी भी जानकारी दी गयी थी कि गलत तरीके से इनका परमोशन किया गया। आरसीएस ने इस पर कुछ नहीं किया। जब कमेटी ने पूछा तो कहा अच्छा जी, ठीक है। गलत है, आप कह रहे हैं तो मैं इसके उपर काम कर दूँगा। कमेटी ने पूछा, ''आप भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे?'' आपकी भी कुछ ड्यूटी है कि नहीं ड्यूटी है। तो बताते हुए नजर आये कि अब मेरे पास जानकारी में आ गया है, तो अब मैं इस पर कार्रवाई कर देता हूँ। सेम हालत आप आगे देखेंगे। कोर्ट के डिसीजन पर डिसीजन आते रहे। जब कोई पिटीशन लगाता था, आरसीएस के दफ्तर में, उसकी सुनवाई नहीं होती थी। वो कोर्ट चला जाता था बेचारा। अब कोर्ट जाकर के अपने लिए रिलीफ और न्याय लेकर के आता था। एक बार इसी तरीके से जो 67000 मेम्बर थे। मेम्बरशिप की भी शिकायत की इन्होंने कि सारे फ्रॉड हैं ये। तो एक हो गया कि भर्ती और परमोशन एक फ्रॉड। जिसमें आरसीएस जो पुराने थे वो चुप रहे। सारा उनकी निगरानी में हो गया। दूसरा लगातार शिकायत देते रहे कि 67000 मेम्बर बना लिये गये हैं। ये गलत है और फ्रॉड तरीके से बनाया गया है। हम लोगों ने रजिस्टर मंगाया कमेटी ने कि भई,

किसको–किसको मेम्बर बनाया गया; कैसे–कैसे बनाया गया; किसको–किसको फार्म दिये गये? तो पता चला कि एक–एक आदमी को सौ–सौ, हजार–हजार फार्म दे दिये गये। और इसी कड़ी में हमारी पूर्व चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनके नाम से भी उसमें इन्ट्री लिखा हुआ है रजिस्टर में, जो हम लोगों के सामने आया कि उनके दफ्तर में 100 फार्म मंगाये गये हैं और उनके नाम से जा रहा है। मैं यह नहीं समझता कि सीएम क्यों मंगा रहे थे। ये भी एक्जामिनेशन का एक विषय है। जब–जब लोग आरसीएस के पास जाते थे कि यहाँ पर गलत है। सारे मेम्बरशिप गलत हैं। लोग ड्यूल मेम्बरशिप ले चुके हैं। इसको ठीक किया जाये। कभी सुनवाई नहीं हुई। लोग ने कोर्ट से जाकर रिलीफ लाया। एक कोर्ट की रिलीफ मिल जाती थी। दुबारा कुछ दिन बाद ये फिर प्रोसीडिंग शुरू कर देते थे कि इलेक्शन होगा। इलेक्शन उन्होने 2014 में फिर करने की कोशिश करी। 2014 में इलेक्शन करने की कोशिश की। फिर जो पीड़ित लोग थे, वो कोर्ट गये। हमारे बीच में जापान से डेलीगेशन भी आया है। हम स्वागत करते हैं उनका।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदयः दो मिनट बैठिए अखिलेश जी। दो मिनट प्लीज बी सीटेड। 47 स्टेट्स हैं टोटल जापान में। वन स्टेट फोकूका उनके स्पीकर और उनके मेम्बर्स जैसे हम लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर्स हैं, हाँ स्टेट को प्रिफेक्चूवल्स कहा जाता है। कल एक समझौता दिल्ली सरकार और इनके गवर्नर, हाँ मुख्यमंत्री को गवर्नर बोलते हैं। ही इज इलेक्टेड। उनके बीच में एक समझौता हुआ था। कल अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसमें दिल्ली में पालूशन, यूथ डवलपमेन्ट इन सब चीजों को लेकर एक समझौता हुआ और उस समझौते पर दोनों के हस्ताक्षर हुए थे। मुझे भी सौभाग्य मिला था उस इवेंट का साक्षी बनने का। हमारी डिप्टी स्पीकर महोदया भी थी,

हमारे मंत्री भी थे वहाँ पर। मेरे बिल्कुल बांई ओर फोकुका प्रिफेक्चुअल्स के स्पीकर बैठे हैं। इनके सभी सदस्य हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ दिल्ली पधारने के लिए। बहुत अच्छा अभी एक घंटा हमारा बैठकर डिस्कशन हुआ है डेवलपमेंट के लिए। मैं उनका, उनके डेलिगेट्स का बहुत–बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बैठिये प्लीज। नाउ अखिलेश त्रिपाठी जी, कंटीन्यू।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः बात चल रही थी मैम्बरशिप की। 67 हजार.

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बोलने दीजिए प्लीज।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः 67 हजार लोगों को बनाया गया। फिर कोर्ट के आदेश के बावजूद कुछ दिन जब बीत गए तो एक और प्रयास किया गया कि इलैक्शन करा दिया जाए 67 हजार मैम्बरशिप के आधार पर ही और उसका एडवरर्टाइजमैन्ट कर दिया गया। उस एडवरर्टाइजमैन्ट पर 34 लाख रुपये खर्च कर दिए गए, जो कि जनता का पैसा था। अपनी ड्यूटी आरसीएस ने नहीं सम्भाली। उनकी गलतियों की वजह से यहाँ पर 34 लाख रुपये की चपत फिर से जनता के धन को लग गया और फिर पीड़ित पक्ष को कोर्ट जाना पड़ा और वहाँ से स्टे कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने कहा कि आप लोग तीन महीने के अंदर इस लिस्ट को ठीक करके फिर से हमें फ्रेश और फ्री इलैक्शन कराइये ताकि जो मूल भावना है कि जो इलेक्टेड लोग हों, वो सही लोग हों। वो मिल सकें दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक को लेकिन...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, अब कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः दो मिनट। महीनों, सालों बीत जाने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से जब कमेटी ने इन लोगों की लापरवाहियों के बारे में सूचना दी चीफ सेक्रेटरी महोदय को कि इस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं जेबी सिंह और शूरवीर सिंह। शूरवीर सिंह जो पहले इस तरीके की लीपापोती करके गए हैं, उनके कामों पर जब पूछा गया जेबी सिंह से तो भी लीपापोती करते हुए समझ में आ रहे हैं। सीएस साहब को यह लिखा गया कि इनका कंडक्ट ठीक नहीं है। इनकी सीआर में इस डिसप्लेजर को दर्ज किया जाए और दर्ज करके कमेटी को बताया जाए। इस पर एक साल बीत गया। लगभग एक साल बीत गया और उन्होंने कोई काम नहीं किया। कमेटी ने फिर संज्ञान लिया और फिर जो है चिट्ठी लिखी कि आपने काम नहीं किया। आप आकर यहाँ जवाब दीजिए। जब जवाब देना पड़ा तो वो अपने आपको बचाने के लिए कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस और प्रिविलेज ऑफ कमेटी न लगे, इसके लिए कोर्ट जाने की कोशिश की है और उससे भी बड़ी गलती कर बैठे वहाँ पर। वहाँ पर हाउस की अवमानना की उन्होंने।

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, अब कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः उन्होंने गलत ऐफिडेविट दिया दिल्ली विधान सभा के बारे में। उन्होंने कमेटी के बारे में गलत सूचना दी। वहाँ ऐफिडेविट दिए, हलफनामा दे रहे हैं कि हमें कमेटी एक दिन का भी टाइम नहीं दे रही है जबकि कमेटी ने उनको पहले छः महीने का टाइम दिया, फिर तीन महीने का टाइम दिया, फिर उनसे ही पूछ करके पन्द्रह दिन का टाइम देती है कमेटी कि आप इस पर कार्रवाई करके लाइये। इस तरीके का गलत ऐफिडेविट देकर के सरकार का और विधान सभा का फेस खराब करने के

लिए भी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए क्योंकि यह छोटा मैटर नहीं है। अगर कोई जिम्मेवार अफसर जाकर के कोर्ट में गलत ऐफिडेविट देता है तो यह बहुत ही संगीन अपराध है। इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है।

इसी के साथ–साथ इसी कड़ी में 28 नवंबर, 2017 को कमेटी ने एक लैटर लिखा सीएस को कि आप जो इलैक्शन होने जा रहे हैं यह इलैक्शन गलत तरीके से हो रहा है, अभी मैम्बरशिप जो है 14667 पर आ गया है लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं, गलत लोग हैं, 4 हजार कुछ लोग गलत, अभी भी मैम्बरशिप हैं, इसको वेरिफाई किए बिना इलैक्शन न कराया जाए। इस ओर भी चीफ सेक्रेटरी साहब कोई लिखा–पढ़ी नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने जेबी सिंह से मौखिक कह दिया था। अब मैं पूछूँगा कि उन्होंने क्या किया। जब पूछा गया कि जेबी सिंह पर आप क्या कार्रवाई करेंगे तो वो कहते हैं हम इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, प्लीज इसकी हिस्ट्री में न जाएं। यह विषय पूरा आया हुआ है।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः बस दो मिनट।

अध्यक्ष महोदयः बहुत लम्बा समय हो रहा है।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः बस दो मिनट में, केवल दो मिनट। तो इस तरीके की कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही हैं। लगातार कमेटी में पूछा जाता रहा है आरसीएस से, सीएस से कि आप जो जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, कोई उत्तर नहीं आया। बार–बार पूछते रहे हम लोग, कोई उत्तर नहीं आया। आज फिर वही आरसीएस शूरवीर

सिंह डीयूएसआईबी में बैठा दिए गए और उनकी लापरवाहियों का खामियाजा अभी भी सरकार को देखने को मिल रहा है। पीछे बोर्ड की मीटिंगों में भी इस तरीके की उनकी लापरवाहियों के बारे में इंगित किया जाता रहा है।

अध्यक्ष महोदय, तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो चीफ सेक्रेटरी यहाँ से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में इनाम पाकर चले गए हैं, जिन्होंने विधान सभा के फेस को खराब करने की कोशिश ऑनरेबल कोर्ट में करी है। गलत ऐफिडेविट देने की कोशिश करी है, उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ हाउस और प्रिविलेज का मामला चलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ, बहुत धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदयः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अभी सौरभ जी ने पूरी डिटेल में सारी बात बताई। मैं रिपोर्ट को पढ़ रहा था इसमें पेज नंबर 15 परः ***"The bank itself gave on record the specific details of all such irregular voters and the then directors who registered them in bulk. Those bank directors have been found guilty of corruption and frauds and were awarded punishment."*** मेरा यह कहना है कि यह बैंक जो है, दिल्ली सहकारी बैंक, यह दिल्ली कॉपरेटिव सोसायटी एक्ट, 2003 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और इसमें पॉलिटिशियन जो हैं, उनको इससे क्यों अलग रखा गया है, जो रिकमंडेशन आई है? जब इसमें फाइंडिंग एंड कन्क्लूजन में यह कहा गया किः ***"Delayed proceeding against Mr. J.B. Singh were acting in connivance with a group of ex-directors of Delhi Nagrik Sehkari Bank with intention to conduct the elections of bank with large number of illegal voters.'*** यानी कि शीला दीक्षित जी की भी बात आई यहाँ पर और उस समय की सरकार

के जो लोग हैं, उस सरकार में जो थे; एमएलए वगैरह, उनका भी, उसको रिपोर्ट से अलग क्यों कर दिया गया? उनको इसका पार्ट क्यों नहीं बनाया गया? यानी कि जब आप पूरी फाइंडिंग करने के बाद पॉलिटिशियन को छोड़ रहे हो आप। इस सरकार की उस सरकार के साथ क्या कनायवेंस है कि आप, जिन लोगों ने यह फ्रॉड किया, इसकी बात इसमें की गई है या फोर्जरी की है या जिन लोगों को आप इलैक्शन से डिबार इसलिए करना चाहते थे कि उनके पिताजी जो हैं, वो पिछली सरकार का हिस्सा थे और वो फ्रॉड में थे। तो उनके बेटे को सज़ा दी जाए, वो भी नहीं की आपने। न बाप को दी सज़ा, न बेटे को दी, न उस समय की मुख्यमंत्री को दी।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, बताइये ज़रा। आप थोड़ा प्लीज, मैं जानना चाह रहा हूँ।

श्री सौरभ भारद्वाजः एक तो मैं बहुत सराहना करूँगा विजेन्द्र गुप्ता जी की कि उन्होंने इस विषय के अंदर इतनी दिलचस्पी दिखाई और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी और इसके अंदर कोट भी किया है और यह बात बिल्कुल ठीक है कि इसके अंदर जो उस वक्त के पॉलिटिशियन्स थे और ज्यादातर वो पॉलिटिसियन्स कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उनका भी कई जगह जिक्र आया है और उसकी कनाइवेंस भी प्रूव होनी चाहिए और उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं इस बात में पूरी तरह से यकीन करता हूँ और ऐसा होना चाहिए, मैं स्वागत करता हूँ विजेन्द्र गुप्ता जी की बात का और इसके लिए सिर्फ हमें एक जरूरत यह रहेगी कि हमें कुछ बार चीफ सेक्रेटरी जो थे उस वक्त; कुट्टी साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शीला दीक्षित के, यही एक हमें पॉलिटिकल कड़ी मिली है तो

इनको हमें कुछ बार कमेटी के अंदर बुलाना पड़ेगा और मुझे ये आशंका है, मेरा यह डर है कि जब हम कुट्टी साहब को बुलाएंगे कमेटी के अंदर तो कहीं न कहीं केन्द्र सरकार इसके अंदर कहेगी कि भई, तुम हमारे अफसर को मत बुलाओ। मैं बिल्कुल यकीन से, हमारे बड़े भाई हैं विजेन्द्र गुप्ता जी, उनको इस चीज का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी और कमेटी...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, उनको पूरी बात करने दो। देखो, उन्होंने बोलने के लिए समय मांगा।

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः बिल्कुल ठीक बात है और अध्यक्ष जी, मैं यही कह रहा था। विजेन्द्र गुप्ता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिये, बहुत जल्दबाजी में जितना पढ़ेंगे, उस हिसाब से वो ठीक बोल रहे हैं। मतलब ये एक ह्यूमन बात है। मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ और कमेटी हमारी इस चीज के लिए तैयार है। मैंने इसीलिए कहा कि इसके अंदर हमने चीफ सेक्रेटरी कुट्टी के खिलाफ कोई रिकमंडेशन नहीं दिया है और ये रिपोर्ट एक अंतरिम रिपोर्ट है। हमने ये इसलिए कहा है क्योंकि वो बीच कार्यवाही के अंदर केन्द्र सरकार के अंदर पहुंच गये हैं। तो वो कार्यवाही जो है, उस कारण से रूकी हुई है। मैं इस हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूँ अपनी कमेटी की तरफ से कि हम श्री कुट्टी को दोबारा बुलाएंगे और इस विषय के अंदर जाँच करेंगे कि शीला दीक्षित के समय में ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ था, मैं और भी कांग्रेस की एक और दो तीन चीजें बता दूँ। ये आदमी, जिसने ये पूरा का पूरा घोटाला किया है, ये कांग्रेस की पहली

सरकार के अंदर कांग्रेस द्वारा ही मंडियों के अंदर मेंबर बनाये गये थे, जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल आदमी जो सरकार के करीब होते हैं, उनको मंडी के अंदर बनाया जाता है, मेंबर बनाये गये थे। उसके बाद उनको इसी बैंक के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक, मतलब वो आदमी जो सरकार का जिसके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा होता है कि अगर इलेक्टिंग कमेटी नहीं है तो इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया जाए। वो जो आदमी थे, वो जय भगवान थे, जो उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने बिठाये थे। और एक बात और इसकी पूरी की पूरी जाँच जब एलजी साहब को ऐसा लगा कि ये मामला कहीं दायें बायें न चला जाए। जब हमने शीला दीक्षित जी का नाम प्रेस कान्फ्रेन्स में लिया था तब एलजी साहब ने इसके ऊपर एन्टीकरप्शन ब्रांच की एक जांच बिठायी थी। मैं कई बार उसके बारे में पूछ चुका हूँ मगर उसकी जाँच अभी कहीं आगे नहीं बढ़ी है। जैसे मनीश सिसोदिया जी के घर, चीफ मिनिस्टर साहब के घर कई बार सीबीआई और एसीबी पहुंचती थी, छापे मारती थी, अभी तक ये छापेमारी हुई नहीं है। मगर इसके अंदर मैं दोबारा यकीन दिलाऊँगा कि उनको बुलाया जाएगा। प्रेस के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस चीज को जानें। ये अंतरिम रिपोर्ट है, कंप्लीट रिपोर्ट के अंदर उसका दिया जाएगा।

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः है उसका तो है।

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः किस चीज का?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उनका भी नाम एड करवाइये न।

श्री सौरभ भारद्वाजः किसका बताइये?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मेरे को तो मालूम नहीं, कौन है। इसमें लिखे नहीं नाम।

श्री सौरभ भारद्वाजः आप रिकमंड कीजिए हाउस तो इसके ऊपर वो कर देगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, हमारा तो ये कहना है कि जैसे आपने दो लोगों को इसमें कहा है इसमें उनको भी प्रिविलेज कमेटी में डालिये या जो भी हमारी रिकमंडेशन है, वो पॉलिटिशियन्स को डालिये न। अब बताइये चेयरमैन जो थे, वो सारे जिन्होंने नकली वोट बनाई, वो सबको।

श्री सौरभ भारद्वाजः नहीं, ये बहुत ठीक बात है। उसका विजेन्द्र जी, एक कारण था और मैं बहुत खुश हूँ आप इस चर्चा के अंदर अच्छा पॉजिटिव सहयोग दे रहे हैं। ये अच्छी चीज है, सकारात्मक चीज है। उसका एक कारण विजेन्द्र जी, ये था कि वो सब लोग प्राइवेट सिटीजन हैं और उन लोगों को हमने कभी कमेटी में भी नहीं बुलाया। तो उनके ऊपर प्रिविलेज का जो है न, वो मामले में कुछ खास वो नहीं होता। ऐसे लोगों को हमने एसीबी में उनकी जो कंप्लेंट की है, उनके लोगों की, उनकी जाँच हो रही है वो एक मामला, ये एक दिक्कत है बट फिर भी बहुत–बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे लीडर आफ अपोजिशन, विजेन्द्र गुप्ता जी का कि उन्होंने काफी सकारात्मक बातें कही। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः अब ये प्रस्ताव...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई, अब देखिये, अब डिस्कशन एफडीआई पर होना है प्लीज, नहीं प्लीज। अब बैठिये। सुखबीर जी भई अब एफडीआई पर डिस्कशन होना है सारा समय चला जाएगा।

श्री सुखबीर सिंह दलालः मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिये, बैठिये।

श्री सुखबीर सिंह दलालः आपने मुझे छोटा भाई समझकर इसको संज्ञान में लिया तो मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदयः चलिए धन्यवाद। ये मैटर सुखबीर सिंह दलाल का ही था, जो मैंने रेफर किया था।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

हाँ पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

अल्पकालिक चर्चा शीर्षक (नियम–55)

अब श्री शिवचरण गोयल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति और इसके प्रभाव के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे।

श्री शिवचरण गोयलः अध्यक्ष महोदय आपने मुझे एफडीआई के ऊपर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय देश के लिए जिस विषय के ऊपर चर्चा 2011–12 में भी इस सदन में पार्लियामेंट में भी हुई थी और आज दोबारा से वही चर्चा पार्लियामेंट में चल रही है कि सिंगल ब्रांड और मल्टीपल ब्रांड। 100 परसेंट एफडीआई को आने का मौका। मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब हमारी सेंटर में वर्तमान गवर्नमेंट आई थी और उनका एक ही प्रोग्राम था कि मेक इन इंडिया और आज पौने चार साल होने को हैं, वो मेक इन इंडिया की जगह हर काम एफडीआई! एफडीआई! वो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम कहाँ गया? हमारे बीजेपी के शीर्ष लीडर जिसमें कुछ हमारे सामने भी बैठे हुए हैं, उन्होंने उस समय इतनी बातें की थी इसके विषय में कि एफडीआई आएगी तो देश में ये होगा, वो होगा और आज वही इसका समर्थन कर रहे हैं और उसकी कई क्लिपिंग ह्वाट्सऐप पर भी घूम रही हैं, फेसबुक पर भी घूम रही हैं। ये किस तरह के प्रोग्राम हैं? इसे मैं दोगली बात कहूँ, दोमुंहा साँप कहूँ, क्या कहूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इनकी कथनी और करनी में कितने फर्क हैं! ऐसा कोई लीडर नहीं था बीजेपी का ,जिसने ये नहीं कहा हो कि एफडीआई नहीं आनी चाहिए। इसके कितने नुकसान हैं। इतने नुकसान गिनाये थे हरेक लीडर ने जिसका मैं बताता रहूँगा तो शायद और कई बातें तो मेरे ख्याल गुप्ता जी खुद भी कह चुके होंगे, उनकी भी क्लिपिंग कुछ पड़ी हुई हैं कि एफडीआई आएगी तो छोटे छोटे हमारे उद्यमी, हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी जिसमें चार पाँच से लेकर दस लोग तक होते हैं। वो जब सारी आइटम्स बाहर से बनकर आएंगी और यहाँ पर वो जो बनने का उसका महत्व नहीं रह जाएगा। वो इंडस्ट्रीज करोड़ों के ही... हमारे यहाँ पर लघु उद्यमी बहुत हैं। करोड़ों इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी जिससे कम से कम भी आठ दस करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे देश में कम से कम भी चार से पाँच करोड़

खुदरा व्यापारी हैं। जब ये बड़े बड़े मॉल खुलेंगे, बड़े बड़े रिटेल शोरूम खुलेंगे और ये छोटे व्यापारी जहाँ भी एफडीआई अच्छे प्रोग्राम के अंदर आई, आप अमरीका देख लें, यूरोप देख लें, हाँ पर छोटे व्यापारी खत्म हो गये। क्योंकि जहाँ भी मुझे याद आ रहा है कि 94–95 के आसपास हमारी अपनी कोला कंपनियां होती थी, अब वो जब दूसरी कंपनियाँ आईं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ आईं, उसके बाद उन्होंने पहले अपने ब्राण्ड को उससे कंप्टीशन शुरू किया। मेरे ख्याल से हमारी कोला कंपनी का रेट होता था उस समय सात रुपये। सात से छः, फिर पाँच, फिर चार और मेरे ख्याल से तीन रुपये तक बिकी थी। जहाँ तक मेरी जानकारी है। आखिर में हमारी कंपनियों को अपने ब्राण्ड बंद करने पड़े और उसके बदले आज की डेट में आप देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं। अब हमारी कंपनियों का ब्राण्ड खत्म हो चुका है। सेम इसी तरह से आज देश में ये होगा, जब बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, शुरूआत में आपको सस्ता प्रोडक्ट, उसके बाद उन्होंने, अभी एक आंकड़ा मुझे मिला है कि जितना भी एफडीआई है, उसमें मेक्सिमम एफडीआई या तो बंबई में आई है या दिल्ली में। क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस बॉम्बे और दिल्ली में होता है। पहले यहां कि मार्किटों को कैप्चर किया जाएगा। उसके बाद पूरे देश के अंदर इस व्यापार के माध्यम से, यहीं से यहीं की मार्केट को परचेज किया जाएगा। उसके बाद सस्ते दामों में बेचा जाएगा, पांच सात साल तक और यहाँ से पूरे बाजार को खत्म कर दिया जाएगा। ये एफडीआई का आंकड़ा भी है कि शुरूआत महानगरों से जिसमें खासकर दिल्ली और बम्बई। दूसरा एक आंकड़ा और बढ़िया आया है जी, कि एफडीआई मैक्सिमम आई कहाँ से है। दो हजार से लेकर दो हजार सत्रह तक इसमें सबसे ज्यादा एफडीआई आ रही है मॉरिशस से। अब मॉरिशस से क्या, मेरी तो समझ में नहीं कि ये मॉरीशस

से ये करीब–करीब 34 परसेंट है। 34 परसेंट एफडीआई हमारे देश के अंदर मॉरिशस से है। तो ये एक पूरी तरह से, कोई ना कोई इसके अंदर कोई बहुत ही बड़ा शड़यंत्र देश के लिए चल रहा है।

जहां तक बात है, नौकरियों की, हमारे माननीय प्रधान सेवक जी ने कहा था कि भारत के अंदर एफडीआई आने के बाद हमारे यहाँ के युवक युवतियां या तो सेल्समैन होंगे और ये एक तरह का ईस्ट इंडिया कम्पनी का दूसरा रूप है, ये ईस्ट इंडिया का दूसरा रूप है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं देख रहा हूँ। आपके दो सदस्य आपसे बात करके बाहर गए हैं ना। मैं देख रहा हूँ, दो मिनट रूको। इसमें कोई वो नहीं। विजेन्द्र जी, जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ये हाउस की कमी है। हम लोगों की कमी है जो हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विशेशकर हमारे चीफ व्हिप की कमी है और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है ये।

(कोरम बैल बजाई गई।)

अध्यक्ष महोदयः चलिए चालू करिए।

श्री शिवचरण गोयलः सन् 1600 में ईस्ट इंडिया कम्पनी आई थी और वो व्यापार के उद्देश्य से आई थी। उसके बाद यहाँ देखा उसने कि यह तो सोने की चिड़िया है। उसकी निगाह एक पॉलिटिकल लेवल पर पड़ी। उसने सबसे पहले एक स्टेट पर अटैक किया, उसमें लड़वाया और मेरी जानकारी में है कि हाँ से पहली खेप 72 लाख रूपये की गई थी उस समय। बहत्तर लाख रूपये 1650 के आसपास की बात है। और 1650 से लेकर 1747 तक उसने पूरे देश में कब्जा कर लिया। जब उसे लगा कि

पूरे देश के अंदर सोने की चिड़िया है। अब वो ही हालात अब दोबारा से पैदा होने वाले हैं। जब हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। जब यहाँ पर कुछ बनेगा ही नहीं। सारा सामान बाहर से बनकर आएगा और हमें उनके ऊपर मोहताज होना पड़ेगा। उनकी मर्जी के रेट होंगे। हमें हर जगह ब्लैकमेल किया जाएगा। उसके बाद आखिर में अंत में क्या होगा, हम वो ही गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक गम्भीर विषय है। यदि इस पर समय रहते संज्ञान नहीं लिया गया तो वो समय दूर नहीं है कि जब वो स्थिति जो 1747 में आई थी, वो दोबारा न आ जाए। तो मेरी पूरे सदन से, इसके संज्ञान लेने की जरूरत है और ये बात हमें पुरजोर रखनी है कि ये एफडीआई किसी भी तरह से हमारे देश में नहीं आए। यह हमारे व्यापार के लिए, नौकरियों के लिए, किसानों के लिए, हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, यह कहना, कहीं खतरनाक है। इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। बस इतना ही कहना था। बहुत–बहुत शुक्रिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः सुश्री अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने एफडीआई के ऊपर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मेरा मानना क्या है, उससे पहले ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ! केन्द्र में जो सरकार है, हमें याद है 2012 में संसद में बहुत हंगामा हुआ। संसद को चलने नहीं दिया गया। संसद रोक दी गई। उस समय देश के प्रधान मंत्री आदरणीय डॉ. मनमोहन सिंह जी थे। यह एफडीआई का विचार उनका था। खूब हंगामा हुआ। ससंद चलने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि हृदय परिवर्तन 2012 से 18 आते–आते कैसे हो गया! क्या–क्या कहा गया और किस–किस ने कहा उस समय? 2012 में अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सामने दोहराना चाहती हूँ। सबसे पहले तस्वीर आपके सामने। मैने आपसे इजाजत ली थी। इन सबके जो

बयान संसद में खडे होकर देश की आज जो रक्षा मंत्री है; सुषमा स्वराज जी ने, देश के आज जो हैं उप–राष्ट्रपति वंकैया नायडू जी ने। देश के उस समय हमारे खुद मुख्यमंत्री थे, उस समय तो आदरणीय प्रधान मंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय क्या बात कही थी। स्म ति इरानी जी ने क्या बात कही थी। मैं चाहती थी कि ऑडियो आप चलाएं ताकि ये ना लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपने इजाजत नहीं दी। ये कुछ तख्तियाँ पकड़ी हुई हैं। श्री वंकैया नायडू जी उस समय विपक्ष में थे। मोदी गवर्नमेंट अलाउ 100 प्रसेंट एफडीआई, ये आज है। उस समय क्या था? ''मैं देश नहीं बिकने दूँगा।'' और आज क्या है मैं देश बिकने हटा दिया है। मैं आज देश जो है, नहीं को हटा दिया गया है, ''मैं देश बिकने दूंगा, मैं देश बिकने दूंगा।'' ये देखिए किसने क्या कहा। क्या रिटेल में एफडीआई आने से नुकसान होगा! ये इनका कहना था 28 नवम्बर 2012 के अखबार की कटिंग है। 'रिटेल में एफडीआई के विरोध में दिये गए तर्क।' पहला तर्क क्या था? केन्द्र की भाजपा की सरकार के बैठे हुए आज के मंत्रियों का, जो '100 प्रतिशत एफडीआई रिटेल,' खुदरा बाजार में इसका समर्थन कर रहे हैं। विरोध करते हुए ये कहा था कि विदेशी निवेश नौकरियाँ छीन लेगा, ये किसने कहा था? ये किसी और ने नहीं देश के आज के वित्त मंत्री आदरणीय श्री अरूण जेटली साहब ने कहा था कि विदेशी निवेश से नौकरियाँ छिन जाएंगी। उनका तर्क है कि सुपर मार्केट छोटी किरयाणों की दुकानों को निगल जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में भी छोटी–छोटी दुकानें एफडीआई से खत्म हुई हैं। ये तर्क उस समय दिये गए थे। दूसरा तर्क जरूरत के सामान की सप्लाई पर विदेशी कम्पनियों का अधिकार हो जाएगा। यानी कि छोटी–छोटी चीजों के लिए एफडीआई–इन–रिटेल आने के बाद अब मोहताज हो जाएंगे इन कम्पनियों के। क्योंकि विदेशी कम्पनियाँ दाम घटाकर लोगों को लुभावनी और उनका मुकाबला देशी कम्पनियों के बस का

नहीं रह जाएगा। यानी कि विदेशी कम्पनियाँ आएंगी, उसके बाद लोक लुभावने अपना लालच देंगी। अपना जो है, अपने ग्राहकों को बनाने के लिए और उसका नुकसान जो है, वो हमारे छोटे व्यापारियों को ही होगा। उस समय के तर्क इन्हीं के दिये हुए हैं। बड़ी विदेशी कम्पनियाँ बाजार का विस्तार नहीं करेंगी। यानी कि वो एक ही जगह वो बड़ा सा टारगेट या वॉल मार्ट जैसे अमेरिका जैसे बड़े–बड़े वो खुल चुके हैं। मार्केट बाजार खुल जाएंगे और छोटी–छोटी दुकानें और छोटा–छोटा व्यापारी खत्म हो जाएगा, ये इनका कहना था। मौजूदा बाजार पर काबिज हो जाएंगे। ऐसे में खुदरा बाजार से जुड़े चार करोड़ लोगों पर इसका असर होगा। छोटी–छोटी दुकान पटरियां रेड़ियाँ, इस पे उन्होंने इनका ये तर्क था कि उस समय चार करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज बिना इसका जवाब दिये, 49 से 50 परसेंट जो एफडीआई किया था डा0 मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, आज उसे 100 प्रतिशत करने के बाद ये जवाब नहीं देते। ये 100 को चार करोड़ नौकरियां, जो आपकी चिंता थी, उस समय 2012 में आज उसकी भरपाई कैसे होगी? कैसे यकीन दिलायेंगे ये? आज देश में इतनी बेरोजगारी है और चार करोड़ तो क्या 100 प्रतिशत करने के बाद हम मानते हैं, आठ करोड़ बेरोजगार नहीं होंगे। इसका जवाब ये नहीं देते हैं। इस मसले पर भारत और चीन की तुलना करना गलत है, ये खुद इनका कहना था। चीन के साथ तुलना मत करिये। चीन विदेशी कंपनियों का सबसे बड़ा सप्लॉयर है पूरे विश्व में। सबसे ज्यादा अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट और अपनी विदेशों में चीजें बेचता है, तो वो चीन बेचता है। और भारत की रिटेल में एफडीआई होने पर चीन का ही सामान बिकेगा। इनका कहना था कि एफडीआई 50 आपने 1 परसेंट किया है, इससे क्या होगा? चीन अपना सामान हमारे बाजार में और खुलकर बेच पायेगा, ये कब कहा था? भाजपा जब विरोध में थी, 2012 में और आज 2018 आते–आते 51 परसेंट रिटेल एफडीआई। रिटेल को,

खुदरा बाजार में इन्होंने 100 प्रतिशत कर दिया है। अब चाइना का माल कैसे रोक पायेंग? ये जवाब इनके पास नहीं है। जिसका जवाब माँगने के लिए कोई खड़ा होगा अध्यक्ष जी, तो क्या होगा, वो भी आगे मैं आपके सामने उदाहरण सहित बताऊँगी सदन में। जिस सप्लाई चेन की बनने की बात सरकार खुद कर रही है, उस समय सरकार ने खुद कहा कि हमारी सप्लाई चेन एफडीआई आने से डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा कि सप्लाई चेन बेहत्तर हो जायेगी। अगर सरकार सप्लाई चेन दुरूस्त होने से कहती है कि किसानों का फायदा होगा तो उस समय भाजपा के विरोध में बैठे हुए लोगों ने मनमोहन सिंह जी से कहा था कि आप वो तो एफडीआई लाये बिना ही इसको दुरूस्त कर सकते हैं। आज ये कैसे सप्लाई चेन जो है, दुरूस्त करेंगे, इसका जवाब नहीं है।

अध्यक्ष जी, मेरे पास एक और कागज है। विरोध जिन्होंने पहले भी किया मेरे विचार उनके साथ, मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। नाम लूंगी, बिल्कुल संघ से जुड़े विदेशी जागरण मंच ने फैसले को देश के खिलाफ तब भी बताया था, अब भी बताया है। मैं संघ के आरएसएस के मौहन भागवत जी के मेरे विचार उनसे मिलते नहीं हैं। मैंने कभी उनके विचारों का समर्थन नहीं किया है क्योंकि उनकी सोच एक कट्टर, एकतरफा सोच है जो दूसरे की सोच को हमेशा हमला और मारने की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं लेकिन मैं उन्हें सलाम करती हूँ, आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत जी को। क्योंकि उन्होंने यू टर्न नहीं किया। उन्होंने अपना स्टैंड जो 2012 में था वो 2018 में भी रखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम जो हैं अपना, उन्होंने स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ का नारा दिया। आज भी उस नारे पर खड़े हैं। आज भी मोहन भागवत जी ने नागपुर में आरएसएस के कार्यालय में, जो अखबारों में पढ़ा है; राजनाथ सिंह जी

को बुलाया और दो घंटें उस पे बात की कि 2012 से लेकर 2018 तक हदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्या ऐसा हुआ इस दौरान, ये समझायें कि हम लोग जो एफडीआई का विरोध कर रहे थे कि बेरोजगारी हो जायेगी! छोटा व्यापारी खत्म हो जायेगा! आज ऐसा क्या हो गया है, ये जानने के लिए मोहन भागवत जी ने नागपुर के आरएसएस के कार्यालय में राजनाथ सिंह जी को बुलाया, दो घंटे बात हुई लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है और जो हिम्मत करते हैं उनके साथ क्या होता है।

अध्यक्ष जी, अभी दो दिन पहले ही नहीं, कल ही की बात है। विश्व हिन्दू परिशद् जो देश में जो है विदेशी सामान की बिक्री की बात करता था कि चाइना के प्रोडक्ट को बाहर फेंकिए, स्वदेशी लाइये, स्वदेशी खाइये, पहनिये और करिये। इसी तहत एक लाला रामदेव भी हैं। मैं माफी चाहूंगी, बाबा रामदेव जो आजकल उनको लाला रामदेव बोल रहे हैं क्योंकि वो व्यापारी हो चुके हैं। विश्व हिन्दू परिशद् के जो अध्यक्ष अभी भी हैं, जिन्हें हटाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिन्हें तो अब जान से मारने तक की धमकियाँ मिल रही हैं। कल उन्होंने खुद पीसी में कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, जो भी केन्द्र की मोदी सरकार भाजपा के खिलाफ बोलता है, उन्हें जान से मारने की और फेक इंकांउटर कराने की पूरी धमकी दी जाती है। ये मैं नहीं कह रही। डा. प्रवीण तोगड़िया जी विश्व हिन्दू परिषद् के अध्यक्ष कल आंखों में आँसू लेकर डर और खौफ में एक प्रैस कांफ्रेंस में इस बात को कह रहे थे। वो ही बात, वो ही बात कि सरकार के खिलाफ बोलोगे तो क्या होगा, ये खाली डा. प्रवीण तोगड़िया जी ने ही नहीं, कल लाला रामदेव कहूँ या बाबा रामदेव, उन्होंने भी कही। उनसे पूछा गया, ''बाबा रामदेव जी, आप तो 2012 में डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा

एफडीआई का विरोध कर रहे थे, आज खामोश क्यों हैं?'' मीडिया ने जब उनसे पूछा, ''खामोश क्यों हैं?'' उन्होंने कहा, ''मैं इस सरकार से यानी केन्द्र की आज की भाजपा मोदी सरकार से किसी तरह का कोई राजनीतिक पंगा नहीं लेना चाहता हूँ। क्या मतलब है कि आप राजनीतिक पंगा नहीं लेना चाहते। आप उस समय भी विरोध में थे एफडीआई के, आज भी आप बोलने से डर क्यों रहे हैं? डर का कारण है अध्यक्ष जी, अभी पतंजलि के साथ जो बाबा रामदेव जी के प्रोडक्ट हैं, भारत सरकार ने दस हजार करोड़ का करार हस्ताक्षर किया है। उन्हें डर है कि एफडीआई के खिलाफ बोलूँगा तो केन्द्र की मोदी सरकार ने जो दस हजार करोड़ का व्यापार दिया है, हस्ताक्षर किया है करार, उसे कहीं रद्द कर दिया, तो बाबा रामदेव की दुकान बंद हो जायेगी और इतना ही नहीं, यही बाबा रामदेव हैं, जब डा. मनमोहन सिंह जी देश की, यूपीए की सरकार थी 2012 में, वो जब एफडीआई ला रहे थे अध्यक्ष जी, इसी बाबा रामदेव जी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा, ''ये जरिया है, विदेशों में जो काला धन रखा है, एफडीआई के माध्यम से उस 80 प्रतिशत देश के बाहर काले धन को देश में लाने का! आज इस पे जवाब नहीं देते हैं कि आपने नोट बंदी कर दी लेकिन काला धन इस देश में नहीं आया। आज आप एफडीआई के मामले से उस काले धन को लाने का विचार कर रहे हैं, तो बताइये इस देश को कि उस समय आपने एफडीआई नहीं होने दिया 100 प्रतिशत। आप आज 100 प्रतिशत करके क्या नोटबंदी में नाकामी हुई काला धन लाने में, तो क्या ये एक और रास्ता है और आप मान रहे हैं काला धन है और एफडीआई के मामले से वो काला धन इस देश में वापिस आ जाएगा। बाबा रामदेव को भी डर है कि बोलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह से आँसू लेकर विश्व हिन्दू परिषद के डा. प्रवीण तोगड़िया जी अपनी प्रैस कांफ्रेंस कर रहे हैं कि बोलेंगे तो

मार दिये जायेंगे, फेक इंकांउटर में। वो डर बाबा रामदेव को भी है। इतना ही नहीं, सीटू ने कहा है कि मेक इन इंडिया, सीटू लेफट से जुड़ा हुआ मजदूर संघ है, उन्होंने भी इसका विरोध तब भी किया था, आज भी कर रहे हैं। सीटू ने कहा मेक इन इंडिया के नाम पर डेस्ट्रॉय इंडिया की नीति पर भारत सरकार काम कर रही है। ये मेक इन इंडिया का नारा दिया था; आइए, भारत में चीजें बनाइये और विदेशों में जाकर बेचिये। लेकिन मेक इन इंडिया कहाँ है! कितने उद्योग मेक इन इंडिया के तहत लगे, कितनों को रोजगार मिला, कोई इसका जवाब देश भारत की सरकार के पास नहीं है। अध्यक्ष जी, आपके भी घर में मैंने देखा, मैं माफी चाहूंगी। आपने एक दिन सुबह नाश्ते पे बुलाया था। आपके घर में बच्चे हैं, आपके बेटे के बच्चे, मैंने उनके हाथ में एक स्पीनर देखा था। अध्यक्ष जी, बुरा मत मानियेगा। मेरी भी बहन का बेटा है, उससे मैं जब पूछती हूं कि तुम्हें क्या चाहिए तो वो कहता है कि स्पीनर ला दो मौसी। मुझे समझ नहीं आता कि स्पीनर क्या है। लालबत्ती पर, चौराहे पर खड़े होते हैं, स्पीनर बिक रहे हैं। मैंने जब गुगल किया, स्पीनर क्या है। ये स्पीनर चाइना से हर गली मौहल्ले में, चौराहे पर, लालबत्ती पर बिक रहा है। ये चाइना से आया है। कैसे आया; किसने इज़ाजत दी? ये किसी को नहीं पता है। कौन से पिछले दरवाजे से... एफडीआई तो अब लागू कर रहे हैं लेकिन आपने तो पहले ही दरवाजे जो हैं, चाइनीज़ और दूसरी कंपनीज़ के लिए खोल के रखे हुए हैं जिसमें हमारा देश का छोटा व्यापारी इतनी महंगाई में, बेरोजगारी में अपना धंधा नहीं चला पा रहा है। इसका कोई जवाब नहीं है और उसकी कीमत देखिये, पहले लुभाने के लिए, मैंने जब गुगल किया, क्योंकि बहुत हैरानी हुई! मैंने एक आर्टिकल पाया, वो आर्टिकल अभी मेरे पास नहीं है। उस आर्टिकल में उस स्पीनर के बारे में जब जानना चाहा तो कहानी ये बताई गई ये स्पीनर आप सारा दिन हाथ में घुमाते रहिये उससे आपके दिमाग

में अच्छे विचार आते हैं और आपकी टेंशन चली जाती है। और इतना ही नहीं, इतना भी कहा कि कश्मीर में जो आंतकवाद है, इस स्पीनर को घुमाने से, वो आंतकवाद, वो पथराव जो युवा बेरोजगार है, जो पत्थरबाजी कर रहा हिंसक है, उस सब युवाओं के हाथ में कश्मीर में स्पीनर दे दीजिए इस चाइना के आईटम का और वो जो है नौजवान पत्थराव करना बंद कर देगा। जो सुन रहे हैं, मैं सबको कहूंगी, गुगल करिये स्पीनर के बारे में कि किस तरह से स्पीनर जो है, चाइना से इम्पोर्ट किया बल्कि गुमराह, देखिये खुले आम हो रहा है और ये भारत सरकार मूक दर्शक बनकर, इस तरह से इस देश को बर्बाद होते हुए, बिकते हुए इनके हाथों में वो देखना चाहती है, नहीं, बेच चुकी है। मैं कहूंगी चूंकि फैसला अध्यक्ष जी, हो चुका है और जब मैंने आपको कहा ये चीजें गिनवायी कि कैसे अब चार करोड़ लोग जो हैं, वो बेरोजगार नहीं होंगे। कैसे छोटा व्यापारी बर्बाद नहीं होगा, इसका कोई जवाब नहीं दिया। अरूण जेटली जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि विल अपोज, ये अरूण जेटली जी को कोट कर रही हूं, 'विल अपोज एफडीआई टिल माई लास्ट ब्रैथ।' मैं अपनी अंतिम सांस तक मरते दम तक एफडीआई के खिलाफ खड़ा दिखूँगा। आज वो अरूण जेटली जी देश के सामने बता नहीं रहे कि क्या हो गया! मनमोहन सिंह जी के दौरान जो एफडीआई आई थी, वो देश द्रोही थी, वो देश को बेच रही थी विदेशों के हाथ में। आज आप के आते ही 50 से 100 प्रतिशत होने के बाद अब वो देशद्रोही जो है, एफडीआई, वो देशभक्ती वाली एफडीआई कैसे हो गयी! सुषमा स्वराज जी ने कहा पार्लियामेंट में, सदन में अपने भाषण के दौरान कि मैं अरूण जेटली जी और आडवाणी जी, देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को उस समय 2012 की बात है, संसद में बयान दिया कि हम मिले, उन्हें समझाया कि बर्बाद कर देगा देश को, विदेशियों के हाथ बेच देगा। सुषमा स्वराज जी ने कहा, ''हमारी मनमोहन सिंह जी ने सुनी नहीं।''

लेकिन आज सुषमा जी जवाब नहीं देती कि जब 50 प्रतिशत में देश बिक रहा था, आप आडवाणी जी और जेटली जी, मनमोहन सिंह जी को मनाने गये, वो माने नहीं, आज मोदी जी को मनवा लीजिए। 50 से 100 नहीं, 50 तो रहने दीजिए। लेकिन आपने 100 कर दिया। लेकिन आज सुषमा स्वराज जी की भी हिम्मत नहीं है कि उनसे पूछ पाये, उनसे पूछ पाये! और सबसे बड़ी मोदी जी का एक भाषण में चाहती थी कि चले यहाँ पर। आपने इज़ाजत नहीं दी लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने कहा, ''भाईयो और बहनो!'' जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2012 में। ''भाईयो और बहनो! मित्रो! गेहूँ कौन बेचेगा? विदेशी। दाल कौन बेचेगा? विदेशी। चीनी कौन बेचेगा? विदेशी।'' ये सब कहते कहते वो रूक गये और बोला, ''देश कौन बेचेगा? उस समय जवाब नहीं मिला और न बिका उस समय 2012 में देश। लेकिन आज अगर पूछेगा कि एफडीआई आने के बाद चीनी कौन बेचेगा? आटा कौन बेचेगा? तो लास्ट में लोग पूछते हैं, ''देश कौन बेचेगा? तो मोदी, मोदी करके नारे लगाते हैं। और मोदी भक्तों से भी पूछा। मोदी भक्त कहते हैं, जो इनके सामने बोलते नहीं हैं, जो अभी तक विरोध कर रहे थे एफडीआई का। अध्यक्ष जी, उनसे पूछा गया कि क्या हो गया, समझाएं तो सही। हम भी समर्थन कर देंगे कि जब 50 प्रतिशत एफडीआईज़ देश के विरोध में थीं, विदेशियों के हाथ इस देश को बेचने की थी अब क्या हुआ समझाइए। वो समझाते नहीं, वो एक ही बात कहते हैं। अभी भी अभी मैं देख रही थी न्यूज में। प्रकाश राज अपने बंगलौर के कर्नाटक का कोई फिल्म मेकर है, वो कहीं कार्यक्रम करके गये बाहर तो भक्तों ने जाकर गोमूत्र से वहां का शुद्धीकरण किया, उसको अभिमंत्रित किया, ये बहुत हरकतें कर रहे हैं। तो जब भक्तों से पूछा कि एफडीआई में क्या हो गया, जवाब तो दीजिए। जो सुषमा स्वराज जी, अरूण जेटली जी ने वैंकैय्या नायडू जी ने इन सब ने बातें की थी सदन में खड़े होके, उसका जवाब कह रहे हैं, ''वो हमें नहीं मालूम। हमने

एफडीआई पर गोमूत्र छिड़क दिया, वो पवित्र हो गयी है। ये बहुत आसान सा है। ये सही है कि हर चीज पर आप गोमूत्र छिड़क दीजिए, वो पवित्र हो जाएगी। ये इनके तर्क हैं। क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। इसके पीछे जवाब क्या है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में एफडीआई लागू करने का, उनके ऊपर करंसी क्राइसिस आ गया था, क्योंकि विदेशी अपना पैसा लेकर आए, जब मुनाफा हुआ, उन्हें लगा आर्थिक जो स्थिति वो कमजोर हो रही है, वो अपना सारा पैसा लेकर देश से वापिस चले गये। आए, इंवेस्टमेंट किया, मुनाफे का जब कमाने का और मुनाफे का शेयर उस देश के साथ बांटने का समय आया, उन्होंने बोरा बिस्तरा लपेटा, ये मैं नहीं कह रही, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का इतिहास कह रहा है, गूगल पे सब इसके बारे में जानकारी है। आज देश के प्रधानमंत्री हमें बताने को तैयार नहीं हैं कि आज हवाई जहाज को लेकर हमारी जो एविएशन है, उसमें सौ प्रतिशत कर दिया, आपने डिफेंस में सौ प्रतिशत कर दिया, आपने रिटेल में सौ प्रतिशत कर दिया। सर, जापान के लोग अभी आकर बैठे थे। ये सब लिखा हुआ है कि जापान में जब एफडीआई आई, उस दौरान जो भी कंपनीज़ थीं, उन्होंने वहाँ के हाई ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल बॉसिज को अप्रोच करके, करप्शन के रास्ते से वहाँ पर अपने जिस तरह से भी अपने पैसे को लगाने की कोशिश की और करप्शन भी एक सब से बढ़ा उसको लेकर क्या इनकी कि एफडीआई सौ प्रतिशत आएगी तो आपके पॉलिटिकल लीडर, आपके जो भी अधिकारी हैं, वो इस तरह से हिस्सा नहीं बनेंगे?

अध्यक्ष जी, मैं आपसे दोबारा कह रही हूं इसपे जवाब भारत की सरकार को एफडीआई पे देना होगा कि इतना बड़ा हृदय परिवर्तन के पीछे कारण है। तो वो कारण है क्या? जब 49 परसेंट था तब देशद्रोही था, सौ

पे नहीं है मुझे लगता है कि बहुत मोटी जैसे चाईनीज़ स्पिनर्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपसे मैं इस तरह से और हम सब से बड़ी बात, 31 मार्च 2014 को जब चुनाव चल रहे थे, देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव के मैदान में थे, हर जगह जाके भाषण दिए मनमोहन सिंह जी एफडीआई ले आएं हैं, हम आएंगे, एफडीआई को खत्म कर देंगे। 50 से खत्म करने की बात थी, 50 से 100 प्रतिशत कर दिया। 31 मार्च 2014 को 8 बजकर 20 मिनट पर रात को हमारे जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, श्री अरविन्द केजरीवाल जी ने 2014 में ये कह दिया था कि ये कोरे भाषण हैं, ये कोरी जुमलेबाजी है। आप देख लीजिएगा, देश सौंप कर देखिए, ये सौ प्रतिशत यू टर्न मारेंगे और एफडीआई को खत्म करने की बजाए पूरे देश पे लागू कर देंगे। 31 मार्च 2014 को श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किया गया रात को 8.20 का ट्वीट आज सच होकर देश के सामने खड़ा हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ।

आधार, देश के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने जब लागू किया था, सदन नहीं चलने दिया इन लोगों ने। मैं देश के सामने सिर्फ इनकी हकीकत रख रही हूँ, इन्हें बेनकाब कर रही हूँ। इनकी कथनी और करनी के फर्क को देश को जानना जरूरी है कि आधार कार्ड का विरोध करने वाले ये थे और आज आधार कार्ड को किसी भी स्तर पर लागू करने वाले भी यही लोग हैं।

अध्यक्ष जी, बस एक मिनट, मनरेगा पे आऊँगी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट, इसका विरोध इन्होंने किया था और आज यही वो पार्टी है, यही वो सरकार है जो मनरेगा को भी लागू करने में जो है, आज सोचती है कि बेरोजगारी आगे ही इतनी है, मनरेगा को भी खत्म कर दिया तो और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये यू टर्न आधार पर लिया, ये

यू टर्न इन्होंने मनरेगा पर लिया, ये यू टर्न इन्होंने जीएसटी पर लिया। हम लोगों ने देखा है और अब यही बड़ा यू टर्न ये सरकार जो है, वो एफडीआई पर ले रही है। आज इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि हर एक के मन में एक डर समा चुका है। मैं फिर कह रही हूँ इनका विरोध करना होगा और विरोध अगर हम लोग इसका समर्थन चाहते हैं कि अब देश का विपक्ष भी इनका समर्थन करे तो सिर्फ एक निवेदन है देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से कि हमें बता दीजिए जो आपकी चिन्ताएं 2012 में थीं ,आप का ह्रदय परिवर्तन कैसे हो गया? वो चिन्ताएं जो हैं, बेरोजगार होने की, वो कैसे खत्म हो गयीं? देश और ये सदन आदरणीय मोदी जी से जानना चाहता है। धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, धन्यवाद। सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है, मैं समझता हूँ कि सभी सदस्य इससे सहमत होंगे। आदर्श शास्त्री जी

श्री आदर्श शास्त्रीः बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि एफडीआई के ऊपर आपने इस चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया।

मैं सदन को जानकारी थोड़ी सी देना चाहता हूं कि एफडीआई में जो बारीकी के कंडीशन हैं, जो बारीकी की बात है, वो भी सदन के माध्यम से देश के सामने आनी चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट की जब चर्चा की गयी, उस समय ये बात रखी गयी, पिछली यूपीए की सरकार ने कि इससे देश को फायदा होगा, बेरोजगारी कम होगी, छोटे व्यापारियों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा और नई आधुनिक तरीके की टेक्नॉलॉजी इस देश में आएगी। ये बहाने से इस इन बातों के माध्यम से उन्होंने एफडीआई इस देश में 49 परसेंट करने का निर्णय लिया। उस समय की सरकार, जैसे अल्का जी ने बताया, उस समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी

और नरेन्द्र मोदी जी और बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत तेजी से इस बात का विरोध करते रहे, बोलते रहे कि एफडीआई से नुकसान होगा और एफडीआई कभी भी नहीं आ सकती और अगर हमारी सरकार आई तो हम एफडीआई को रोक देंगे। आज लगभग तीन–साढ़े तीन साल के बाद आज एनडीए सरकार ने अपनी बात पे यू टर्न करते हुए इस देश के गरीब किसान को, इस देश के गरीब व्यापारी को बेच दिया। इसमें जो सौ परसेंट एफडीआई करा है, उसमें बारीकी की एक बात और है जो शायद केन्द्र सरकार देशवासियों के सामने नहीं रख रही है। जब ये सौ परसेंट एफडीआई की बात उठी थी तो उसमें भी एक कानून ये तय किया गया था कि तीस परसैंट सोर्सिंग उसमें देश के अंदर से होगी यानी कि एफडीआई के माध्यम से जो भी कंपनी आएगी, यहाँ पे अपना सामान बनाएगी, बेचेगी। उसमें से तीस परसैंट सामान की खरीद, उस तीस परसेंट सामान की मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर के अलग अलग कंपनियों के, देश के अलग अलग व्यापारियों के, देश के अंदर रहने वाले व्यापारियों के माध्यम से होगी। ये कानून का जो प्रावधान था, सौ परसेंट एफडीआई करने में, मोदी जी की सरकार ने ये प्रावधान को भी खत्म कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि अब एक तरह से उन्होंने पूरी तरह एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दिया, खुली राहत दे दी। कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो इस देश में नहीं आ पा रही थीं, क्योंकि ये तीस परसेंट का सोर्सिंग का नॉर्म वो मीट नहीं कर सकती थीं, उसको वो नहीं पूरा कर पा रही थी।

उदाहरण के तौर पे स्वीडन की बहुत बड़ी कंपनी है, फर्नीचर बनाती है; आइकिया के नाम से। वो पिछले 8–10 साल से इस देश में आना चाह रही है और केवल ये 30 परसेंट सोर्सिंग नॉर्म की वजह से वो देश में नहीं आ पा रही थी। क्योंकि वो हिन्दुस्तान में हमारे जो बढ़ई होते हैं,

कारपेंटर होते हैं, उनके बनाए हुए सामान को खरीद के अपने दुकानों से नहीं बेचना चाह रही थी। आज ये तीस परसेंट सोर्सिंग का नॉर्म हटाने से आइकिया जैसी कंपनी में आज दीवाली का माहौल है। आज सुबह स्वीडन में आइकिया के सीईओ की अनाउंसमेंट आई है कि वो इस देश के अंदर दो बड़ी दुकानें; एक गुड़गांव में और एक मुम्बई में खोलेंगे। ये बात इससे साफ होती है कि इस तरह की देश को बेचने, देश के छोटे व्यापारी, देश के छोटे कारोबारी का जो ये रोजमर्रा का जो व्यापार है, उसको खत्म करने की ये साजिश नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की है। इसमें अध्यक्ष जी, एफडीआई की जब हम बात कर रहे हैं, उसमें कई सवाल, कई बातें मोदी जी की सरकार गुमराह कर रही है देशवासियों को। नौकरी के बारे में बात करती है। मैं बताना चाहूँगा कि आज लगभग जो डेढ़ पौने दो करोड़ छोटे दुकानदार हैं, पूरे देश में, उनके माध्यम से पूरे देश में आज कम से कम चार साढ़े चार पाँच करोड़ लोगों का घर चलता है और चार साढ़े चार करोड़ लोगों के माध्यम से आप लगा सकते हैं अनुमान कि लगभग 12–13 करोड़ की आबादी ऐसी है, जिनके घर में चिराग की रोशनी उस नौकरी से, उस आमदनी से आती है। एफडीआई के माध्यम से ऐसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी यहां आ जाएंगे और वो अपने बड़े बड़े शो रूम खोलेंगे, उसमें सौ दो सौ तीन सौ लोगों को नौकरी जरूर देंगे, मगर 12–15 करोड़ लोगों के जो घर का चिराग आज एफडीआई के माध्यम आज जो छोटे दुकानदारों का चलता है, वो किस तरह से बुझ जाएगा, इसके बारे में सरकार नहीं सोच रही। साथ में जो किसी भी मार्किट में, किसी भी बाजार में जो ग्राहक होता है, उसको स्वतंत्रता होती है कि किस तरह का प्रोडक्ट, किस तरह का सामान वो खरीदना चाहता है, ये जो स्वतंत्रता है, ये एफडीआई के आने से एक तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि देश भर में, दुनिया भर में ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ पर बड़े एफडीआई आये और छोटे व्यापारी

को उन्होंने धकेल दिया क्योंकि उनके या तो दाम कम थे या उनके पास ज्यादा सामान खरीदने की वजह से नेगोसिएशन करने की ताकत ज्यादा थी। उस वजह से जो माल वो बेचना चाहते हैं, वो अपनी दुकानों में वहीं ग्राहकों को खरीदना पड़ता था।

उदाहरण के तौर पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज विदेश में अगर आप कई ऐसे बाजार देखें तो कई ऐसे मार्किटस हैं, मैं आपको उदाहरण के तौर पर थाइलैण्ड, क्योंकि ये एक डेवलेपिंग कण्ट्री है, डेवलेपिंग कण्ट्री का मैं एक एग्जामपल दूंगा। ऐसी कण्ट्रीज का, ऐसे देशों का जहाँ पर क्योंकि आजकल फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट हाँ पर व्यापार में, हाँ पर दुकानों में इस तरह की है। तो हाँ पर अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी दुकान खोल रखी हैं। वॉल मार्ट के नाम से, हेसडा के नाम से और हाँ पर थाईलैण्ड के जो लोकल दूध के सप्लायॅर थे, उनका बिजनेस खत्म कर दिया है और हालत ये हो गई है कि थाइलैण्ड में आप अगर आज जायें किसी भी दुकान में, अगर आप दूध खरीदते हैं तो वो दूध इम्पोर्ट हो के अमेरिका से आस्ट्रेलिया से आता है। थाईलैण्ड का लोकल मिल्क प्रोडक्शन का मार्किट थाईलैण्ड से ही खत्म कर दिया। तो इस तरह के कई ऐसे उदाहरण हैं जो इन बड़ी दुकानों की वजह से हम लोगों ने अपने सामने देखे।

एक और बहुत बड़ी बात है; ये बड़ी कंपनियाँ आती हैं, यहाँ पर अपना कारोबार चलाती हैं और कोई भी ऐसी कंडीशन नही है कि अपने मुनाफे का कितना प्रतिशत पैसा वो इस देश में ही लगायेंगे। वो पैसा अपने साथ बाहर ले जा सकते हैं। वो पैसे को, मुनाफे को अपने देश में ले जा सकती हैं और उसका जो बेनिफिट है, जो फायदा है, इस देश को या देशवासियों को कहीं से नहीं मिलेगा।

एक और बहुत बड़ी समस्या जिसे मार्किट में पॉडियट्री प्राइसिंग कहते हैं जिसमें छोटे दुकानदारों को खत्म करने के लिये ये एक बड़ी साजिश बड़े बड़े दुकानदार चलाते हैं। उसमें करते ये हैं कि कोई आम सामान, सामग्री हो; ब्रेड हो, मक्खन हो, कोई भी आटा, दाल, चीनी हो, उसके दाम, क्योंकि ये बड़ी कंपनी बहुत बड़े तादाद में सामान खरीदती हैं, तो वो नेगोशियेट करके इनके दाम कम कर देती हैं। जब इनके खरीदने के दाम कम कर देती है तो छोटा दुकानदार उस दाम में, क्योंकि वो छोटा दुकानदार अपने दुकान में बेचने के लिये एक दिन में सौ ब्रेड लेता होगा या दस किलो आटा लेता होगा, ये बड़ी कंपनी एक दिन में एक–एक लाख किलो आटा खरीदते हैं और उस हिसाब से रेट कम कर लेते हैं। रेट कम करके छोटे दुकानदार को ये कारोबार से बाहर कर देते हैं। क्योंकि ये छोटे दुकानदार उसकी बराबरी नहीं कर सकते और ये केवल शुरूआत है, एक केन्सर की तरह। क्योंकि शुरू में तो ये जरूर कर देंगे ऐसे, उसके बाद जब इनकी मोनोपली हमारे यहां पर, हमारे देश में माकिर्ट में इस्टेबलिश हो जायेगी, उसके बाद ये दाम बढ़ा देते हैं। ये बहुत बड़ा मुददा है और हमारे देश में कॉर्टलाइजेशन यानी कि बिजनेस को इकटठा करके कोई निर्णय लेना ग्राहक के खिलाफ इसके कोई कानून मजबूत नहीं हैं। अमेरिका जैसे देश में मजबूत कानून हैं। अगर चार कंपनी मिल के हवाई जहाज के किराये बढा दें, ब्रेड के किराये बढा दें, दूध के किराये बढ़ा दें तो सरकार उसमें इन्टर कर सकती है, सरकार उसमें निर्णय ले सकती है कि ये दाम आप नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे देश के अंदर कॉर्टलाइजेशन के खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं है। यानी कि कल अगर चार ऐसी बड़ी कंपनियाँ आईं और इन बड़ी कंपनियों ने दही का, दूध का, आटे का, ब्रेड का दाम बढ़ा दिया, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ग्राहक बुरी तरह मुसीबत में होगा। आपने उदाहरण देखा होगा, हमने सबने देखा कि हवाई

अड्डों पर एयरलाईंस में इस तरह का कॉर्टेलाइजेशन देखने में आया है। जब कोई त्यौहार का समय होता है या कोई ऐसा समय होता है, तो कोई भी किराया जो दो तीन हजार का हो, दस–दस, बीस–बीस हजार का हो जाता है और एयरलाईन्स के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो एयरलाईन्स में हवाई जहाज में तो फिर भी बड़े लोग जाते हैं। मगर ब्रेड पर, रोटी पर अंडे पर, मक्खन पर अगर इस तरह का कॉर्टिलाइजेशन हो जायेगा तो मैं नहीं समझता कि देश का कोई भी नागरिक इससे बाहर निकल पायेगा। साथ में, एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि टैक्नोलॉजी ट्रॉंसफर आधुनिकीकरण की जो बात करते हैं, इस देश के अंदर अगर गाड़ी बनाने का कारोबार हो, इस देश के अंदर हवाई जहाज बनाने का कारोबार हो, कंप्यूटर बनाने का कारोबार हो, तो उस देश से बाहर के देशों से मल्टीनेशनल कंपनी इस देश में आ के उस टैक्नोलॉजी को आधुनिकीकरण को इस देश में, इस देश की कंपनियों को पार्टनर बनाकर, यहाँ के व्यापारियों को आगे बढाकर उसमें पार्टनरशिप में फिर भी आगे बढ़ा सकते हैं। मगर रिटेल में, खुदरा व्यापार में कोई आधुनिकीरण नहीं है। उसमें कोई हवाई जहाज बनाकर नहीं उड़ाना है, कोई रेल गाडी नहीं चलानी है, कोई बुलेट ट्रेन नहीं चलानी है। जब किसी तरह का आधुनिकीरण ही नहीं होना है, तो खुदरा व्यापार में रिटेल में इस तरह का इन्वैस्टमैंट सौ परसेंट करने का कहाँ से किसको लाभ हो रहा है, ये हम लोगों के, सबके सामने नरेन्द्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। मैं यही बोलूँगा कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों को ये समझनी पड़ेगी कि चाहे वो बड़ी कंपनी विदेश की हो, चाहे अडानी अंबानी हो, इन सबको हम लोगों की देश की मार्किट की जरूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इस मार्किट को बेचने के लिये, इन लोगों के साथ रजामंदी कर दी है, इन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाईज कर लिया है। क्योंकि इन सब बड़ी

बड़ी कंपनियों के पास अमेरिका में, इंग्लैण्ड में, जर्मनी में, जापान में, कोई मार्किट नहीं है, कोई जगह नहीं है, जहाँ ये अपना सामान बेच सकें। तो अब इनको आना है तो 130 करोड़ की आबादी का हमारा देश एक ऐसा देश नजर आता है, जहाँ पर ये लोग अपनी कमाई कर सकते हैं और कमाई करके वापिस जा सकते हैं।

मैं तो अंत में, यही कहूँगा अध्यक्ष जी कि इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें गद्दारी के नाम पर जयचंद का नाम होता है, गद्दारी के नाम पर मीरजाफर का नाम होता है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता करके सिराज्जुदौला को हराया और अंग्रेज इस देश में आये, उसका रास्ता बनाया। आज मैं ये कहूँगा कि इसी तरह का समझौता, इसी तरह ही गद्दारी देश के किसानों के साथ, देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। इन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को अंबानी को, अडानी को बैक डोर से ये रास्ता देकर, ये देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, आगे आने वाला इतिहास नरेन्द्र मोदी जी को भी, देश के प्रधानमंत्री को मीर जाफर और जयचंद की तरह तुलना करेगा, जहाँ पर गददारी इन्होंने देश के किसानों के साथ करी। बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष जी, एफडीआई जैसे मुददे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अभी हमारे सभी साथियों ने बताया कि एफडीआई का किस तरीके से मोदी जी ने गलत उपयोग किया। सबसे बड़ी बात ये है कि यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2012 में पहले आधार कार्ड का विरोध किया कि आधार कार्ड के अंदर करोड़ों की डील हुई है, उसके बाद इन्होंने एफडीआई का विरोध किया, इन्होंने कांग्रेस की हर नीतियों का विरोध किया था जैसे जीएसटी

का भी इन्होंने विरोध किया था कि व्यापारी बेचारे मर जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जैसे ही ये सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद जब इन्होंने देखा कि हम लोग सत्ता में आ गये हैं, अब हमें लोगों के वोटों की जरूरत नहीं है क्योंकि अब एवीएम जैसी मशीन इनके हाथ में आ चुकी है, जिसके माध्यम से ये अपनी सरकार खुद ही बना लेते हैं। इसलिये इन्होंने एफडीआई जैसी जो 49 परसेंट जो कांग्रेस ने लागू की थी, उसको इन्होंने सौ परसेंट कर दिया। इस सौ परसेंट करने से छोटे छोटे व्यापारी जो इस समय वैसे ही बहुत परेशान हैं, आगे एफडीआई के बाद क्या स्थिति होगी, ये देखना पड़ेगा। हमारे भारत में लगभग एक हजार आदमी के ऊपर 11 बाहर दुकानें पड़ती हैं। यानी लगभग सवा करोड़ से ऊपर दुकानें हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो छोटे व्यापारी हैं, इसमें लगभग हमारे यहाँ चार से छह करोड़ लोग जो बरबाद हो जाएंगे एफडीआई आने के बाद। क्योंकि इनकी छोटी छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी और इनकी दुकानें बंद होने के बाद स्थिति ये होगी कि लोग बेचारे दो वर्गो में बंट जाएंगे। मोदी सरकार चाहती है कि जैसे अमेरिका के अंदर एक पैसे वाला तबका है और एक गरीब तबका है, यही वो हिंदुस्तान के अंदर करना चाहती है। जैसे अभी आदर्श शास्त्री जी ने बताया कि पहले तो कम से कम ये था कि जो भी बाहर से कंपनी आयेगी, वो लगभग तीस परसेंट हिंदुस्तान के छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे खरीदेगी, लेकिन अब ये शर्त भी इन्होंने हटा दी। अब तो ये लगने लगा है कि जब जब बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर आयेगी, वो देश बेचने का ही काम करेगी जैसे कि पिछली बार सरकार आई थी तो उन्होंने विदेश संचार निगम, देश के बड़े बड़े होटलस इनको बेचना शुरू किया था और मोदी सरकार ने तो और दो कदम आगे बढ के इन्होंने दिखाया कि हम लोग तो देश भी बेच सकते हैं। जब कि ये विपक्ष में बैठे थे, तब तो ये रोते थे, घड़ियाली आँसू बहाते थे। जेटली जी

के बारे में अभी अलका जी ने जैसे बताया कि जेटली जी सदन में खड़े हो के बोलते थे कि हाँ, ये आना नहीं चाहिये, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन इनका यू–टर्न समझ में नहीं आया कि किस कारण से उन्होंने यू–टर्न मारा और इन्होंने हंड्रैड परसेंट रिटेल में एफडीआई को पास किया।

एक सबसे बड़ी बात और है। इन्होंने एयर इंडिया के लिए भी 49 परसेंट की एफडीआई की मंजूरी दे दी, जो एक बहुत बड़ा इन्होंने रिस्क लिया। क्योंकि इस समय हमारी एयर इंडिया और एयर लाइन्स जो हैं, वो बहुत तेजी से इंप्रूव कर रही हैं। उनमें इंप्रूवमैंट हो रहा है कि वो फिर से अपने घाटे को कवर करें। लेकिन उन्होंने 49 परसेंट की इसमें एफडीआई देकर ये दिखा दिया कि हम अपने देश की एयर लाइन्स भी बेच सकते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए हर छोटे छोटे दुकानदार बहुत परेशान हैं। इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्या करें? सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर भी कई बार सदन के अंदर हंगामा कर चुकी हैं, लेकिन मोदी जी के कान में कुछ नहीं रेंगता क्योंकि वो अब हिटलर की तरह से काम कर रहे हैं और हिटलर जब सोच लेता है, अपने देश को बर्बाद करने की तो जैसे जर्मनी को हिटलर ने बर्बाद किया, हमें लगता है कि आने वाले समय में जो मोदी जी कर रहे हैं, उनसे हमारा देश बर्बाद होगा।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी, हमारे यहां सीआईटीयू मजदूर संघ जो हमारे देश का है, उसके ब्रजेश उपाध्याय जी ने केन्द्र सरकार से कहा कि आप इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करें। उसके द्वारा बताएं कि देश के अंदर एफडीआई आने के बाद हमारे देश में क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। वह श्वेत पत्र आज तक जारी नहीं किया। इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और देश की जनता को बताना चाहिए कि ये देश के

अंदर एफडीआई के बाद हमें क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो मोदी जी ने 'मेक इन इंडिया' जिसको शुरू किया था, हमें बड़ा भरोसा था कि शायद मेक इन इंडिया से हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आयेगा। लेकिन ये मेक इन इंडिया हुआ क्या? जो शेर का चिह्न इन्होंने बनाया, वो शेर का चिह्न इन्होंने जगह जगह बाँटा, मंगाके वो सारा चाईना से बन के आया और जो सारा का सारा चाईना से इंपोर्ट करके लोगों के बीच में रखा। फिर यही समझ में आया कि मेक इन इंडिया है, पहले था मेड इन इंडिया यानी हम हिन्दुस्तान में बनाते थे और मेक इन इंडिया मतलब हम दूसरे देश से लायेंगे और यहां असेम्बल करके बेचेंगे तो ये मेक इन इंडिया जो है, आने वाले समय में डिस्ट्राय इंडिया होने जा रहा है। ये देश को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं और मेक इंडिया को आप लोग डिस्ट्रॉय इंडिया के नाम से जानने लगेंगे, ये मुझे लगता है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ और मैं चाहता हूं कि सारा सदन इसके लिए तैयार हो कि एफडीआई को रोका जाये, किसी भी तरीके से। लेकिन मोदी जी जो हिटलर के तरीके से चल रहे हैं, वो ऐसे चलते रहेंगे। उम्मीद तो यही है कि आने वाले समय में भी बीजेपी का यह नामोनिशान मिटाने जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने इंपोर्टैण्ट टॉपिक पे मुझे बोलने का मौका दिया।

अभी हमारे साथी ने अपने वक्तव्यों में कहा कि जो कांग्रेस की पॉलिसी थी, तब तो उस वक्त अपोज कर रहे थे और आज सपोर्ट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक डॉक्यूमैंट लेके आया हूँ, उससे पढ़ना चाहता हूँ, डॉक्यूमैंट कह रहा है कि ***'In the name of reform, the Government has, in fact, compromised the long term national interest which is sure to have far-reaching implications on our economy. It will not be wrong to say that in order to show that the Government is not in the grip of policy paralysis, the Government has buckled under foreign pressure. The decision is sure to have its impact on millions of small traders who are going to lose their jobs. At the same time, the manufacturing sector will also be hurt creating a new economic crisis in the country. It is very unfortunate to see that the Government neither bothered to contact its coalition partners on the issue, nor took opposition into confidence.'***

ये डॉक्यूमैंट क्या है? ये बीजेपी का डॉक्यूमैंट है, जो कि कांग्रेस के जमाने में एफडीआई के अगेंस्ट छापा था। लेकिन ये पूरे का पूरा पैराग्राफ आज उन्हीं के ऊपर लागू हो रहा है। जो कल खराब था, आज अच्छा कैसा हो गया? जैसा आपने इसके अंदर कहा कि चूंकि गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट इम्प्लाइमेंट नहीं ला पा रही है, गवर्नमेंट देश के अच्छे दिन नहीं ला पा रही है, इसीलिए आपने फॉरेन प्रेशर्स के आगे, फॉरेन कंपनी के आगे सरेंडर कर दिया, अब आपको बेच दिया। अब आपको लग रहा है कि जो फॉरेन से पैसा आएगा, जो फॉरेन के दुकानों में जो जगमगाहट होगी, उस जगमगाहट से देश को लगेगा कि हाँ, अच्छे दिन आ गये। ये जो आपने नया तरीका अपनाया, जिन कारणों से और जिन ग्राउंड्स के ऊपर आपने कांग्रेस को कहा था कि एफडीआई देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करेगी जो बगैर देश को फॉरेन पावर्स को सौंपे, फॉरेन पावर्स को सौंप देगी।

अध्यक्ष महोदय, आज से करीब सौ साल पहले जब लॉर्ड मैकाले ने हिन्दुस्तान के एजुकेशन में परिर्वतन किया था, तो हम सब ने कहा था और आज भी हम सब कहते हैं कि भले ही देश से अंग्रेज चले गये हों लेकिन अंग्रेजों वाली शिक्षा आज भी है। तो वो दासता, इसके विरोध में भाजपा रही है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, आज ऐसा क्या देख लिया जिससे कि माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि भईया, बगैर फॉरेन इन्वेंस्टमेंट के देश के अंदर विकास नहीं हो पायेगा और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, डिफेंस के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, सिविल एवियेशन्स के अंदर हंड्रेड परसेंट एफडीआई! रिटेल के अंदर हंड्रेड परसेंट एफडीआई! माननीय मोदी जी ने 2012 में एक ट्वीट किया, उसमें कहा किः

'Congress is giving nation to foreigners. Most parties opposed FDI but due to sword of CBI, some did not vote and Congress won through back door.'

आज ऐसा क्या हो गया? आज भी क्या आपने सीबीआई का तलवार दिखा करके बाकी पार्टियों से साईन करवा लिया? माननीय अरूण जेटली जी, जो आज रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने कहाः ***'We will oppose that time in March,2013, we will oppose FDI in my last breath.'***

अध्यक्ष महोदय, कह रही थी अलका जी कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि हम राजी नही हैं इनसे। इनका बड़ा नौटंकी है ये। रामदेव जी राजी नहीं हैं, मोहन भागवत भी राजी नहीं है, सरकार चल रही है! सरकार के अंदर, मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार के अंदर एक भी चीज नहीं होता तो आरएसएस मना कर दे। आरएसएस वाले सरकार हैं ये। इसके अंदर अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो कहता

था कि हम राष्ट्र भक्त हैं, अचानक देश के बेचने की नीति के ऊपर जो मोदी जी ने फैसला लिया है, उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है।

अध्यक्ष महोदय, आज रोटी भी, उसमें भी सौ परसेंट विदेश इंवेस्टमैंट, कपड़ा भी, उसमें भी सौ परसेंट विदेशी इंवेस्टमेंट, मकान के अंदर भी, सौ परसेंट विदेशी इंवेस्टमैंट, ब्राण्ड कास्टिंग राइट्स के अंदर भी, सौ परसेंट विदेशी इंवेस्टमैंट, अब जो न्यूज के ऊपर जो कुछ भी दिखाया जायेगा, अब इनकी दोस्ती बड़े बड़े लोगों से हो गयी है। झूला झूलते हैं, चाईना के प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ। तो कह दिया होगा, ''चलो भईया, आ जाओ, कोई बात नहीं।'' लेकिन ये दुःखद है कि आपने... और मैं ये कहना चाहता हूँ कि काँग्रेस की नीति भी ठीक नहीं। आपने बगैर तैयारी किये, आपने जो माहौल देश के अंदर पैदा किया, जो हमारे रिटेलर्स हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, आप उनको तैयार करें कि दुनिया के कंपनियों को कंपीट कर सकें। आपने बगैर उनको तैयार किये ऐसे मगरमच्छों के आगे छोड़ दिया है कि वो मगरगच्छ खा जाएंगे और जब देश का रोटी भी सप्लाई करेगा फॉर्नर, जब देश का हल्दी भी सप्लाई करेगा फॉर्नर, जब देश का चावल, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ करेगा फॉर्नर तो देश में आजादी रह कहां गयी? ये कैसा राष्ट्र भक्ति है, ये कैसा राष्ट्रवाद है अध्यक्ष महोदय!

अध्यक्ष महोदय, जो एफडीआई के होने के बाद जो रिटर्न्स होगा इंवेस्टमैंट के ऊपर, वो सारा का सारा इंवेस्टमेंट देश के बाहर जायेगा और साथ में ये कह दिया कि जो सारा रिटर्न आयेगा, जो पैसा बनेगा उसके ऊपर, इंवेस्टमैंट के ऊपर, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। सारा रिटर्न इंवेस्टेमेंट के ऊपर देश के बाहर जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था जो चरमाएगी। तो कह दीजिए भाई साहब, कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचा है, एक आप बेच दो तो इंडाइरेक्ट तरीके से राष्ट्रवाद के छद्म राष्ट्रवाद की आड़

में आप देश को फॉरन ताकतों को बेच रहे हो और क्या इसीलिए आपने 3,000 करोड़ रूपया देश का खराब किया विदेशों की यात्राओं पर कि आपने उन ताकतों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि भई, अब देखो, मैं इस देश का सबसे पॉवरफुल आदमी हूँ और हमारे जुमलों के कारण देश की जनता गुमराह होकर के राज्य के बाद राज्य देती जा रही हैं, भले ही उसमें ईवीएम का सारा खेल हो लेकिन आपने ये बात बताया है विदेशी ताकतों को और इसके जरिए आप देश को फॉरेन ताकतों को सौंप रहे हो।

अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक कि ख्याल नहीं किया कि भई अगर जिस किसी इंडस्ट्री को हम सौ प्रतिशत फॉरेन इंवेस्टमैंट का परमिशन दे रहे है तो जो लोकल रिस्ट्रक्शन्स थे कि इतने लोगों को जॉब देना पड़ेगा, रॉ मैटिरियल्स इनसे लेना पड़ेगा, वो सारे रिस्ट्रक्शन्स भी हटा दिए आपने। तो आप कर क्या रहे हैं! ये कौन सी देशभक्ति है और कहाँ से देशभक्ति है अध्यक्ष महोदय?

अध्यक्ष महोदय, माननीय अरूण जेटली साहब ने एक कोटेशन दिया था और मुझे समझ में नहीं आता कि जब ये अपने इतने गहरे विचारों को उस वक्त देश को बताने का ये प्रयास किया कि राष्ट्र भक्त हम हीं हैं, हम हीं देश को बचाएंगे, एक बार ताकत तो दो लेकिन कहा क्या? उस वक्त क्या कहा था और आज ये कैसे लागू नहीं होता? आज किन कारणों से, ये उनके वक्तव्य क्यों नहीं उस पे सरकार अमल कर रही हैं? उन्होंने कहा थाः ***"FDI in retail will consolidate the retail market and end users' interest in the first twelve years of opening retail for FDI, Thailand had witnessed 38% of consumer market consolidate in favour of three large retailers.'*** आज क्या होगा? तो क्या वो कारण आज लागू नहीं होते?

अध्यक्ष महोदय, नरेन्द्र मोदी जी ने तब एक और स्टेटमैंट दिया, कहाः ***"I want to ask Samajvadi Party and BSP leaeders if they honestly oppose FDI in retail, then they should immediately withdraw their support like Mamta Banerjee did.'*** वो कहना चाह रहे है कि जो सीबीआई का तोता तुम्हारे पीछे लगाया, क्या उन कारणों से आपने एफडीआई को सपोर्ट कर दिया और उस वक्त कह दिया और इतना बड़ा स्टेटमैंट, इतना बड़ा एलीगेशन लगाया कांग्रेस की सरकार के ऊपर किः ***"UPA Government of foreigners, by the foreigners and for the foreigners, I don't know what PM is doing. Small businessmen will be forced to down their shutters now.'***

अध्यक्ष महोदय, अब इनकी नीतियों से मालूम पड़ रहा है कि ये आए तो थे फार्मर्स के नाम पर और सेवा करने में लग गए फॉर्नर्स को। तो फार्मर्स नहीं, आज इनके पॉलिसी का बेनिफिशरी फॉर्नर्स हैं, फार्मर्स नहीं है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, ये जो एफडीआई जो रूटस से आती है। एक तो आपको ऑटोमैटिक रूटस है, दूसरा रूटस गवर्नमैंट का रूटस है। एक तो हो गया फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमैंट, दूसरा हो गया फॉरेन इनडॉयरेक्ट इंवेस्टमैंट। आज जब मैं देख रहा था भई किन–किन देशों से ये इंवेस्टमैंट्स आ रहे हैं, जैसा मेरे साथी ने कहा था; गोयल साहब ने कहा था, 'एक तो आ रहा है मॉरीशस से, दूसरा आ रहा है, टॉप में 34 प्रतिशत आ रहा है मॉरीशस से 17 प्रतिशत आ रहा है सिंगापुर से। ये वो देश हैं अध्यक्ष महोदय, जो कि इंडियंस के लिए 'टॉप टैक्स हैवन कण्टरीज' कहलाते हैं तो ये जो ब्लैकमनी जेनरट हुआ, ये ब्लैकमनी जेनरट करके ये बैक डोर से देश में वापस लाया जा रहा है, ये इन्हीं के पैसे हैं...

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए अब सोमनाथ जी कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः ये इन्हीं के पैसे हैं जो फॉरेन ताकतों के साथ मिलकर के देश को बेचने का काम कर रहे है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि जब–जब इस देश के अंदर ऐसा कोई भी प्रयत्न किया गया, किसी के द्वारा भी, ये चाहे कांग्रेस की सरकार रही, किसी और की सरकार रही, चाहे हमारी सरकार ने जब कभी चाइनीज मांजे की बात करी तो आज जब बात करी थी कि चाइनीज मांजे को बैन किया जाए। क्यों आए चाइनीज मांजा देश के अंदर? तो आज क्या सांप सूंघ गया विजेन्द्र गुप्ता जी को? आज क्या वो समझ में नहीं आ रहा! अब चाइनीज मांजा छोड़ो, पूरे का पूरा देश चाइना को बेचा जा रहा है। अब चाइना के जो प्रोडक्टस देश के अंदर आएंगे। जैसा साथियों ने कहा कि वो जो प्रोडक्टस आ रहे हैं, उनका कॉम्पिटीशन देश में तैयार नहीं किया जा रहा है। आप अपने देश के व्यापारियों को, आप अपने देश के एन्टरप्रेन्योर्स को आप इक्विप्ड नहीं कर रहे हो, उन टेलेंटस के साथ, उन टेक्नालॉजी के साथ, जिसके साथ वो उनको कॉम्पीट कर सकें। तो एक तरह से ये कह दिया जाए कि आपने ये मान ही लिया है कि आपका जो 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम था।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, प्लीज अब एक मिनट में कन्क्लूड करिए।

श्री सोमनाथ भारतीः ये 'मेक इन इंडिया', 'फेक इन इंडिया' बन गया है और आपके वो जो सारे मंसूबे थे कि देश के अंदर चकाचौंध लाएंगे, तो जुमलेबाजी की पूरी तैयारी हो रही है कि फॉरेन इंवेस्टमैंट आएगा और यहाँ पर जगमगाहट करेंगे और देश को फिर गुमराह करेंगे कि हमने वो अच्छे दिन जो कहे थे, वो ले आए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस पॉलिसी का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सदन की बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचाएं और बताएं कि ये जो आपका हृदय परिवर्तन हुआ है जो हमें लगता है कि कहीं न कहीं आपने देश के साथ गद्दारी की है, कंप्रोमाइज किया देश के इंट्रेस्ट को, आप इसको बदलें, इसको रोकें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने एफडीआई के ऊपर जो चर्चा हो रही है। हैरानी की बात ये है कि हमारे बड़े भाई विजेन्द्र गुप्ता जी नोट्स बना रहे हैं और मैं तब से सोच रहा हूँ कि क्या बना रहे हैं और ये बड़ा दिलचस्प रहेगा मेरे लिए, एक नए राजनीतिक आदमी के लिए कि विजेन्द्र गुप्ता जी इसके अंदर मोदी जी का बचाव कैसे करेंगे! ये कलाबाजी देखने लायक होगी और ये एक अपने आप में एक पूरा का पूरा नया प्रयोग होगा और मैं तारीफ करना चाहूँगा विजेन्द्र गुप्ता जी की कि यही हैं, जो ये सब कर सकते हैं। अगर हम होते तो हम तो शायद हाउस से बाहर चले जाते। हम सोचते, यार! इस पे क्या बोलेंगे या क्या करेंगे! इसके ऊपर तो मामला ही कुछ नहीं है। ये तो हमारे एक–एक नेता का चाहे जेटली साहब हो, चाहे सुषमा जी हो, चाहे वैंकेया नायडू हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, सब ने तो बयान दिया हुआ है कि एफडीआई इन रिटेल को नहीं आने देंगे। अब इसमें ढूंढ़ रहे हैं कि वो मल्टीब्राण्ड नहीं था, वो रिटेल था। वो सिंगल ब्रांड था, वो मल्टीब्राण्ड था। फिर कुछ दिनों बाद कहेंगे, ''हम टू ब्राण्ड रिटेल को आने देंगे।'' फिर कहेंगे, ''हमने मल्टी का विरोध किया था, टू का नहीं किया था।'' फिर थ्री करेंगे, फिर फोर करेंगे और ऐसे ही हमें ये बेवकूफ बनाएंगे। मल्टीब्राण्ड रिटेल और

सिंगल ब्राण्ड रिटेल का तो कभी शब्द ही नहीं आया। इनके चार–पाँच वक्तव्य तो हमारे पार्टी वाले चला रहे हैं विडियों में। ये तो सिर्फ ये कहते थे कि एफआईडी इन रिटेल हम नहीं आने देंगे और अब ये आने दे रहे है।

अब ब्रॉडिंग का भी मुझे लगता है, बेवकूफ बनाते हैं कि एक ब्राण्ड आ जाएगा तो व्यापारी को नुकसान नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? जैसे आप प्रोक्टर एंड गैम्बल का उदाहरण ले लीजिए या हिंदुस्तान यूनी लीवर लिमिटेड का एग्जाम्पल ले लीजिए। वो क्या चीज है जो हिंदुस्तान एचयूएल नहीं बनाता? वो सारी एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाता हैं, सिंगल ब्राण्ड के अंदर वो पूरी की पूरी एक मॉल खोल सकता है जिसके अंदर सारा माल एचयूजी का होगा। हिमालयाज को ले लीजिए। हिमालयाज की दुकान होती हैं, उसके अंदर सारी चीजें होती हैं और दूर क्यों जाते है, लाला रामदेव को ले लो। उनकी दुकान के अंदर क्या चीज है, नहीं बिकती? मतलब दातुन से लेकर, क्रीम तक और लिपिस्टिक से लेकर च्यवनप्रॉश तक और घी से लेकर बिस्कुट तक क्या नहीं और वाशिंग पाउडर भी! तो अगर सिर्फ इसका भी ले लें तो सिंगल ब्राण्ड रिटेल भी अगर रामदेव जी को ही ले लिया जाए तो ये सिंगल ब्राण्ड में तो ये अच्छे अच्छे लालाओं को बर्बाद कर देंगे। बेटा होने की भी देते हैं, गौमूत्र भी बेचते हैं। मतलब क्या नहीं बेचते और फॉरेन के अंदर तो ऐसी बहुत सारी ब्राण्ड हैं जैसे अध्यक्ष जी, आईकिया को ले लीजिए, आईकिया एक ही ब्राण्ड है और वो आइकिया अपनी दुकान खोल देगा तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा एक बाजार को खत्म कर सकता है। वो हर चीज बनाते हैं। वो अपने ब्राण्ड के नाम की बनाते हैं और वो कोई मुश्किल कोई ना है। और क्या मुश्किल है कोई आदमी एक ब्राण्ड बना दे, उसक नाम हो विजेन्द्र गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड और वो उस ब्राण्ड के नाम की फ्रैंचाइजी खोल दे कि वो जूते भी रखेगा उसके ऊपर गुप्ता जी का नाम लगा देगा, वो खोलेगा उसके ऊपर नाम लगा देगा, कोई भी नाम हो

सकता है, मान लीजिए एक्स हो गया तो उसने सब चीजों की आउटसोर्सिंग कर दी। जूते की, कम्बल की, टी–शर्ट की, टूथपेस्ट की, साबून की, नेलपॉलिश की और सबके ऊपर उसने एक ब्राण्ड का नाम लगा दिया और वो कहे जी, ये तो सिंगल ब्राण्ड है, सिंगल ब्राण्ड पर आ जाएगा, वो सारा का सारा, तो आप कैसे रोकोगे? ये सिर्फ बेवकूफ बनाना है ये जो जलेबी बनाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद, मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ आज मुझे जाना था, मैं सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि आज गुप्ता जी क्या कलाबाजी लगाएंगे! इस सदन में उस चीज का मैं इंतजार कर रहा हूँ। और पत्रकार भाइयों से खासतौर पे निवेदन है कि इस कलाबाजी को आप जाँचिएगा–परखिएगा और कल लिखिएगा, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जी, अपनी इस विषय पे बात कहूँ क्योंकि आप सिर्फ रूलिंग दे दीजिए, मैं इसपे आगे कुछ नहीं चाहता।

सुबह मैंने एक बधाई प्रस्ताव लगाया था 114 में उसके बारे में आप अपनी रूलिंग दे दीजिए। आप उसको स्वीकार कर रहे हैं या उसको रिजैक्ट कर रहे है?

अध्यक्ष महोदयः भई विजेन्द्र गुप्ता जी, आप एक सैकंड मेरी बात सुन लीजिए। 280 जा चुका। अब सदन का समय मत खराब करिए। आपको सीधा एफडीआई पर, नहीं, मैं इसमें कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ। क्या बधाई संदेश है, क्या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। अब छोड़ दीजिए उसको। विजेन्द्र गुप्ता जी, अगर आप एफडीआई पर बोलना चाहते हैं, ये जो सौरभ भारद्वाज जी कह रहे थे ना। कलाबाजी शुरू हो गई।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक सेकेंड, मैं सिर्फ आपसे ये चाह रहा हूं आप अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदयः मैं कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा हूं। आप सीधा एफडीआई पे आ जाइए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बस ठीक है, यही मेरा कहना है, अलाउ कर रहे हैं तो मैं इसकोकृ. मतलब इसके बाद लेंगे या क्या है, वो जानना चाह रहा था ना। ठीक है, आपने रिजैक्ट कर दिया, हमारा बधाई प्रस्ताव; हज की सब्सिडी पे।

अध्यक्ष जी, मैं उस पर चर्चा... बहस इसलिए नहीं करना चाहता उस विषय पे क्योंकि सदन... समय काफी हो गया है और अध्यक्ष जी ने हमारा बधाई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, सदन के समक्ष नहीं लाने दिया, उस पर मुझे खेद है। अध्यक्ष जी, अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छे विषय पे चर्चा हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है इस चर्चा में कोई कम्युनिकेशन गैप है या जानकारी का अभाव के कारण ये सब हो रहा है। जिस तरह यहाँ उदाहरण दिए गए, मैं भी कुछ उदाहरण देके आपके समक्ष विषय को रखूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको कन्विंस करूँ और बाद में जब सारा सदन इस तथ्य और जानकारियाँ जब उनके पास आएंगी, मुझे लगता है कि बड़ी सकारात्मक सोच से ये डिबेट हो रही है तो जानकारी आने के बाद शायद अपने विचार को बदल ले और केन्द्र सरकार को बधाई देने की बात करे। देखिए, तीन साल पहले, जैन साहब आप तो थोड़ा शांत ही रहो, तो अच्छा है, प्लीज। तीन साल पहले जब सरकार आई थी, केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की तो मोदी जी ने एक नारा दिया था 'मेक इन इंडिया' का और लोगों ने उसको सराहा था और 'मेड इन इंडिया' तो सबने

सुना था लेकिन 'मेक इन इंडिया' एक भविष्य की योजना थी और जिसके अंतर्गत एक रैड कॉर्पेट वैल्कम था, उन तमाम इन्वैस्टर्स का हिन्दुस्तान में जो फॉरेन इन्वैस्टमैंट आएगी और वो भी कहाँ डिफैंस, अगर डिफैंस में भारत का कुल 20 लाख करोड़ का बजट है और अगर सही मायनों में अगर मुझे जहाँ तक, मुझे... अब फिगर नहीं है मेरे पास लेकिन 32 टू 40 परसेंट, हम खुद डिफेंस के ऊपर अपने कुल बजट का खर्च करते हैं। लगभग 7–8 लाख करोड़ रुपया और बाहर जाकर इंडस्ट्रीज जो अमेरिका में है, यूरोप में है, चाइना में है, हाँ से हम वो तमाम हथियार खरीदते हैं। अगर डिफेंस की इंडस्ट्री हिन्दुस्तान में डेवलप होगी तो आप सोचिए आठ लाख करोड़ में से बहुत बड़ा हिस्सा जो हम प्रोक्योरमैंट करते हैं, प्लस जो विश्व खरीदेगा हमारे हिन्दुस्तान में आकर, तो कितना बड़ा प्रोक्योरमैंट हिन्दुस्तान से होगा और उससे कितनी बड़ी एम्पलॉएमैंट जनरेट होगी और ये एक इन्डस्ट्री में नहीं है, ये फार्मास्टिकल में भी है, ये इंश्योरेंस में है, सिविल एवीएशन में है, कन्स्ट्रक्शन डवलपमेंट में, यानी कि वो इंडस्ट्रीज है जिसका किसी एक छोटे दुकानदार से कोई लेना–देना नहीं है। लेकिन वो एक... देखिए इसका फायदा हुआ? 2013–14 में 'मेक इन इंडिया' के, 2013–14 में 36.05 यूएस बिलियन डॉलर, यानी कि 36.05 बिलियन डॉलर यूएस, वो हिन्दुस्तान में इन्वैस्ट होता था और 34 महीने के अंदर–अंदर ये 66 परसेंट बढ़ गया है। अब है 2016–17 की फिगर 60.08 यूएस बिलियन डॉलर। तो 66 परसेंट हमारे पास अतिरिक्त फॉरेन इन्वैस्टमैंट आनी शुरू हुई। तो पहला जो इशू जो जुड़ता है, ये 'मेक इन इंडिया' से जुड़ता है और 'मेक इन इंडिया' में हम चाहते हैं कि इम्पलोइमैंट बढ़े, लोकल मैन्यूफैक्चरिंग जब उसके बाइ–प्रॉडेक्ट चाहिए, बाइ उसके रॉ–मैटीरियल चाहिऍं उसको हिन्दुस्तान से वो ओर्गनाइज करेगा और ट्रांस्पोर्टेशन बचेगी, कॉम्पीटेटिव वर्ल्ड की मार्किट

है तो उसको फायदा होगा और हमारे यहाँ लाखों–लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और वो पैसा हिन्दुस्तान में खपेगा। अब आइए, आगे।

अध्यक्ष महोदयः ये बात तो विजेन्द्र जी कॉग्रेस भी कहती थी उस वक्त।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप भी जरूर उसमें विचार जोड़िएगा, प्रैक्टिकली हम करके दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़िएगा। यहाँ बात आई एसबीआरटी की। देखिए, पहला तो हमारे चर्चा शुरू की थी गोयल साहब ने। उन्होंने शुरू की थी एमबीआरटी से। ये एमबीआरटी नहीं है, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग का इशू नहीं है, ये है सिंगल ब्राण्ड रिटेल ट्रेडिंग का इशू। तो इसलिए मैं स्पष्ट कर दूँ सभी मैंबर्स को कि ये एसबीआरटी का इशू है, न कि एमबीआरटी का इशू है। अब एसबीआरटी का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एप्पल है, आज अगर एप्पल हिन्दुस्तान में अपना शो रूम खोलता है; रिटेल आउटलेट तो उसको इन्क्रीमैंटल सोर्सिंग पर थर्टी परसैंट अपने बाइ–प्रॉडैक्ट जो है रॉ–मैटिरियल, वो इंडिया से लेने पड़ेंगे, विद इन फाइव ईयरस। शास्त्री जी ठीक कह रहा हूं ना? मैं आपको सुन रहा था। मैंने कहा, आपको मालूम है इन्क्रीमैंटल सोर्सिंग का, तो मोहर लगवा लूँ आपसे और अगर वो आलरेडी इंडिया से अपना कोई बाई–प्रॉडैक्ट ले रहा है और इन्टरनैशनल मार्किट में उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो बाई द टाइम अगर वो इमीजेटली थर्टी परसेंट की फीगर पर नहीं आ पा रहा है तो वो ज्यादा खरीद के यानी अगर वो आज सौ करोड़ रुपए का हिन्दुस्तान से कोई रॉ–मैटीरियल ले रहा है तो एप्पल जो है, वो जब इंडिया में शो रूम खोलेगा तो वो सौ की जगह उसको 150 करोड़ रुपए का रॉ–मैटीरियल यहाँ से खरीद के इंटरनैशनल मार्किट में लेके जाएगा। तो वो कम्पनसेट हो जाएगा। उसके उस इशू से, उसके उस आउटलेट के साथ, जो हाँ पर वो लगा रहा है।

तो कहने का मतलब ये है कि जब सिंगल ब्राण्ड ये जो अमेंडमेंट इसमें हुई है, दो मेजर एक तो इन्क्रीमेंटल सोर्सिंग की और दूसरा इसके अंदर जो चेंज हुआ है, वो सिंगल ब्राण्ड रिटेल ट्रेडिंग जो है, उसको प्रमोट करने के लिए अब एप्पल है या इसी तरह का एमवे है, इस तरह के जो बड़े–बड़े इंटरनैशनल ब्राण्ड हैं, जो छोटा दुकानदार है, अध्यक्ष जी, हम भी सामान खरीदने जाते हैं दुकान पे, कभी कोई एक ब्राण्ड की चीज नहीं बेचता, उसके पास एक हजार ब्राण्ड होती हैं। वो 10 तरह के टूथपेस्ट बेचता है, 20 तरह की सेविंग क्रीम बेचता है, सस्ती बेचता है, मंहगी बेचता है हल्की बेचता है, जैसा उसकी मार्किट में दुकान है, जैसा कस्टमर उसका है, पांच रुपए की टिक्की तक बेचता है, शेविंग क्रीम की जगह साबून की, जो सेविंग के काम आती है। तो इसलिए पहला इशू ये कि इससे छोटे दुकानदारों का कोई ताल्लुक ही नहीं है पूरे इशू से, एक बात। ये छोटे दुकानदारों को किसी भी प्रकारकृ. बल्कि जो मैन्युफैक्चरर्स है या फिर जो एग्रीकल्चरल प्रोडैक्टस प्रोड्यूस करते हैं, उनको एक हिन्दुस्तान में बैठे–बैठे, किसान को गाँव में इंटरनैशनल लेवल पर अपने प्रोडैक्ट को ले जाने का एक अपोर्च्युनिटी ये है। ये ऑवरआल जो इकॉनॉमिकल एटमॉस्फेयर पूरा चेंज होगा, इससे जो वातावरण बनेगा, एक कॉम्पिटेटिव मार्किट का, एक क्वालिटी मार्किट का, एक स्टैण्डर्ड गुड्स का, ये कस्टमर्स को भी इसका सीधा–सीधा लाभ होगा। क्योंकि जब इस तरह का एन्वायरन्मैंट बन जाएगा, अच्छी चीजों को लेकर के मार्किट में आने का, तो एक कॉम्पिटीशन जब क्रिऐट होगा, उस तरह के ट्रेड, उस तरह की फैक्ट्रीज उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होंगी कि लोग उस लेवल पर जाकर के, उस तरह के प्रोडक्ट दे सकें, तो वो फिर हिन्दुस्तान की मार्किट में भी पॉपुलर होगी और ऐसा नहीं है कि बाइंडिंग कोई एक अगर सिंगल ब्राण्ड अपने लिए डेवलप कर रहा है। तो बाकी

लोग कॉम्पिटीशन में उसको वहां से पिक नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं। तो एक ये लॉंग टर्म प्लानिंग है हिन्दुस्तान में, एम्पलायमेंट बढ़ाने की, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की और हिन्दुस्तान के अन्दर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ जोड़कर के वर्ल्ड लेवल पर ले जाने की। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया के अन्दर आने वाले दिनों में जिस तरह आप देखते हैं कि अभी कितनी कंपनीज आ गई हैं, आज सरकारी नौकरियों की तरफ लोग उतना नहीं अट्रेक्ट हो रहे। मैंने कितने लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी में नहीं जाएंगे हम। हम प्राइवेट में काम करते हैं, हमें अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है, हमें दो लाख–चार लाख रूपये सेलरी मिलती है। आज आप देख रहे हैं कि एक समय ऐसा था 20 साल पहले, 30 साल पहले, हर व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए दौड़ता था। आज लोगों का ध्यान सरकारी नौकरी एकमात्र एक ऑल्टरनेटिव रह गया है। उसका कारण क्या है कि लोगों के पास अब ऑपोर्च्युनिटीज हैं तरह–तरह की। ये जो मामला है, इससे एक अपोर्च्युनिटीज इस देश के अन्दर उत्पन्न होगी और एक वातावरण बनेगा और एम्प्लायमेंट और तमाम चीजें होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सिंगल ब्राण्ड रिटेल ट्रेडिंग है, ये जहाँ–जहाँ भी दुनिया में हुआ है, हाँ की इकोनॉमी बहुत ज्यादा फ्लॉरिश हुई। वहां के लोगों को अपॉर्च्युनिटीज बहुत ज्यादा मिली है और डिलीवरी बॉयज हैं, जो भी योजनाएं हैं, उसमें वो सारी उसमें समावेश करेंगी और भारत को एक नया वो मिलेगा। जो आप हमारे विरोध की बात कर रहे थे, वो सब चीजें इसमें अमेंड की गई हैं क्योंकि अमेंडमैंट के साथ इस नए प्रोजेक्ट को लाया गया और मेक इन इंडिया से इसको जोड़ा गया है, न कि ये कोई ट्रेडिंग के ईशू से जोड़ा गया है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, देखिए, मैं भी इससे पीड़ित हूँ। नहीं, नहीं, मुझे एमवे का एक सेकेण्ड, एमवे का आपने नाम लिया, आज एक–एक रिटेलर एमवे से पीड़ित है। जूता लेना है तो एमवे! टीवी लेना है तो एमवे! सारा रिटेलर पीड़ित है। जाकर दुकानों से पूछिए। आप जिसका एमवे का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से बुरा होने वाला है। हाँ, शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्रीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, क्योंकि विजेन्द्र जी ने एप्पल का एग्जाम्पल दिया और इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन के माध्यम से क्योंकि हो सकता है कि विजेन्द्र जी ने कहीं पढ़ा हो या मोदी जी ने इनको बताया हो। मगर मैं एप्पल का व्यापार खुद देखता था पूरे देश में। तो इनको जानकारी देना चाहता हूं कि एप्पल, जब तक ये रिटेल नहीं संभव था, जब तक 30 हजार दुकानों से इस देश में एप्पल के फोन, एप्पल के प्रोडक्ट बिकते हैं। जो 30 हजार दुकानों का मतलब है लगभग डेढ़ से दो लाख लोगों की नौकरी इन सब दुकानों से चलती है और एप्पल बहुत समय से चाहता है कि वो सिंगल ब्रॉड रिटेल में जिनकी इन्होंने बात करी, उसमें आए। उसके कारण केवल दो हैं। पहला कारण ये है कि वो 30 हजार दुकानों से एप्पल के फोन हटाकर अपनी हजार दुकानों से बेचना चाहता है तो वो 30 हजार दुकानें, जहां से एप्पल के फोन बिकते हैं, उनके नौकरी, उनकी जो आमदनी है, उस पर बहुत बड़ा झटका लगेगा। दूसरी बात जो हजार दुकान वो अपनी सिंगल ब्रॉण्ड की खोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदयः जिसको हण्ड्रेड परसेंट एफडीआई मिल गई, वो खोलेगा।

श्री आदर्श शास्त्रीः हण्ड्रेड परसेंट एफडीआई में वो खोलना चाहते हैं, उसका केवल एक कारण है; आज लगभग डिस्ट्रीब्यूशन में 18 परसेंट मार्जिन

एप्पल जैसी बड़ी–बड़ी कंपनियों को, दुकानदारों को डिस्ट्रीब्यूटरो को देनी ही पड़ती है और 18 परसेंट जो ये देना पड़ता है, अगर खुद की दुकानों से बेचेंगे तो, विजेन्द्र जी तो व्यापार के बारे में जानते हैं, वो 18 परसेंट की बचत डायरेक्ट एप्पल कंपनी को और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की आएगी और उससे एप्पल कंपनी जो मशहूर है कि किसी भी देश में काम करके मुनाफे को अपने साथ बाहर ले जाती है, वो एप्पल कंपनी, उस मुनाफे को बाहर ले जाएगी। आपको जानकारी दे दूँ विजेन्द्र जी कि आज भी एशिया मे, आस्ट्रेलिया में एप्पल के जितने ऑपरेशन्स हैं, उसकी होल्डिंग कंपनी आयरलैंड में है, कॉर्क नाम के एक शहर में। उसका कारण ये है कि वो पूरी टैक्स हेवन है। टैक्स की बचत होती है और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है एप्पल के उपर कि वो टैक्स अमेरिका से बचाने के लिए कॉर्क आयरलैंड में उन्होंने कंपनी खोली। तो मैं आपको जानकारी दे दूँ। आप मोदी जी को, समय लेकर उनको भी जानकारी दे दीजिएगा। सिंगल ब्रॉण्ड रिटेल से नुकसान कितना इस देश का होने वाला है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री गोपाल राय जी, माननीय मंत्री।

विकास मंत्री (श्री गोपाल राय): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एफडीआई का मुद्दा केवल व्यापार का मुद्दा नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः माननीय गोपाल जी, एक सेकेण्ड, बीच में रोकना पड़ेगा आपको। आधा घंटा सदन का समय बढ़ा दिया जाए। मैं समझता हूं, सब इसके लिए सहमत होंगे।

श्रम मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जब माननीय नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता जी बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि जब इस सदन के अन्दर काँग्रेस की सरकार थी और एफडीआई को लाने के लिए काँग्रेस

ने जब प्रयास किए। उस एफडीआई के पक्ष में जितने तर्क अभी विजेन्द्र गुप्ता जी ने दिए, ये सारे तर्क कॉंग्रेस के लोग पूरे देश को समझा रहे थे। इन्होंने तीन बातें कही कि देश के अंदर एफडीआई के आने से रोजगार बढ़ेगा, देश के अंदर एफडीआई के आने से मैन्युफैक्चरिंग होगी और अतंतोगत्वा ये मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो भारत बनेगा इससे। तीन तर्क इन्होंने इसके फेवर में दिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं विन्रमता से कहना चाहता हूँ एफडीआई आने के बाद कल क्या होगा, इस पर तमाम सदस्यों ने चर्चा की है। लेकिन इसी तरह के तर्कों के आधार पर इस देश के अन्दर कॉंग्रेस पार्टी ने, माननीय मनमोहन सिहं के नेतृत्व में स्पेशल इकनॉमी जोन बनाए। अगर आप लोग तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे, इस देश के अन्दर जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, आजादी की लड़ाई के दौरान जमींदारी के खिलाफ आवाज उठी थी और हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ, जमींदारी एबोलिशन एक्ट बना। लेकिन इस देश के अंदर स्पेशल इकनॉमी जोन, 575 स्पेशल इकनॉमी जोन कांग्रेस पार्टी ने बनाए। मनमोहन सिंह की हुकुमत ने ही बनाए। तीन तर्क दिए गए थे कि अगर स्पेशल इकनॉमी जोन बनेगा तो चायना की तरह से हिन्दुस्तान का व्यापार आगे बढ़ेगा। अगर स्पेशल इकनॉमी जोन बनेगा, हिन्दुस्तान के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अगर स्पेशल इकनॉमी जोन बनेगा, हिन्दुस्तान तरक्की करेगा। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। किसी को भी देखना है, इस देश के सामने सफेद झूठ बोलने से पहले कॉंग्रेस और मनमोहन सिहं सरकार के उस स्पेशल इकनॉमी जोन के पूरे अध्याय को पलटकर के देखिए। देश के सामने आज क्या सच्चाई है, पूरे हिन्दुस्तान को आज पता चल जाएगा। हजारों–हजारों एकड़ जमीन, बड़े–बड़े पैसे वालों को दे दी गई। इस देश के अन्दर हजारों लोग विस्थापित हुए, आज दर–दर

भटक रहे हैं। आज तक अपने बच्चे के लिए एक झोपड़ी नहीं बना पाए लोग। परिणाम क्या निकला है आज? अगर ऑडिट कराया जाए इस देश के अन्दर स्पेशल इकनॉमी जोन के कितने बच्चों को, हिन्दुस्तान के नौजवानों को रोजगार दिया है, स्पेशल इकनॉमी जोन में। कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं, स्पेशल इकनॉमी जोन में, कितना प्रोडक्शन होता है, स्पेशल इकनॉमी जोन से पूरा देश मौन है। न काँग्रेस बोलने को तैयार है, न भाजपा फाइल खोलने के लिए तैयार है। सारा देश चुप बैठा हुआ है। देश की हजारों एकड़ जमीन विदेशी कंपनियों और देश के बड़े–बड़े लैंड माफियाओं के हाथ में चली गई और जो विस्थापित हुए, अपने न्याय के लिए दर–दर भटकते हुए, आज भी इस देश के अन्दर इस मादरे–वतन के बच्चे रो रहे हैं।

अध्यक्ष जी, ये देश की एक सच्चाई है। एक अध्याय है जो आज झूठ बोलने की कोशिश की जा रही है देश के सामने, लोगों को शर्म नहीं आ रही है। और मैं इस बात पर जरूर कहता हूँ कि जिस रास्ते की तरफ इस देश को ले जाने की कोशिश हो रही है, ये कोई एफडीआई का मसला, कोई सैपरेट एजेंडा नहीं है। इस देश के अन्दर और पूरी दुनिया के अन्दर 90 के दशक में पूरे देश को और पूरी दुनिया को कन्ट्रोल करने के लिए जनरल एग्रीमेंट रेट एण्ड टैरिफ गेट्स समझौता हुआ। पूरे दुनिया के सरमायेदार जो सबसे ताकतवर लोग हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को आर्थिक गुलाम बनाने के लिए नया अस्त्र बनाया, नया संस्था बनाई, नया तिकड़म बनाया, नया कानून लिखा, जिसका नाम है गेट्स समझौता, जनरल एग्रीमेंट रेट एण्ड टैरिफ। ये उसी दस्तावेज का हिस्सा है फॉरेन इंवेस्टमेंट का। उसी दस्तावेज का ये हिस्सा है। हिन्दुस्तान के तमाम वो प्रोडक्ट अगर आप सबको याद होगा 90 के दशक के बाद इस देश के अन्दर डंकल प्रस्ताव आया था। डंकल प्रस्ताव के खिलाफ पूरे देश के अन्दर आवाज उठी थी। पूरे देश

में विरोध किया था। लेकिन उस समय देश के विकास के नाम पर ये ही मनमोहन सिंह जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने, विदेशी एजेंट की तरह बैठकर के काम किए। लेकिन मैं शर्म के साथ कहना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह ने इस देश को 50 परसेंट बेचा। ये मोदी देश को 100 परसेंट बेचने परा तुला हुआ है, इस मादरे वतन को बेचने पर तुला हुआ है।

आपको आश्चर्य होगा! हम सभी लोग पूछ रहे हैं; क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? जो भाषण मनमोहन सिंह मीठी आवाज में धीरे धीरे देते थे, वही भाषण, उसी स्क्रिप्ट पर मोदी जी आपनी ऊंची आवाज में बोलते हैं। चेहरा एक, पार्टी अलग थी। कॉंग्रेस पार्टी बदल के पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया। एक प्रधानमंत्री का नाम था मनमोहन सिंह नाम बदल के नरेन्द्र मोदी हो गया। एजेंडा एक चल रहा है अध्यक्ष महोदय। इस देश को अंग्रेजों ने पहले आर्थिक रूप से गुलाम बनाया था और धीरे धीरे अगर इतिहास के पन्नों में आप जाओगे तो ईस्ट इंडिया कम्पनी इस देश के अन्दर जब अपने राजनीति शिकंजे को कसी थी, व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कम्पनी, ईस्ट इंडिया कम्पनी ने हमारे नवाबों के, हमारे जो राजा थे, उनके दरबार में जा करके सब्सिडियरी सेना बनाया। बोला जी, आपकी सेना को बेहतर हम प्रशिक्षण देंगे। हम इंगलैंड की सेना को देखो, इंगलैंड की पुलिस को देखो कितनी अच्छी है। हम आपका सहयोग करेंगे आपका राज्य आगे बढ़ेगा। दूसरा राज्य आक्रमण नहीं कर पाएगा। राजा भी आ गए, नवाब भी उनके लुभावने में आ गए सब्सिडियरी सेना बनी। सेना अंग्रेज की होती और तनख्वाह राजा देता था, तरक्की के लिए, अपने राज्य के लिए। इतिहास गवाह है कि कैसी तरक्की हुई। आज उसी तरक्की की दुहाई दे रहे हैं। ये उसी जुमले की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर... मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ हिन्दुस्तान की सरजमीं पर, कुदरत ने जितनी उपजाऊ जमीन दी है हिन्दुस्तान के अन्दर, दुनिया के किसी देश के अन्दर इतनी उपजाऊ जमीन है? हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी नदियां बहती हैं, दुनिया के कम देशों में इतनी नदियां बहती हैं। हिन्दुस्तान के पास जितना खनिज पदार्थ है, दुनिया के कम देशों में इतना खनिज पदार्थ है। हिन्दुस्तान के पास जितना मैनपॉवर है, दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। और हिन्दुस्तान के पास दिमाग उस कुदरत ने दिया है। आज दुनिया के 17 देशों की अर्थव्यवस्था माँ भारती के बेटे बेटियां जा करके चला रहे हैं। इन बेटे–बेटियों के दम पर दुनिया की अर्थव्यवस्था चल रही है। इस देश को फॉरेन इन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या ये देश अपने विकास के लिए संसाधन होने के बावजूद अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने की औकात नहीं रखता है? क्या यहां की आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे, बेटियां ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं विकसित कर सकते जिससे हम अपने खेती या अभी कह रहे थे विजेन्द्र गुप्ता जी किसानों के फायदा होगा? अरे, लानत है ऐसे देश भक्त, देश द्रोहियों पर! जो ऐसे टेक्नोलॉजी पैदा नहीं कर सकते, वो इतनी आईआईटी हैं हमारे देश के अन्दर जो हिन्दुस्तान के किसान को आर्थिक व्यवस्था को सुद ढ़ करने के लिए टेक्नोलॉजी दे सके। मादरे–वतन की बेटे–बेटियों को इतनी औकात नहीं है? किसकी बात कर रहे हो आप! इस देश के अन्दर इतनी प्राक तिक सम्पदा है, इतना खेती–बाड़ी है, इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है, सब कुछ है। अगर इस देश की शासन व्यवस्था, अगर आज ठान ले अपनी टेक्नोलॉजी को इस देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप संसाधन के अनुरूप विकसित कर ले, मैं कहना चाहता हूँ... विजेन्द्र गुप्ता जी कह रहे थे अमेरिका एफडीआई क्यों नहीं चाहता है? इस देश की जो दुनिया

के अन्दर सबसे विकसित अर्थव्यवस्था है; अमेरिका, क्या एफडीआई के दम पर नहीं विकसित हुई। चाइना एफडीआई के दम पर विकसित नहीं हुआ? जापान एफडीआई के दम पर विकसित नहीं हुआ? रशिया एफडीआई के दम पर विकसित नहीं हुआ? इंग्लेंड एफडीआई के दम पर विकसित नहीं हुआ? जहाँ जहाँ एफडीआई गई है, वो देश गुलाम हुआ है। एक इतिहास के पन्ने में देश का नाम बता दो, जहाँ पर विदेशी पैसे के दम पर वो देश, दुनिया का विकसित देश बना हो। किसको गुमराह कर रहे हो? किसको झूठ बोलकर के इस बात को आँख में ढकने की कोशिश कर रहे हो? देश चुप है। इसलिए कि इस देश की ये तासीर है कि बहुत देर तक बर्दाश्त करता है, भरोसा करता है अपने लोगों में। अंग्रेजो का भरोसा कर लिया 1757 से लेकर के 1947 तक। लेकिन जिस दिन खड़ा होता है, उस दिन सारी जुमलेबाजी और सारी ड्रामेबाजी को खत्म कर देता है। ये भी औकात ये देश रखता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो पूरे दुनिया के अन्दर एक पूरी दुनिया को साम्राज्यवाद का जो नक्शा बना है, ब्रिटिश इम्प्रियलिज्म के खत्म होने के बाद अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने एक नक्शा बनाया कि दुनिया के अन्दर कैसे अपने आर्थिक साम्राज्य को विकसित किया जाए। उसके लिए संगठन बना, जिसका नाम है... जैसा हमने कहा वर्ल्ड बैंक उसका संगठन बना। इन्टर नेशनल मॉनिटरिंग फंड बना। उसका संगठन बना और उसके तहत जनरल एग्रीमेंट रेट एण्ड टैरिफ जिसकी मैं आपकी बात कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, उसके तहत एक–एक करके, एक–एक करके, एक–एक करके देशों को उसमें गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। समझौते कराए जा रहे हैं। समझौते ऐसे हो चुके हैं अध्यक्ष महोदय, वो चीजे सब लोग भूल चुके हैं धीरे धीरे।

ऐसे समझौते हो रहे हैं भारत के जंगलों में जो औषधियाँ बनती थी। उन औशधियों का पैटेंट आज अमेरिका के पास है। उन औषधियौं का पैटेंट आज जापान के पास है। उन औषधियौं का पैटेंट आज विदेशियों के पास है। अरे! जो औशधि जिन्दगी में कभी अमेरिका में बनी नहीं, उसका आज व्यापार और उसका मालिक और उसमें सिंगल ब्रॉण्ड अमेरिका बन रहा है। आप देश की तरक्की की बात कर रहे हो!

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरफ इस देश को ले जाया जा रहा है, उसमें चाहे वो काँग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। अभी चर्चा चल रही थी, उसमें जिक्र कर रहे थे कि जब जिस समय ये काँग्रेस काम कर रही थी, दुनिया के उन लोगों का वरदहस्त काँग्रेस और मनमोहन सिंह के हाथ में था। 15–10 साल तक हुकूमत मनमोहन सिंह ने इस देश में किया। अपने काबिलियत के दम पर नहीं, एफडीआई के इन्हीं धंधेबाजों और मालिकों के आशीर्वाद के दम पर किया और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, आज अगर पूरे देश के व्यापारियों को नोट बंदी से खत्म करना चाहते हैं नरेन्द्र मोदी। अगर इस देश के अन्दर व्यापारियों को जीएसटी से खत्म करना चाहते हैं नरेन्द्र मोदी। अगर इस देश के व्यापारियों को एफडीआई से खत्म करना चाहते हैं नरेन्द्र मोदी। अगर इस दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से खत्म करना चाहते हैं नरेन्द्र मोदी। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि जिन व्यापारियों ने जनसंघ से लेकर के दीया जला–जला के, जला–जला के, जला–जला के, जला–जला के आँधियों के बीच में जिन व्यापारियों ने इस भारतीय जनता पार्टी को हिन्दुस्तान को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया, उसको क्यो खत्म करना चाहते हैं नरेन्द्र मोदी? किसके दम पर खत्म करना चाहता है? अगला चुनाव तो लड़ना है नरेन्द्र मोदी को।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े दुनिया के थैली शाह हैं, उनका वरदहस्त लेने के लिए, ये चरण छूने के लिए विदेश में जाते हैं और उनका वरदहस्त इनको प्राप्त हो चुका है। उनका वरदहस्त प्राप्त होने के बाद ये व्यापारियों को खत्म कर रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, हम बता देंगे। क्योंकि वो हमारे बड़े आका, हमारे साथ खड़े हैं। ये राजनीतिक फायदे के लिए अगली सरकार बनाने के लिए सीधा सीधा काम किया जा रहा है। इसमें शुद्ध रूप से पॉलिटिकल लाभ के लिए और अगर आपको याद होगा जब इनकी मल्टी ब्रॉण्डिंग चल रही थी चुनाव के दौरान, उस समय छोटे व्यापारियों के पैसे से, चंदे से मल्टी ब्राँण्डिंग नहीं चल रही थी। जो पूरा चुनाव का कैंपेन हुआ नरेन्द्र मोदी जी का, विदेशी कम्पनियों के बड़े बड़े आकाओं ने, अपने अपने कम्पनी के दम पर उस ब्रॉण्ड को किया और उसी समय लिखित समझौता था, सरकार तुम बनाओगे, देश भक्ति का नारा लगाओगे, एजेंडा हमारा चलेगा देश की गुलामी का। देश आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है अध्यक्ष महोदय! इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये करने वाली काँग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, करने वाले मनमोहन सिंह हैं या नरेन्द्र मोदी। देश के जो सच्चे सपूत हैं, देशभक्त हैं, उन्हें इन सारे दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा। चेहरा अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है लेकिन मादरे–वतन की गुलामी की जो दस्तावेज लिखे, उन गद्दारों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यही आज वक्त की पुकार है, यही आज देश की पुकार है इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जयहिन्द।

अध्यक्ष महोदयः श्री सत्येन्द्र जैन जी।

ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कई प्रश्न मेरे मन में भी थे। मैं भी गोपाल राय जी से बहुत देर से पूछ रहा था

कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि एफडीआई और कल भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। मुझे क्या, किसी कोई भी समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी जिसको की पिछले 60 साल से 70 साल से जिन लोगों ने बनाया, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने अपनी रोटी, मकान, घर बर्बाद करके इनके लिए सब कुछ किया, उनको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल समझ से बाहर थी। एफडीआई की बाते कर रहे हैं। कहते हैं एफडीआई इन एवियेशन हो। चलो थोड़ा बहुत समझ में आता है। एफडीआई इन मैन्युफैक्चरिंग हो। थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है कि भाई कोई बहुत ही कम्पलिकेटेड चीज बनानी हैकृ. हमें नहीं आती, उनसे बनवा के चल सकती है। डिफेन्स के अन्दर भी मान सकते हैं अगर जरूरत है तो। पर एफडीआई इन रिटेल! ये तो समझ से परे की बात है। अब वो विजेन्द्र जी को न बीच में टोका–टाकी की ज्यादा आदत है। मैं डिफेन्स की बात कर लेता हूँ आपसे। अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि देश के अन्दर डिफेन्स का बजट है सात लाख करोड़ रूपये। मैं चाहता हूँ सात लाख करोड़ रूपये हो, अभी तक नहीं है। हिन्दुस्तान का डिफेन्स का जो बजट है, लगभग 3.6 लाख करोड़ रूपये है जिसमें सेकृ 70 प्रतिशत से ज्यादा! 3.6 लाख करोड़, 3. 6 लाख करोड़। उसमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा.

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, मंत्री जी बोल रहे हैं। सही तथ्य दे रहे हैं वो।

ऊर्जा मंत्रीः उसमें 70 प्रतिशत से ज्यादा सेलरीज होती है और किसी भी आधार के उपर सारा इक्विपमैंट, मैं कहता हूँ कि हिन्दुस्तान में कुछ भी नहीं बनता। अगर ये सोचते हैं न, कि हमारे यहाँ तो कहते हैं, पिस्तौल भी नहीं बनती। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं बन सकता। साईकिल भी नहीं बनती। वहाँ पर मोटरसाईकिल भी चाहिए होती है, गाड़ियाँ भी चाहिए होती

हैं। अगर कुछ भी नहीं बनाते तो पूरे देश का डिफेन्स बजट सब कुछ मिलाके एक साल में इक्विपमैंट का एक लाख करोड़ रूपये भी नहीं है। जिसको अभी जोर–जोर से चिल्ला रहे थे 6–7 लाख करोड़ रूपये।

अब एफडीआई इन रिटेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं एफडीआई इन रिटेल में और ये गीत गा रहे हैं डिफेन्स की और डिफेन्स में भी झूठे आँकड़े सामने रखके। अब ये कहते हैं जी, एफडीआई इन रिटेल का छोटे व्यापारियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इन्हीं के शब्द हैं, लिखके रखे हुए हैं। कहते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं, क्यों नहीं है? कहते हैं, हम सबको डिलीवरी ब्वॉय बनाएंगे। अभी बोला इन्होंने शब्द, कि डिलीवरी ब्वॉय की नौकरियाँ मिलेंगी, डिलीवरी ब्वॉय बनेंगे। जैसा कि अमेरिका में हुआ था। आपको याद होना चाहिए। आज से लगभग 80 साल पूर्व हाँ पर बड़े–बड़े स्टोर खोले गये। पहले मॉम एण्ड पॉप स्टोर होते थे। हर गली के अन्दर जैसे हमारे किरयाने की दुकानों की छोटी–छोटी दुकानें हुआ करती थीं। हाँ पर वॉल मार्ट जैसे बड़े–बड़े स्टोर आये। उन सबको मजबूर किया गया। सबने अपने स्टोर बेचे और वो वॉल मार्ट के अन्दर जाके नौकरी करी। इस देश के अन्दर छोटे दुकानदार... अभी मैं छोटे दुकानदारों पर अपने आप को केन्द्रित कर रहा हूँ। ज्यादा चीजें मिक्स नहीं कर रहा। लगभग एक करोड़ से ज्यादा दुकानें हैं और एक करोड़ दुकानें जो काम करती हैं, अगर इनको एफडीआई इन रिटेल एलाउ कर दिया गया। सर, वो अच्छी से अच्छी टेक्नोलाजी लेके आएंगे और उनको एक करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे भी समझ में आया कि ज्यादा से ज्यादा दस लाख, ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूँ। या तो एक लाख से काम चला लेंगे, उनको दस लाख भी स्टोर्स नहीं चाहिए। फिर ये कहेंगे, आप दुकान बेचो और डिलीवरी ब्वॉय की नौकरी कर लो। विजेन्द्र गुप्ता जी, आपको

भी मिल जाएगी, आप भी कर लेना। सबसे बढ़िया डिलीवरी ब्वॉय आप बनना। और सबसे मुझे क्या लगता है। कई बार ऐसा भी लगता है ये एफडीआई चिल्लाते रहते हैं, ये एफडीआई है क्या, ये तो पता लग जाए? इसमें भी पूरा शक है। मुझे तो कई बार लगता है नेताओं का पैसा और कुछ नहीं है। ये अगर मॉरीशस में पैसा आ रहा है। मॉरीशस तो छोटा सा देश है। गरीब देश है। वो पूरा मॉरीशस की जो इकोनॉमी है, वो दिल्ली से चौथाई भी नहीं है। वो हिन्दुस्तान के अन्दर तीस परसेन्ट एफडीआई कर रह है। सिंगापुर, दिल्ली से वन थर्ड उसका ज्योग्राफिकल एरिया है। 500 स्क्वैयर किलोमीटर, दिल्ली 1500 स्क्वैयर किलोमीटर की है। हाँ से 20 परसेन्ट एफडीआई आ रहा है। अरे भाई! इन नेताओं का खुद का पैसा है। ये बहानेबाजी से न, पार्टनरशिप में दूसरों के साथ लाना चाहते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये नेताओं का पैसा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आपका दो सौ करोड़ कहाँ गया?

ऊर्जा मंत्रीः अरे! भाग मत जाना, अभी।

अध्यक्ष महोदयः ये व्यक्तिगत ठीक नहीं है।

ऊर्जा मंत्रीः क्योंकि अगर टिप्पणी करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः आपको बहुत पीड़ा होती है।

ऊर्जा मंत्रीः आपकी पत्नी एमसीडी के अन्दर...

अध्यक्ष महोदयः बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए।

ऊर्जा मंत्रीः भाग मत जाना।

अध्यक्ष महोदयः बैठ जाइए, प्लीज।

ऊर्जा मंत्रीः जो रोहिणी के मॉल्स के अन्दर आपकी पार्टनरशिप है, उनका बात करिए। कौन–कौन से मॉल में कितनी पार्टनरशिप है, दुकानों के नाम बताने पड़ेंगे। आपके पार्टनरों के नाम यहां बताने पड़ेंगे। सुरेन्द्र गुप्ता जी का नाम बताऊँ? किस–किस गुप्ता जी का नाम बताऊँ आपको, अरे! छोड़ दो।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आप बाद में बहुत बोलते हैं और ये तरीका ठीक नही है। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं दो सौ करोड़ उनका है। मतलब क्या तरीका है ये? ये कोई तरीका है? मैं रिकार्ड करूँ इसको? मैं रिकार्ड करवाऊँ इसको?

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः ***xxx***[1]

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए। प्लीज अच्छा भला। नहीं क्या समझाऊँ। शुरूआत आप करते हैं। शुरूआत आप करते हैं। हर वक्त शुरूआत आप करते हैं। बैठ जाइए अब। चलिए। आप लोग बैठिए, बैठिए। जाइये। मुझे मालूम था आप चाहते है बाहर जाना। मुझे मालूम था आप बाहर जाना चाहते हैं। आप सच्चाई सुन नहीं सकते। नहीं, मैं पहले आपको अवमानना का नोटिस दिलाऊँ? पहले आपको अवमानना का नोटिस में लूँ? नहीं, मैं आपको अवमानना के नोटिस में लूँ पहले? आपने सत्येन्द्र जैन जी को कहा, ''आपका दो सौ करोड़ रूपया कहाँ है?''

... (व्यवधान)

---

1. चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः राष्ट्रपति के बारे में...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मर्जी आये करना चाहें? चलिए, गो–आउट। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सोमनाथ जी, अब शान्त हो जाइए। जैन साहब को पूरा करने दीजिए। आप जो कुछ मर्जी आये बोल सकते हैं? आप जो मर्जी आये बोल सकते हैं? सुनने का माद्दा रखिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः राष्ट्रपति के बारे में बोला जाएगा?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हाँ, कोई बात नहीं। चलिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए, बैठिए। सोमनाथ जी, बैठ जाइए आप। सोमनाथ जी। ये सोमनाथ जी ने बोला ये कार्यवाही से निकाल देना।

ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, एफडीआई का जो आज तक पिछले दस साल से, पन्द्रह साल से, बीस साल से हम सुनते आये हैं। उसका लॉजिक जो सबने समझाया। यही समझाया कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं, जो हमें नहीं आता, हमारे लिए एक हवाई जहाज बना लाओ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अरे! हमारे सामने ही निकाल देते। यही तो मैं कह रहा हूँ।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैंने कहा था तो।

अध्यक्ष महोदयः मुझे कोई डर नहीं है। मुझे किस–किस का डर है? आपने कब बोला? आपने कब बोला कार्यवाही से निकाल दीजिए?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैंने तो कहा।

अध्यक्ष महोदयः आपने कहा, माफी मंगवाइये। आपने कहा माफी मंगवाइये। छोड़िए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई, थोड़ा शान्त हो जाइए।

ऊर्जा मंत्रीः 5–10 मिनट लगेंगे। थोड़ा सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, एफडीआई इन रिटेल के बारे में हमेशा जो भी पढ़ा, जो भी समझा, जिस भी नेता ने, जिस भी कारण से, जो भी कारण बताया, वो एक ही कारण बताया। हाई टेक्नोलॉजी हम लेके आना चाहते हैं हम, देश के अन्दर, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चलो, किसी हद तक मान भी लेते हैं कि हवाई जहाज बनाने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। चलो, बना लेते हैं। अब जैसे रॉफेल है। रॉफेल हम नहीं बना पा रहे हैं। ओमान ने 696 करोड़ रूपये का खरीदा है। अब ये कहते हैं, हम यहाँ पर इसके पुर्जे जोड़ेंगे। सोलह सौ करोड़ रूपये में बनेगा। चलो, हम भी मान लेते हैं। 900 करोड़ रूपये इनको भी चाहिए। भई, इतना तो काम कर रहे हैं तो इतना तो 900 करोड़ रूपये तो मिलना चाहिए। पचास हजार करोड़ का ही तो घपला है। इतना तो इनका बनता है। इतना तो पचास हजार करोड़ तो इनका बनता है। वो भी समझ में आता है कि भाई साहब, तुम इस नाम से कमा लो कि हम नहीं बना सकते। हम क्या करें? हमारे को तो बनाना आता नहीं रॉफेल।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, प्लीज।

ऊर्जा मंत्रीः अब दूसरी बात ये मुझे समझ नहीं आया कि भाई साहब, दूध बेचने के लिए कौन सी टेक्नोलाजी चाहिए! कपड़े बेचने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो हमें नहीं आती। जूते बेचने के लिए, चप्पल बेचने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए! जो हमें नहीं आती। गेहूँ बेचने के लिए, चना बेचने के लिए, दाल बेचने के लिए, चावल बेचने के लिए, नमक बेचने के लिए, चीनी बेचने के लिए, साबून बेचने के लिए, तेल बेचने के लिए और कॉफी बेचने के लिए और किताब बेचने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आने वाले हैं, मुझे समझ में नहीं आई। हाँ, ये लगता है, ये लोग जनता को समझते हैं मूर्ख। कह रहे है जी, सिंगल ब्रॉण्ड, हमने सिंगल ब्रॉण्ड एलाउ किया है। सिंगल ब्रॉण्ड में क्या कर लेगा जी? दुकानदार के पास तो मल्टीपल ब्रॉण्ड होते हैं। अच्छा दिल्ली के अंदर 100–200 मॉल्स हैं। अगर उन मॉल्स में पाँच सिंगल ब्रॉण्ड की दुकानें खुल जाएं तो मल्टीपल ब्रॉण्ड हो गया। करोल बाग के अंदर एक लाइन में दस दुकानें खुल जाएं अलग–अलग ब्रांड की, हर बड़ी–बड़ी मार्किट के अंदर दस–दस दुकानें खोल लें और पता लगे पीछे से कि एक ही उसका मालिक है सब का। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता सकता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, साबुन जो कम्पीटिशन करते हैं दोनों आपस में, दोनों का मालिक यूनिलीवर होता है। जैसे कि लाइफ बॉय का मालिक भी वही है, लक्स का मालिक भी वही है, किसी भी छोटे शहर में जाकर पता कर लीजिएगा। सब समझते हैं दोनों की कम्पनियाँ अलग–अलग हैं, मालिक एक है। सिंगल ब्रॉण्ड के अंदर एक हजार कम्पनियों का मालिक एक आदमी हो सकता है। अलग–अलग एक हजार कम्पनियाँ खोल लेगा और सब को अलग–अलग सिंगल में, कहकर कि सिंगल ब्रॉण्ड है यह। आप मानकर चलिए अध्यक्ष जी, ये जो छोटी–छोटी

चीजें हैं जिसका मकसद क्या है? अगर किसी की सेल्स पॉवर आ गई, बेचने की ताकत आ गई, खरीदने की पॉवर भी उसके पास है। अगर बेचने की ताकत उसके पास है तो खरीदने की ताकत उसके पास है जिसके पास खरीदने की ताकत है। मैन्यूफैक्चरिंग की ताकत भी उसके पास है। वो डिसाइड करेगा कि इस देश के अंदर क्या बिकेगा और क्या नहीं बिकेगा। कहाँ से लिया जाएगा और कहाँ से नहीं लिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ; अगर हिंदुस्तान के अंदर कभी–कभी ऐसा मौका होता है चने की दाल हिंदुस्तान के अंदर 80 रुपये किलो है। वही चने की दाल अफ्रीका के अंदर 35 रुपये, 30 रुपये किलो मिलती है। सर, कॉर्न जिसे कहते हैं, अमरीका, पूरे संसार में जितना कॉर्न पैदा होता है उसका 2/3 सिर्फ अमरीका पैदा करता है। मक्का जिसे कहते हैं और मक्का कोकृ. उनको काफी सारा हिस्सा बर्बाद करना पड़ता है या पशुओं को खिलाना पड़ता है। उनके पास कोई रास्ता नहीं है उसका यूज करने का। सर, जब ये रिटेल की पॉवर सारी की सारी इनके हाथ में आ जाएगी तो ये डिसाइड करेंगे कि आपने क्या खाना है, आपने क्या पहनना है, आपने क्या करना है और आपने क्या पढ़ना है। एग्जाम्पल दूँगा मैं आपको, कुछ साल पहले पेप्सीको और कोक, दो कम्पनियाँ हिंदुस्तान के अंदर आईं और इतनी जबर्दस्त उनकी वार हुई आपस में, सब कहने लगे कि ये तो सच्चाई में लड़ाई हो रही है, सच्ची लड़ाई है, सब को याद होगा। उस टाइम लड़ाई के बाद क्या हुआ पेप्सीको किस देश की कम्पनी है अमरीका। कोक किस देश की कम्पनी है अमरीका। दोनों की लड़ाई हुई, पर मरे कौन? हिंदुस्तान के कम से कम 20 ब्रॉण्ड थे उस टाइम पर। वो सारे के सारे खत्म हो गए, एक भी नहीं बची।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहूँगा, जो आदर्श जी ने भी बताई थी कि इन लोगों की पॉकेट्स बहुत डीप होती है। यह शुरूआत के अंदर खेल खेलते हैं। पहले शुरू के पाँच साल, दस साल लम्बा

खेल खेल सकते हैं। इनका मकसद उस टाइम पर यही होता है कि सारे कम्पीटिशन को खत्म कर दो। पूरी मार्किट अपने हाथ में ले लो। उसके बाद तो मोनोपॉली है, जो मर्जी करिये। जनता को जरूर लगेगा सामने से, अलग–अलग ब्रॉण्ड है कि भाई साहब, ये वाली दुकान अलग है, ये गुप्ता जी की दुकान है, ये शर्मा जी दुकान है, ये इसकी दुकान है। परंतु अंदर से मालिक एक होगा। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड टैरिफ जो मान्य मंत्री जी ने अभी बताया, अब मुझे भी पूरा विश्वास है कि गेम तो सारा वहीं से चल रहा है। अब एक चीज बताइये ब्रॉण्ड! ब्रॉण्ड! ब्रॉण्ड! कर रहे हैं ये लोग। हिंदुस्तान का सबसे फेमस ब्रॉण्ड कौन सा है? अमूल। दूसरा ब्रॉण्ड मदर डेयरी। दोनों के दोनों हमारे लोकल ब्रॉण्ड है। ठीक है सर, कल को दूध बेचने वाले दो ब्रॉण्ड अमरीका से आ गए तो वो क्या करेंगे? वो एक बन जाएगा पेप्सी और दूसरा बन जाएगा कोक। तो सबसे पहले वो दो साल के अंदर, पांच साल के अंदर इन दोनों ब्रॉण्ड को खत्म कर देंगे, लोकल मैन्यूफैक्चरिंग को खत्म कर देंगे। फिर वो सारा का सारा इम्पोर्ट करेंगे न्यूजीलैंड से। फिर इम्पोर्ट करेंगे अमरीका से और उसके बाद कहेंगे किसान से, तेरा जो चालीस रुपये किलो का दूध था या तीस रुपये किलो का दूध था, दस रुपये किलो देना है? नहीं देना तो हम अमरीका से लेकर आ रहे हैं और ये बातें मैं मान नहीं सकता, गुप्ता जी जैसे व्यापारी को समझ नहीं आती। इनको अच्छी तरह समझ में आती है जहाँ पर भी माया है, इनको उस माया के बारे में सब कुछ पता है। तो इनका मायाजाल जो है, उसको समझना पड़ेगा हमें। एक ये बहुत बड़ी बात लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, अक्सर समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, कड़े फैसले लेने की जरूरत है। कड़े फैसले का मतलब क्या होता है? कड़े फैसले का मतलब जिससे कष्ट हो। किसको? जनता को। और इन्होंने जनता के बीच में फैला दिया है कि देखिये, हममें दम है, हम कड़े फैसले

ले सकते हैं। जैसे कि नोटबंदी की। नोटबंदी करने के बाद 100 से ज्यादा लोग लाइनों में मर गए। कहते हैं, ''हमने कड़े फैसले लिए।'' कहते हैं, ''हुआ क्या?'' कहते हैं, ''कड़ा फैसला।'' ''फायदा क्या हुआ?'' कहते हैं, ''कड़ा फैसला था, बस।'' फायदा? ''फायदा यही हुआ।''

दूसरा इन्होंने लिया, जीएसटी लागू कर दिया। अरे भाई साहब, लागू करना था तो तैयारी करके लागू करते। कहते हैं, ''फिर कड़ा नहीं कहलाता ना, फिर तो नरम हो जाता।'' कहते हैं, ''इसको कड़ा होने से पहले, उसको लोगों को तंग करने के लिए कड़ा फैसला लिया।'' तीसरा इन्होंने सीलिंग चालू करी। दिल्ली के अंदर सीलिंग कर रहे हैं। कहते हैं, ''कड़ा फैसला!'' और मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, एफडीआई इन रिटेल जो चालू की है, उसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं ये। सीलिंग और एफडीआई अलग–अलग मुद्दे नहीं हैं। दोनों एक मुद्दे हैं। कहते हैं, ''दिल्ली में लाखों दुकानें बंद करेंगे, तभी तो इनकी नये–नये ब्रॉण्ड की सिंगल ब्रॉण्ड शॉप्स खुलेंगी या एक साथ दस दुकानें खुलेंगी मल्टीपल ब्रांड मॉल खुलेंगे।''

... (व्यवधान)

ऊर्जा मंत्रीः गरीबों की तो जरूरत नहीं है। वो तो डिलिवरी ब्वॉय बनेगा। अध्यक्ष महोदय, इनका मकसद है लोगों को दिखाना कि हम कड़े फैसले ले सकते हैं और कड़े फैसले का मतलब हम आपकी कड़ाई से पिटाई कर सकते हैं और जनता को लगता है, ''हाँ, देखो, अच्छा किया है। तो कहते हैं, ''क्या हुआ?'' कहते हैं, ''तुम्हारे बच्चों को फायदा होगा, तुम्हें फायदा नहीं होगा।'' आने वाली संतति की बात करते हैं हमेशा। अरे! इसकी भी बात कर लो। इनको कौन सा निर्वाण मिल गया, अभी तो ये जिंदा हैं। ये भी कुछ जिंदा रह जाएं।

अध्यक्ष महोदय, ये कहते थे कि जब लोकली, आपको तीस परसेंट जो भी रिसोर्सिंग है, कम से कम तीस परसेंट लोकल रिसोर्सिंग करनी पड़ेगी। कहते हैं, वो बुरी चीज थी, अच्छी चीज नहीं थी। कहते हैं कि जीरो परसेंट करो। वो अच्छी चीज है। ये कहते थे, ''पचास परसेंट एफडीआई बुरी चीज है। अगर एफडीआई के अंदर पचास परसेंट शेयर हो तो गलत है, 100 परसेंट बड़ी अच्छी चीज है।'' वो तो वही वाली बात हो गई कि आपकी एक टांग टूट जाए तो गंदी बात है। कहते हैं, ''गर्दन काट दो तो अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की नीयत जो कि अब तो शक होने लगा है। पहले तो लगता था कि देश में दो ही पार्टियाँ थीं, हमें भी नजर आता था कि दोनों ठीक ही होंगी। हमें भी नहीं पता था। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि राजनीति में आए तो राजनीति को पास से देखा कि कैसी है तो हम कहते हैं, ''राजनीति जो है न जी, जैसी हम समझते थे, वैसी तो नहीं है।'' कहते हैं, ''कैसी है?'' ''जितनी खराब समझते थे, उससे भी ज्यादा खराब है।'' और वो मुझे लगता है, इसी वजह से लगता है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है देश को बचाने की, वो इस देश को बचाने में नहीं, बेचने में लगे हुए हैं और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब जनता को यह बात समझ आ चुकी है। अब तक कंफ्यूजन था, जब तक ये कह रहे थे न कि हमने ऐविएशन में 49 परसेंट अलाउ कर दिया है, 51 परसेंट अलाउ कर दिया, इसने 51 परसेंट दिया, तब तक कंफ्यूजन था सब जगह कंफ्यूजन था। एफडीआई इन रिटेल 100 परसेंट करने के बाद कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो गया है। इसका मतलब देश को बेचने का इन्होंने ठेका ले लिया है। जैसा कि आदरणीय गोपाल राय जी ने कहा है, मुझे लगता है, इनकी कहीं न कहीं से सैटिंग हो गई है और इस सैटिंग के तहत ही इन्होंने ऐसा किया है और इस देश को बेचने के लिए तत्पर हैं। मैं चाहूँगा कि देश को इसका बदला लेना चाहिए

और इसको होने नहीं देना चाहिए। धन्यवाद, जयहिंद, जय भारत।

अध्यक्ष महोदयः इस चर्चा पर श्री सोमनाथ भारती जी रिजोल्यूशन मूव करेंगे।

श्री सोमनाथ भारतीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन चाहता हूँ कि मैं इस रिजोल्यूशन को मूव कर सकूँ। मूव कर दें?

अध्यक्ष महोदयः हाँ।

श्री सोमनाथ भारतीः ***Resolution is:***

"The Legislative Assembly of NCT of Delhi having its sitting on 17 January, 2018;

Taking note of the fact that the BJP Government in Centre has made so many 'U-turns' which areproving to be detrimental to the interest of ordinary people of India;

Resolves to oppose the decision of the Union Cabinet to allow 100% FDI in retail, as it leads to breaking the back of small and medium traders and ultimately to economic slavery of the country.'

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ।

कल सीलिंग की चर्चा के दौरान मैंने यह विषय सारा, भावना गौड़,

जो निगम की कमेटी है, उसको सौंपा था और कल उन्होंने कॉल किया, जैसा मुझे जानकारी में आया है। मैं पुनः एक बार आगाह कर रहा हूँ; तीनों कमिश्नर्स को कल कॉल किया है मीटिंग में, वो कल मीटिंग में उपस्थित हों।

श्री सुरेन्द्र सिंहः दिल्ली कैण्ट को भी ले लो सर। दिल्ली कैण्ट और नई दिल्ली वाले को भी ले लो।

अध्यक्ष महोदयः वो हाँ आप लिखकर दीजिएगा।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करूँ, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया, सभी मंत्रीगण, श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सी.आर.पी.एफ.बटालियन–55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलैक्ट्रिकल व हार्टिकल्चर डिवीजन, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिये भी उनका धन्यवाद करता हूँ।

विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

और आज जापान का जो डेलीगेशन आया मुझे जानकारी में आया कि

पहली बार ऐसा हुआ है। मैं उस डेलीगेशन का यहाँ आने के लिए, कार्यवाही में देखने के लिए भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्र गान के लिए खड़े हों।

राष्ट्र गानः जन–गण–मन

अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है, बहुत बहुत धन्यवाद।

(अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।